वार्षिक रिपोर्ट
2007-08

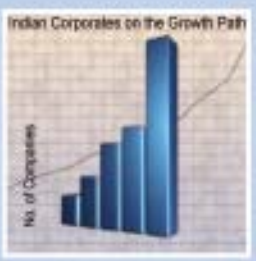

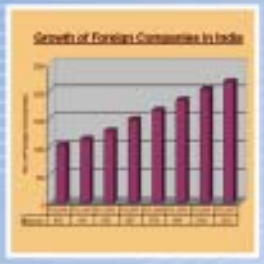

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट

2007-08

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

भारत सरकार

नई दिल्ली

विषय सूची

अध्याय		पृष्ठ संख्या
अध्याय 1 सिंहावलोकन		1
अध्याय 2 संगठनात्मक ढांचा तथा कार्य		14
अध्याय 3 कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा इसका प्रशासन		21
अध्याय 4 एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 नीति, प्रावधान तथा कार्य निष्पादन		41
अध्याय 5 संबद्ध विधान		46
अध्याय 6 निगमित क्षेत्र की सांख्यिकीय समीक्षा		48
अध्याय 7 परस्पर विचारशील एवं उत्तरदायी प्रशासन की ओर		50
अनुबंध		
कारपोरेट कार्य मंत्रालय की निर्देशिका	**अनुबंध – 1**	64
क्षेत्रीय निदेशकों तथा कंपनी रजिस्ट्रारों के पते	**अनुबंध – 2**	67
कारपोरेट कार्य मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट	**अनुबंध – 3**	71
कारपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रमुख कार्यकर्ता	**अनुबंध – 4**	74
कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	**अनुबंध – 5**	75

अध्याय – 1

सिंहावलोकन

प्रस्तावना

1.1.1 यह रिपोर्ट 1 अप्रैल, 2007 से 31 दिसम्बर, 2007 की अवधि के लिए है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कंपनी अधिनियम, 1956 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 यथा संशोधित एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1959, सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949, लागत और कार्य लेखांकन अधिनियम, 1959, कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 इत्यादि सहित निगमित क्षेत्र के विनियमन हेतु संविधियों की एक व्यापक श्रृंखला के प्रशासन से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, यह तीन निकायों नामतः भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) और भारतीय लागत तथा कार्य लेखाकार संस्थान (आईसीडब्ल्यूएआई) के क्रियाकलापों का निरीक्षण भी करता है, जिनका गठन संसद के तीन अधिनियमों के अंतर्गत देश में सनदी लेखाकार, कंपनी सचिव और लागत लेखाकार के व्यवसायों की समुचित तथा व्यवस्थित वृद्धि के लिए किया गया है। मंत्रालय का दायित्व साझेदारी अधिनियम, 1932, कंपनी (राष्ट्रीय निधियों में दान) अधिनियम, 1951 तथा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के प्रशासन से संबंधित केंद्रीय सरकार के कार्यों को भी करने का है। मंत्रालय द्वारा प्रशासित किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों का ब्यौरा अध्याय 5 में दिया गया है।

1.1.2 कंपनी कार्य मंत्रालय का नाम, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 में संशोधन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड 3 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 9 मई, 2007 की अधिसूचना द्वारा बदलकर कारपोरेट कार्य मंत्रालय कर दिया गया है।

1.1.3 श्री प्रेमचंद गुप्ता ने कैबिनेट मंत्री के रूप में कारपोरेट कार्य मंत्रालय का कार्यभार जारी रखा है।

1.1.4 श्री अनुराग गोयल ने सचिव के रूप में कारपोरेट कार्य मंत्रालय का कार्यभार जारी रखा है।

कंपनी अधिनियम 1956 में व्यापक संशोधन

1.2 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 2 दिसम्बर, 2004 को डॉ. जे.जे. इरानी, निदेशक, टाटा सन्स की अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का पालन करते हुए एक व्यापक आधार वाली परामर्शी प्रक्रिया के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 के व्यापक संशोधन हेतु एक प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट 31 मई, 2005 को सौंप दी। नए कंपनी विधेयक को तैयार करने का कार्य अंतिम अवस्था में है और इस विधेयक को संसद में यथाशीघ्र प्रस्तुत किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

1.3.1 प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 जनवरी, 2003 में महामहिम राष्ट्रपति की सहमति से बनाया गया था। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 का उद्देश्य जैसा कि इसकी प्रस्तावना में विनिर्दिष्ट है, एक आयोग की स्थापना करने का है :

(क) प्रतिस्पर्धा पर कुप्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना

(ख) बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाना तथा इसका उन्नयन करना

(ग) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, और

(घ) व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।

1.3.2 अधिनियम के कुछ उपबंधों को रिट याचिका द्वारा माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। तदनुसार, अधिनियम के अंतर्गत भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग पूरी तरह गठित नहीं किया गया था, हालांकि कुछ पक्ष समर्थन तथा संबंधित कार्य 17 अक्तूबर, 2003 से प्रारंभ हुए थे। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में अधिनियम में प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 के रूप में कुछ संशोधन किए गए हैं। प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 के बनने पर आयोग तथा प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण द्वारा इस अधिनियम, यथा संशोधित के अंतर्गत निकट भविष्य में कार्य करने की संभावना है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग तथा जांच एवं पंजीकरण महानिदेशक

1.4.1 एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यापार आयोग (एमआरटीपीसी), जो एक अर्ध न्यायिक निकाय है, की स्थापना एमआरटीपी अधिनियम, 1959 की धारा 5 के अंतर्गत अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्य करने के लिए की गई थी। एमआरटीपी आयोग का मुख्य कार्य अवरोधक व्यापार व्यवहार के संबंध में जांच करना तथा समुचित कार्य करना है। अवरोधक व्यापारिक व्यापार के मामले में धारा 10 (ख) के अंतर्गत ऐसे व्यवहारों जैसे – (1) केंद्रीय सरकार द्वारा संदर्भित या (2) स्वयं की जानकारी या सूचना पर, की जांच करने की और आगे कार्रवाई के लिए अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

1.4.2 जांच एवं पंजीकरण महानिदेशक के कार्यालय की स्थापना वर्ष 1984 में एकाधिकारी, अवरोधक तथा अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित करने ताकि देश में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के इसके उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, के लिए एमआरटीपी अधिनियम, 1969 के अंतर्गत कुछ सांविधिक कार्यों तथा ड्यूटी को निष्पादित करने के लिए किया गया था। इस अधिनियम में पिछले 38 वर्षों के दौरान समय.समय पर संशोधन किए गए हैं और वर्ष 1984 तथा 1991 में काफी संशोधन किए गए थे। जैसे कि संस्थागत ढांचा जिसमें प्रतिस्पर्धा आयोग और प्रतिस्पर्धा अपीलीय प्राधिकरण शामिल हैं का विधिवत गठन कर लिया जाता है, एमआरटीपीसी अधिनियम को निरस्त कर दिया जाएगा और एमआरटीपीसी को दो वर्षों के अंदर समाप्त कर दिया जाएगा, इस दौरान यह, इसे प्रस्तुत किए गए वर्तमान मामलों को निपटारा करेगा और नए मामले नहीं लेगा।

एमसीए–21 ई. अभिशासन परियोजना

1.5.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने एमसीए.21 ई.अभिशासन परियोजना को लागू कर दिया है। यह राष्ट्रीय ई.अभिशासन योजना के अंतर्गत भारत सरकार की एक मिशन मोड परियोजना है। इस परियोजना में पंजीकरण तथा दस्तावेजों को दर्ज कराने सहित कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा मुहैया कराई जा रही सभी सेवाओं को समूचे देश में सभी निगमित तथा अन्य निकायों को किसी भी समय उन्हें उपयुक्त लगने वाले तरीके से आसान तथा सुरक्षित ऑनलाइन पहुंच से मुहैया कराए जाने की व्यवस्था है। यह कार्यक्रम परिणाम आधारित है और देश में निगमित क्षेत्र से संबद्ध विभिन्न स्टेकहोल्डर्स हितबद्धों को सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित है।

1.5.2 परियोजना की शुरूआत आरओसी कोयम्बटूर से 18 फरवरी, 2006 में की गई थी और 4 सितम्बर, 2006 को सभी 20 आरओसी में इसे पूरा कर लिया गया है। 48 सप्ताह के रिकार्ड टाइम में लागू किए जाने पर इसे सरकार के पथ प्रदर्शक कदम के रूप में पहचाना गया और इसे डाटा क्वेस्ट द्वारा ''आईटी पाथ ब्रेकर अवार्ड 2006'' प्रदान किया गया। देश में सीईओ और सीएफओ की प्रमुख कंपनियों अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा करवाए गए सर्वे में तथा इसे सीएनबीसी चैनल पर दिखाया गया, 92% सीएफओ ने इसे सरकार द्वारा सही दिशा में उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम बताया। नागरिक आधारित कार्यक्रम के रूप में प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सघन व्यापारिक प्रक्रिया पुर्निर्माण शुरू किया गया और ऐसी स्वस्थ व्यापारिक प्रणाली जो स्टेक होल्डरों की अपेक्षाओं को पूरा कर सके की प्रक्रिया को बेहतर बनाया गया।

निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए विशेष उपाय

1.6.1 निवेशकों के हितों की रक्षा करना सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) की प्रतिबद्धता है। मंत्रालय द्वारा इस संबंध में की गई हाल की पहलों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं

- निवेशकों की शिकायतों की पावती 48 घंटों के भीतर दी जाए और उन पर उच्चतम प्राथमिकता देते हुए कार्रवाई की जाए। प्रगति की निकट रूप से निगरानी की जाए।
- निवेशक सुरक्षा प्रकोष्ठ न केवल मंत्रालय स्तर पर बल्कि क्षेत्रीय निदेशकों तथा कंपनियों के पंजीयकों के स्तर पर भी खोले गए हैं तथा ये कार्य कर रहे हैं और नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों के नाम तथा पते उनके दूरभाष के साथ मंत्रालय की वेबसाइट पर डाले गए हैं। उन्हें सभी प्रमुख समाचार–पत्रों में भी प्रकाशित किया गया है।
- ऑनलाइन निवेशक शिकायत समाधान प्रणाली प्रारंभ की गई और यह कार्य कर रही है।
- क्षेत्र अधिकारियों को निवेशक सुरक्षा कार्यक्रमों को स्थानीय स्तर पर लिए जाने के लिए एनजीओ को प्रोत्साहित करने के निदेश दिए गए हैं।
- राज्य सरकारों से सहयोग प्राप्त करते हुए लुप्त कंपनियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। संदर्शिका में गलत विवरण देने/धोखोधड़ी से लोगों को पैसा निवेश करने के लिए प्रेरित करने/ऑफर दस्तावेज में मिथ्या विवरण देने आदि के लिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 109 कंपनियों तथा उनके प्रवर्तकों/निदेशकों के विरुद्ध अभियोजन चलाए गए हैं। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 102/95 कंपनियों और उनके प्रवर्तकों/निदेशकों के विरुद्ध प्राथमिकी दायर/दर्ज की गई है। इन लुप्त कंपनियों के ब्यौरे उनके प्रवर्तकों/निदेशकों के नाम तथा पते सहित विभिन्न समाचार–पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं ताकि निवेशकों को आगे आकर इन कंपनियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने में सुविधा हो जिससे कि पुलिस प्राधिकारियों को इन कंपनियों के विरुद्ध चलाई गई अपनी जांच और अभियोजना में सहायता मिले।

1.6.2 दीर्घावधि पहल के भाग के रूप में विद्यमान कंपनी अधिनियम की व्यापक समीक्षा की जा रही है ताकि इसे बदलते हुए व्यापार के रूप और राष्ट्रीय तथा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के अनुसार बनाया जा सके।

निवेशक शिक्षा तथा बचाव निधि

1.7.1 निवेशकों की जागरूकता में वृद्धि और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205सी के अंतर्गत कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1999 के माध्यम से निवेशक शिक्षा तथा बचाव निधि (आईईपीएफ) को स्थापित की गई है।

1.7.2 आईपीएफ के अंतर्गत, इसमें पंजीकृत स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा संगठनों के माध्यम से निवेशक शिक्षा तथा जागरूकता पर कई कार्यक्रमों का वित्त–पोषण तथा आयोजना की है। 1.4.2007 से 31.12.2007 की अवधि के दौरान आईईपीएफ के अंतर्गत 20 नई संस्थाएं/संगठन पंजीकृत हुए हैं और इस प्रकार आईपीएस के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे संगठनों की कुल संख्या 65 हो गई है।

1.7.3 01.04.2007 से 31.12.2007 की अवधि के दौरान मंत्रालय ने इलेक्ट्रोनिक तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरूकता/शिक्षण अभियान चलाएः

(i) निवेशक शिक्षा पर राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय भाषा समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए गए। इन विज्ञापनों के माध्यम से निवेशकों को ''आईपीएफ के अंतर्गत वेबसाईट्स'', ''निवेशक जागरूकता माह'', ''स्लोगन लेखन'' प्रतियोगिता, आईपीओ में निवेश आदि को जागरूक बनाने के प्रयास किए गए।

(ii) निवेशकों और आईईपीएफ के बारे में मुद्दों पर जागरूकता लाने के लिए प्रसार भारती के माध्यम से आल इंडिया रेडियों पर निवेशक शिक्षा संदेश प्रसारित किया गया।

(iii) सितम्बर, 2007 को निवेशक जागरूकता माह के रूप में मनाया गया और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के सहयोग से पूरे देश में 61 निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(iv) आईईपीएफ के अंतर्गत एक निवेषक हेल्पलाइन-www-investorhelpline-in परियोजना प्रायोजित की गई और इसे शुरू किया गया। परियोजना का प्रबंधन मिडास टच निवेशक संघ द्वारा किया गया है और यह सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। यह शिकायतों को दूर करने और निवेशकों में जागरूकता लाने हेतु एकतंत्र मुहैया कराती हैं।

(v) इसके अतिरिक्त, एक वेबसाइट नामतः www-watchoutinvestors-com को निवेशकों द्वारा अपनी अनैतिक प्रवर्तकों, कंपनियों तथा निकायों से रक्षा करने में सहायता करने के लिए बनाई गई है। यह वेबसाइट आर्थिक चूककर्ताओं की एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री है और विभिन्न नियामक प्राधिकरणों द्वारा चलाए जाने वाले अभियोजनों पर जानकारी देती है।

(vi) निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) की एक स्वतंत्र वेबसाइट-www-iepf-gov-in की शुरुआत की गई है। यह वेबसाइट निवेशकों तथा आईपीएफ के बारे में मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करती है।

राष्ट्रीय कारपोरेट अभिशासन प्रतिष्ठान

1.8.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने अच्छे निगमित शासन से संबंधित मुद्दों पर विचार.विमर्श करने हेतु एक मंच मुहैया कराने और अच्छे निगमित शासन व्यवहार के महत्व पर निगमित प्रमुखों के सुग्राहीकरण, निगमित प्रमुखों, नीति. निर्माताओं, नियामकों, विधि प्रवर्तन एजेंसियों तथा गैर–सरकारी संगठनों के मध्य अनुभव तथा विचारों के आदान–प्रदान को सुगम बनाने के लिए एक गैर–लाभ न्यास के रूप में राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान का गठन किया है।

1.8.2 एनएफसीजी का इसके प्रबंधन हेतु एक 3 स्तरीय ढांचा है अर्थात कारपोरेट कार्य मंत्री की अध्यक्षता में शासी परिषद, न्यासी बोर्ड तथा अधिशासी निदेशालय।

1.8.3 बेहतर निगमित शासन हेतु नीतियों के प्रसार के लिए एक वाहक के रूप में कार्य करने के लिए एनएफसीजी की एक वेबसाइट प्रारंभ की गई है। एनएफसीजी ने एक कार्य योजना तैयार की थी जिसमें चिन्हित विचारों अर्थात (1) संस्थागत निवेशकों हेतु निगमित शासन मानदंड, (2) स्वतंत्र निदेशकों हेतु निगमित शासन मानदंड, और (3) लेखा परीक्षा हेतु निगमित शासन मानदंड, पर अच्छे निगमित शासन सिद्धांतों का विकास शामिल है। इस संबंध में 3 कोर समूह गठित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एनएफसीजी ने अच्छे निगमित शासन व्यवहारों के पालन की आवश्यकता हेतु प्रचार करने के लिए श्रेष्ठ संस्थानों के माध्यम से निदेशकों हेतु प्रायोजक अभिमुखीकरण कार्यक्रम संगोष्ठियां तथा सम्मेलनों का आयोजन किया है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने आर्थिक सहयोग तथा विकास हेतु संगठन (ओईसीडी) के साथ मिलकर 16 तथा 17 फरवरी, 2006 को ''भारत में निगमित शासन पर नीति विचार.–विमर्श 2006'' विषय पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था। वित्तीय वर्ष 2007.08 के लिए कार्य योजना में मुख्य क्षेत्र इस प्रकार हैं

(क) अनुसंधान करने को प्रोत्साहन देना।

(ख) अच्छी कारपोरेट अभिशासन प्रथाओं की महत्ता पर जागरूकता बढ़ाना ।

(ग) राष्ट्रीय कारपोरेट अभिशासन केद्रों के उपयुक्त प्रस्तावों के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान करना और कारपोरेट अभिशासन के संदेश को फैलाने वाले प्रतिष्ठित संस्थानों की पहचान करना और मान्यता देना। मान्यता प्राप्त संस्थानों के कार्य–निष्पादन की समीक्षा करना।

(घ) सर्वश्रेश्ठ प्रथाओटं के आदान प्रदान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संपर्को को बनाना।

1.8.4 एनएफसीजी की भविष्य की योजनाओं में निगमित

शासन पर एक देश व्यापी कार्यनीति अपनाने के मुद्दे को उठानाए दक्षिण एशिया, विशेषकर सार्क देशों के संबंध में निगमित शासन सहयोग प्रोत्साहित करना, छोटे तथा मध्यम उद्यमों हेतु निगमित शासन प्रक्रियाओं का प्रसार करना शामिल है।

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ)

1.9.1 भारत सरकार द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की स्थापना दिनांक 02.07.2003 के संकल्प द्वारा की गई थी। इस कार्यालय की स्थापना गंभीर तथा जटिल प्रकृति की कारपोरेट धोखाधड़ियों की जांच करने के लिए की गई थी।

1.9.2 चालू वर्ष के दौरान, एसएफआईओ के अधिकारियों को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 235/237 के अंतर्गत जांच हेतु 14 मामले सौंपे गए थे। अभी तक एसएफआईओ के अधिकारियों को जांच हेतु कुल 48 मामले भेजे गए हैं। 31.12.2007 तक निम्नलिखित 30 मामलों में निरीक्षकों ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है

क्र.सं.	कंपनी का नाम
1.	देवू मोटर्स इंडिया लिमिटेड
2.	वत्स कार्पोरेशन लिमिटेड
3.	बोनांजा बायोटेक लिमिटेड
4.	डिजाइन आटो सिस्टम्स लिमिटेड
5.	मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड
6.	कोलार बायोटेक लिमिटेड
7.	साउंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
8.	एडम कोमसोफ लिमिटेड
9.	डीएसक्यू सॉफ्टवेयर लिमिटेड
10.	मालविका स्टील लिमिटेड
11.	उषा इंडिया लिमिटेड
12.	कोशिका टेलीकॉम लिमिटेड
13.	लूमिनेंट इन्वेस्ट्रेड प्रा. लिमिटेड
14.	गोल्डफिश कम्प्यूटर्स प्रा. लिमिटेड
15.	पैंथर फिनकैप एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड
16.	साईमंगल इन्वेस्ट्रेड लिमिटेड
17.	नक्षत्र सॉफ्टवेयर प्रा. लिमिटेड
18.	एनएच सिक्योरिटीज लिमिटेड
20.	क्लासिक क्रेडिट लिमिटेड
21.	ट्रियंफ सिक्योरिटीज प्रा. लिमिटेड
22.	मनमंदिर एस्टेट डेवलपमेंट प्रा. लिमिटेड
19.	पथेर इन्वेस्ट्रेड लिमिटेड
23.	ट्रियंफ इंटरनेशनल फाइनेंस इंडिया लिमिटेड
24.	वीएन पारेख सिक्योरिटीज प्रा. लिमिटेड
25.	पैंथर इंटस्ट्रीज प्रोडक्ट्स लिमिटेड
26.	क्लासिक शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज लिमिटेड
27.	चित्रकूट कम्प्यूटर्स प्रा. लिमिटेड
28.	केएनपी सिक्योरिटीज प्रा. लिमिटेड
29.	मोरपेन लैब. लिमिटेड
30.	शोंक टेक. लिमिटेड

1.9.3 31.12.2007 तक निम्नलिखित कंपनियों में धोखा धड़ी की गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न अदालतों में अभियोजना के 737 मामले पहले ही दायर किए जा चुके हैं

क्र.सं.	कंपनी का नाम	दायर किए गए कुल मामले	वित्त वर्ष जिसमें शिकायत दर्ज की गई थी।
1.	देवू मोटर्स इंडिया लि.	23	2005-06
2.	डिजाइन आटो सिस्टम्स लि.	13	2005-06
3.	बोनांजा बायोटेक लि.	17	2005-06
4.	वत्स कार्पोरेषन लि.	114	2005-06
5.	मार्डिया केमिकल्स लि.	23	2005-06
6.	साउंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लि.	44	2006-07
7.	कोलार बायोटेक लि.	28	2006-07
8.	एडम कोमसोफ लि.	25	2006-07
9.	डीएसक्यू सॉफ्टवेयर लि.	25	2006-07
10.	उशा इंडिया लि.	35	2007-08
11.	मालविका स्टील लि.	27	2007-08
12.	कोषिका टेलीकॉम लि.	50	2006-07
13.	चित्रकूट कम्प्यूटर्स प्रा.लि.	15	2007-08
14.	क्लासिक क्रेडिट लि.	17	2007-08
15.	क्लासिक षेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज लि.	36	2007-08
16.	गोल्डफिष कम्प्यूटर्स प्रा.लि.	29	2007-08
17.	केएनपी सिक्योरिटीज प्रा.लि.	15	2007-08
18.	लूमिनेंट इन्वेस्ट्रेड प्रा.लि.	17	2007-08
19.	मनमंदिर एस्टेट डेवलपमेंट प्रा.लि.	02	2007-08
20.	एनएच सिक्योरिटीज लि.	26	2007-08
21.	पैंथर फिनकैप एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लि.	24	2007-08
22.	पैंथर इंटस्ट्रीज प्रोडक्ट्स लि.	24	2007-08
23.	पथेर इन्वेस्ट्रेड लि.	14	2007-08
24.	साईमंगल इन्वेस्ट्रेड लि.	18	2007-08
25.	ट्रियंफ इंटरनेषनल फाइनेंस इंडिया लि.	12	2007-08
26.	वीएन पारेख सिक्योरिटीज प्रा.लि.	13	2007-08
27.	ट्रियंफ सिक्योरिटीज प्रा.लि.	22	2007-08
28.	नक्षत्र सॉफ्टवेयर प्रा.लि.	17	2007-08
29.	मोरपेन लैब. लि.	12	2007-08
	कुल	**737**	

लेखांकन मानक

1.10.1 भारत में पिछले कुछ वर्षों के दौरान आर्थिक परिवेश में आए आमूल परिवर्तन के कारण, कारपोरेट द्वारा रिपोर्ट किए जा रहे सक्षम और पारदर्शी वित्त सुनिश्चित करने की दिशा में एक साधन के रूप में लेखांकन मानकों को दी जा रही महत्ता में बढ़ोतरी हुई है। इसके अतिरिक्त, सीमा पार से प्राप्त धन में हुई बढ़ोतरी में भी आम अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के प्रति रूचि पैदा की है। अंतर्राष्ट्रीय

लेखांकन मानक बोर्ड द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मानकों का प्रचार करने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रतिभूति आयोग द्वारा उठाए गए कदमों से अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए व्यवसाय की एकरूप भाषा के रूप में, लेखांकन मानकों के विकास की आवश्यकता की ओर ध्यान गया है।

1.10.2 भारत में, लेखांकन मानक केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211(3ग) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किए जाते हैं। केंद्र सरकार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 210(क) के अंतर्गत गठित लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय परामर्शी समिति की अनुशंसा प्राप्त करने के पश्चात लेखांकन मानकों को अधिसूचित करती है।

1.10.3 7 दिसम्बर, 2006 से लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय परामर्शी समिति की अनुशंसाओं पर कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 28 लेखांकन मानक अर्थात लेखांकन मानक 1 से 7 तथा लेखांकन मानक 9 से 29 को अधिसूचित किया गया है।

1.10.4 इससे पूर्व, 1977 से, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक बोर्ड द्वारा सनदी लेखांकन के पेशेवर सदस्यों द्वारा अनुपालन के लिए लेखांकन के मानक जारी किए जाते थे।

1.10.5 लेखांकन मानक, अंतर्राष्ट्रीय विकास जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड द्वारा जारी किए जाते हैं को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाते हैं। इस संबंध में अपनाई गई अप्रोच आईएएस/आईएफआरएस द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप है।

लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय परामर्शी समिति

1.10.6 वर्ष 1999 में, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1999 के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 1956 में लेखांकन मानकों पर राश्ट्रीय परामर्शी समिति की स्थापना करने के लिए उपबंध (धारा 210क) शामिल किए गए। राष्ट्रीय परामर्शी समिति की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कंपनियों अथवा कंपनी समूहों द्वारा अपनाए जाने हेतु लेखांकन नीतियों और लेखांकन मानकों को निर्धारित करने और बनाने के संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। वर्तमान में इस निकाय के अध्यक्ष श्री वाई.एच. मालेगाम, प्रसिद्ध सनदी लेखाकार हैं। समिति के अन्य सदस्यों में शामिल हैं। (क) केंद्रीय सरकार (कारपोरेट कार्य मंत्रालय में), (ख) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, (ग) भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक, (घ) भारतीय रिजर्व बैंक, (ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, (च) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, (छ) भारतीय लागत और कार्य लेखांकन संस्थान, (ज) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, (झ) चैंबर ऑफ कॉमर्स (दो प्रतिनिधि) और (ञ) किसी मान्यता प्राप्त अकादमिक संस्थान से लेखांकन, वित्त अथवा व्यवसाय प्रबंध पृष्ठभूमि वाला एक व्यक्ति।

1.10.7 एनएसीएएस, आईसीएआई द्वारा, लेखांकन मानकों के बारे में कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करने से पहले भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसकी संगतता और अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के आलोक में लेखा मानकों के संबंध में सिफारिशों की जांच करता है।

भारत में लेखांकन मानकों की वर्तमान स्थिति

1.10.8 अब तक निम्नलिखित विषयों पर 29 भारतीय लेखांकन मानक जारी किए गए हैं

लेखांकन मानक 1	लेखांकन नीतियों का प्रकटन
लेखांकन मानक 2	सूचियों का मूल्यांकन
लेखांकन मानक 3	ऋण प्रवाह विवरण
लेखांकन मानक 4	तुलन.पत्र दिनांक के पश्चात होने वाली आकस्मिकताएं और घटनाएं
लेखांकन मानक 5	अवधि के लिए सकल लाभ/हानि, पूर्वावधि मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

लेखांकन मानक 6	लेखांकन ह्रास
लेखांकन मानक 7	निर्माण संविदाएं
लेखांकन मानक 8	अनुसंधान और विकास हेतु लेखांकन (एएस 26 के अनिवार्य होने के अनुशरण में वापस लिया गया)
लेखांकन मानक 9	राजस्व पहचान
लेखांकन मानक 10	अचल आस्तियों के लिए लेखांकन
लेखांकन मानक 11	विदेशी मुद्रा दरों में संशोधन के प्रभाव
लेखांकन मानक 12	सरकारी अनुदान हेतु लेखांकन
लेखांकन मानक 13	निवेश हेतु लेखांकन
लेखांकन मानक 14	समामेलन हेतु लेखांकन
लेखांकन मानक 15	कर्मचारी लाभ
लेखांकन मानक 16	उधार लागत
लेखांकन मानक 17	भाग रिपोर्टिंग

लेखांकन मानक 18	संबंधित पार्टी प्रकटन
लेखांकन मानक 19	लीजें
लेखांकन मानक 20	प्रति शेयर अर्जन
लेखांकन मानक 21	समेकित वित्तीय विवरण
लेखांकन मानक 22	आय पर कर हेतु लेखांकन
लेखांकन मानक 23	समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश हेतु लेखांकन
लेखांकन मानक 24	कार्यचालन समाप्त करना
लेखांकन मानक 25	अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग
लेखांकन मानक 26	अमूर्त आस्तियां
लेखांकन मानक 27	संयुक्त उद्यमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग
लेखांकन मानक 28	आस्तियों की हानि
लेखांकन मानक 29	प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

सीमित देयता साझेदारी विधेयक

1.11 सीमित देयता साझेदारी विधेयक राज्य सभा में दिनांक 15.12.2006 को प्रस्तुत किया गया। इसे वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति को जांच हेतु भेजा गया। स्थायी समिति की रिपोर्ट राज्य सभा के पटल पर 27.11.2007 को रखी गई। समिति की सिफारिशों का परीक्षण किया जा रहा है और संसद के आगामी सत्र में विधेयक को प्रस्तुत करने और पारित होने के लिए आगे कार्रवाई की जा रही है।

अधिसूचना/परिपत्र/प्रेस नोट

1.12.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत लाइसेंसशुदा कंपनियों के संबंध में अधिसूचनाएं जारी की गईः

(i) एमसीए–21 (ई.अभिशासन कार्यक्रम) को लागू करने के अनुसरण में, सभी कंपनियां (धारा 25 की कंपनियों को छोड़कर) के संबंध में रोल चैक को 1 जुलाई, 2007 से लागू किया गया है। एमसीए पोर्टल से ई. फार्म अपलोड करते समय रोल–चैक यह सत्यापित करता है कि ई.फार्म पर किए गए डिजीटल हस्ताक्षर निदेशक, मैनेजर अथवा सचिव के हैं, जैसा कि फार्म डीआईएन 3 और फार्म 32 जिसे कंपनी द्वारा भरा गया है और क्या डीएससी, एमसी, पोर्टल पर पंजीकृत है। ई.फार्म अपलोड नहीं किया जा सकेगा यदि रोल चैक वैधता असफल हो जाती है। निदेशकों के ब्यौरे में पारदर्शिता लाने के लिए और उसमें संशोधन करने के लिए तथा कंपनी धारा 25 के संबंध में दस्तावेजों को अवैध रूप से भरने को रोकने के लिए निदेशकों, प्रबंध निदेशकों, प्रबंधकों अथवा

सचिवों में परिवर्तन/नियुक्ति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 303(2) के अंतर्गत रजिस्ट्रार के साथ फार्म 32 में विवरणी भरने से छूट प्रदान करने को समाप्त कर दिया गया है और इसे 31.12.2007 से लागू कर दिया गया है।

(ii) केंद्र सरकार ने 22.12.1962 की अधिसूचना एसओ 3879 द्वारा अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत लाइसेंसशुदा कंपनी के पंजीकरण हेतु केवल 50 रुपए की फीस निर्धारित की है। समय के साथ. साथ मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की लागत में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए उक्त अधिसूचना को दिनांक 31.12.2007 से विखंडित कर दिया गया है।

1.12.2 सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसरण में, मंत्रालय ने, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों से संबंधित वित्तीय विवरण में विभिन्न मदों का प्रकटन करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों को समर्थ बनाने के लिए दिनांक 16.12.2007 के जीएसआर–719(ई) द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI में संशोधन किया है।

1.12.3 एमसीए.21 को शुरू करने के परिणामस्वरूप ई. अभिशासन परियोजना, रजिस्ट्री संबद्ध सेवाएं स्टेकहोल्डर्स को 24ग 7ग 365 आधार पर उपलब्ध हैं। कार्यक्रम को लागू करने और कंपनी बनाने से संबंधित अनुरोधों के त्वरित निपटान के लिए मंत्रालय ने दिनांक 16.11.2007 के जीएसआर 720(ई) द्वारा कंपनी (केंद्र सरकार का) सामान्य नियमावली फार्म 1956 के नियम 4क में संशोधन किया है।

1.12.4 कंपनी (भारतीय डिपोजिटरी रसीद जारी करना) नियमावली 2004 (आईडीआर नियमावली) वर्ष 2004 में जो विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीय डिपोजिटरी रसीद जारी करने की अनुमति देता है, में दिनांक 11.07.2007 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 480 (ई) द्वारा संशोधन कर दिया है। प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं

(i) पूर्व निवल मालियत और टर्न ओवर आधारित अधिकतम सीमा के स्थान पर आईडीआर इश्यू के लिए निवल मालियत और बाजार पूंजीकरण उच्च सीमा को पात्रता की शर्त के रूप में रखा गया है।

(ii) जारीकर्ता के अपने देश में, स्टॉक एक्सचेंज पर लगातार व्यापार रिकार्ड की पृष्ठभूमि, जो लगातार पिछले तीन वर्षों में रही हो, को नई पात्रता शर्त के रूप में रखा गया है।

(iii) जारीकर्ता के लाभ के संबंध में शर्त को संशोधित किया गया है। नई शर्त में, पिछले पांच वर्षों में से कम से तीन वर्षों के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 के इश्यू में वितरणीय लाभ का ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो, का प्रावधान है।

(iv) पिछले पांच वर्षों के लाभांश के न्यूनतम दर की घोषणा और न्यूनतम 2:1 ऋण इक्विटी अनुपात की पूर्ववर्ती आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

(v) आईडीआर आवेदनों पर सेबी द्वारा अनुमोदन के संबंध में प्रक्रिया को पुनः संरचित तथा समयबद्ध बनाया गया है।

(vi) जारीकर्ता द्वारा ऑफर की जाने वाली आईडीआर की सीमा के संबंध में शर्त को संषोधित किया गया है और अधिक वास्तविक बनाया गया है।

(vii) लगातार प्रकटन के संबंध में आवश्यकता को संशोधित किया गया है।

(viii) सभी स्टॉक एक्सचेंज पर जारी करने वाली कंपनी की पृष्ठभूमि अथवा सूचीकरण, ट्रेडिंग रिकॉर्ड के संबंध में जानकारी चाहे वह इसके वर्तमान देश में स्थित हों अथवा कहीं और स्थित हो, जारीकर्ता द्वारा अपने ऑफर डाक्यूमेंट में प्रकट करनी आवश्यक है।

1.12.5 कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2007 से दिसम्बर 2007 के दौरान निम्नलिखित अधिसूचनाएं/परिपत्र प्रेस नोट जारी किए गए हैं

क. अधिसूचनाएं

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	दिनांक	विषय
1.	जीएसआर–272(ई)	05.04.2007	कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 294कक के अंतर्गत सामान की कुछ श्रेणियों के लिए एकमात्र बिक्री अभिकर्ता की नियुक्ति पर प्रतिबंध के संबंध में अधिसूचना।
2.	एस.ओ.–636(ई)	24.04.2007	लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय परामर्शी समिति के गठन के संबंध में दिनांक 20.03.2007 की अधिसूचना संख्या एस.ओ.–339(ई) में संशोधन।
3.	जीएसआर–399(ई)	30.05.2007	कंपनी (केंद्र सरकार (की) सामान्य नियमावली और फार्म्स (संशोधन) नियमावली, 2007 की अधिसूचना।
4.	जीएसआर–448(ई)	28.06.2007	सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 के अंतर्गत गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड का गठन।
5.	जीएसआर–480(ई)	11.07.2007	कंपनी (भारतीय डिपोजिटरी रसीद जारी करना) नियमावली, 2004 की समीक्षा तथा संशोधन।
6.	जीएसआर–489(ई)	13.07.2007	कंपनी सचिव (चुनाव अधिकरण) नियमावली, 2006 के अंतर्गत अधिकरण का गठन।
7.	जीएसआर–490(ई)	13.07.2007	कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड का गठन।
8.	जीएसआर–500(ई)	24.07.2007	कंपनी (केंद्र सरकार की) सामान्य नियमावली तथा फार्म्स (दूसरा संशोधन) नियमावली, 2007 की अधिसूचना।
9.	एस.ओ.–1291(ई)	30.07.2007	कंपनी रजिस्ट्रार तमिलनाडु को कंपनी रजिस्ट्रार संघ राज्य क्षेत्र अंडमान द्वीप समूह के रूप में नियुक्त करना।
10.	एस.ओ.–1583(ई)	20.09.2007	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क के अंतर्गत दो और कंपनियों की सार्वजनिक वित्त संस्थान के रूप में घोषणा।
11.	जीएसआर–611(ई)	20.09.2007	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क के अंतर्गत निधि कंपनी के रूप में 42 और कंपनियों की घोषणा।
12.	एस.ओ.–1693(ई)	03.10.2007	लागत एवं सकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 के अंतर्गत गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड के गठन की अधिसूचना।
13.	एस.ओ.–1745(ई)	12.10.2007	दिनांक 09.03.2007 की अधिसूचना संख्या एस.ओ.–339 (ई) में संशोधन।

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	दिनांक	विषय
14.	एस.ओ.–1746(ई)	12.10.2007	प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 की धारा 1 की अधिसूचना।
15.	एस.ओ.–1747(ई)	12.10.2007	प्रतिस्पर्धा (संशोधनं) अधिनियम, 2007 की विभिन्न धाराओं की अधि सूचना।
16.	जीएसआर–719(ई)	16.11.2007	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 में संशोधन किया गया।
17.	जीएसआर–720(ई)	16.11.2007	कंपनी (केद्र सरकार की 1890) सामान्य नियमावली ई.फार्म, 1956 के नियम 4 को संशोधित किया गया।
18.	एस.ओ.–2007(ई)	29.11.2007	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क के अंतर्गत कंपनी की सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में घोषणा।
19.	एस.ओ.–2104(ई)	05.12.2007	लागत एवं सकर्म लेखाकार (चुनाव अधिकरण) नियमावली, 2006 के अंतर्गत अधिकरण का गठन।
20.	एस.ओ.–2167(ई)	20.12.2007	प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 की धारा 1 की उपधारा (2) की अधिसूचना।
21.	एस.ओ.–2218(ई)	28.12.2007	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत लाइसेंसशुदा कंपनियों के संबंध में दिनांक 22.12.1962 का विखंडन संख्या एस.आ.–3879(ई)।
22.	एस.ओ.–2219(ई)	28.12.2007	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत लाइसेंसशुदा कंपनियों के संबंध में दिनांक 01.07.1961 की अधिसूचना संख्या एस.ओ.–1578(ई) में संशोधन।

ख. सामान्य परिपत्र

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	दिनांक	विषय
1.	05 / 2007	11.04.2007	कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 294कक के अंतर्गत सामान की कुछ श्रेणियों के लिए एकमात्र बिक्री अभिकर्ता की नियुक्ति पर प्रतिबंध के संबंध में अधिसूचना।
2.	06 / 2007	01.06.2007	लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय परामर्शी समिति के गठन के संबंध में 03. 2007 की अधिसूचना संख्या एस.ओ.–339(ई) में संशोधन।
3.	07 / 2007	06.06.2007	कंपनी (केद्र सरकार की) सामान्य नियमावली और फार्म्स (संशोधन) नियमावली, 2007 की अधिसूचना।

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	दिनांक	विषय
4.	08 / 2007	03.07.2007	सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 के अंतर्गत गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड का गठन।
5.	09 / 2007	19.07.2007	कंपनी (भारतीय डिपोजिटरी रसीद जारी करना) नियमावली, 2004 की समीक्षा तथा संशोधन।
6.	10 / 2007	24.07.2007	कंपनी सचिव (चुनाव अधिकरण) नियमावली, 2006 के अंतर्गत अधि करण का गठन। कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड का गठन।
7.	11 / 2007	03.08.2007	कंपनी (केंद्र सरकार की) सामान्य नियमावली तथा फार्म्स (दूसरा संशोधन) नियमावली, 2007 की अधिसूचना। कंपनी रजिस्ट्रार तमिलनाडु को कंपनी रजिस्ट्रार संघ राज्य क्षेत्र अंडमान द्वीप समूह के रूप में नियुक्त करना।
8.	12 / 2007	26.09.2007	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क के अंतर्गत कंपनी की सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में घोषणा। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क के अंतर्गत निधि कंपनी के रूप में 42 और कंपनियों की घोषणा।
9.	13 / 2007	27.09.2007	कंपनी द्वारा डोक्यूमेंट प्रस्तुत करने के लिए समय विस्तार और अतिरिक्त फीस लगाने के बारे में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 141 के अंतर्गत कंपनी विधि बोर्ड का आदेश।
10.	14.2007	24.10.2007	लागत एवं सकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 के अंतर्गत गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड के गठन की अधिसूचना। दिनांक 09.03.2007 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. / 339(ई) में संशोधन। प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 की धारा 1 की अधिसूचना। प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 की विभिन्न धाराओं की अधिसूचना।
11.	15.2007	30.11.2007	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसरण मे, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 में संशोधन किया गया। कंपनी (केंद्र सरकार की) सामान्य नियमावली ई.फार्म, 1956 के नियम 4 को संशोधित किया गया।
12.	16.2007	27.12.2007	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क के अंतर्गत कंपनी की सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में घोषणा। लागत एवं सकर्म लेखाकार (चुनाव अधिकरण) नियमावली, 2006 के अंतर्गत अधिकरण का गठन।
13.	17.2007	31.12.2007	प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 की धारा 1 की उपधारा (2) की अधिसूचना।''

ग. प्रेस नोट

क्र.सं.	नोट संख्या	दिनांक	विषय
1.	02/2007	17.07.2007	कंपनी (भारतीय डिपोजिटरी रसीद जारी करना) नियमावली, 2004 की समीक्षा तथा संशोधन।

मंत्रालय की वेबसाइट

1.13.1 मंत्रालय की नई वेबसाइट (http://www-mca-gov-in) अब पहले की वेबसाइट (www-dca-nic-in) के स्थान पर कार्यशील रही है। इसमें मंत्रालय के संगठन, प्रकाशनों, परिपत्र, अधिसूचनाएं, नागरिक चार्टर, वार्षिक रिपोर्ट, मासिक निगमित वृद्धि, संसदीय प्रश्न तथा उनके उत्तर और मंत्रालय द्वारा गठित विभिन्न समितियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों पर उपयोगी जानकारी समाविष्ट है। यह वेबसाइट पैरा 1.5.1 में वर्णित की गई एमसीए–21 परियोजना के अंतर्गत सारी ई–सेवाओं को भी मुहैया कराती है।

1.13.2 आरओसी के कार्यालयों के पास उपलब्ध निगमित सूचना के प्रसार को बढ़ावा देने के अपने प्रयास को पूरा करने के लिए निम्नलिखित के संबंध में खोज सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं:

(i) कंपनी निदेशिका
(ii) पंजीकरण हेतु अनुमोदित नाम
(iii) आरओसी शुल्क गणना
(iv) आरओसी फार्म।

मंत्रालय का नागरिक चार्टर

1.14 कारपोरेट कार्य मंत्रालय का नागरिक चार्टर मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। चार्टर में उल्लिखित हमारी प्रतिबद्धताएं, अपेक्षाएं तथा मानक नीचे दिए गए हैं

नागरिक चार्टर

"हमारी प्रतिबद्धताएं

हम अपने कार्य

सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता
सदभाव और समझदारी,
स्पष्टता और पारदर्शिता
स्वच्छता और कुशलता
के साथ पूरा करेंगे।

हमारी अपेक्षाएं

हम निगमित क्षेत्र के अपने कर्तव्य और विधिक बाध्यताएं पूरा करने में शीघ्रता एवं औचित्यपूर्ण होने तथा हमें सूचना उपलब्ध कराने में सत्यनिष्ठ होने तथा ईमानदारी रखने की अपेक्षा करते हैं।

हमारे मानक

हम

- आवेदनों, विवरणियों और सभी पत्रों आदि की उनके प्राप्त होने के 7 दिनों के अंदर पावती भेजेंगे।
- एजेंसियों के साथ नजदीकी सहयोग के पत्रों और शेयर/डिबेंचर प्रमाण–पत्रों के आवंटन जारी करने में विलंब आवेदनों से प्राप्त राशि को लौटाने, शेयरों के हस्तांतरण में विलंब और लाभांशों/शेयरों/डिबेंचरों/सावधिक जमाओं आदि पर ब्याज के गैर. भुगतान से संबंधित शिकायतों का तत्परता से निपटान करेंगे।
- सुनिश्चित करेंगे कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय, प्रादेशिक निदेशकों और कंपनी रजिस्ट्रारों को प्रस्तुत किए गए सभी आवेदनों पर निश्चित समय के अंदर कार्रवाई की जाए।
- शिष्टाचारी, त्वरित, प्रभावी होंगे और समयबद्ध/सेवाएं प्रदान करेंगे।
- बिना किसी शुल्क या कानून द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक के अलावा किसी राशि की मांग किए बिना सभी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।"

अध्याय – 2

संगठनात्मक ढांचा और कार्यकलाप

संगठनात्मक ढांचा

2.1.1 मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा तीन चरण में है अर्थात नई दिल्ली स्थित सचिवालय, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और नोएडा में क्षेत्रीय निदेशालय तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कंपनी पंजीयक के कार्यालय हैं और देश में कार्यरत उच्च न्यायालय से सम्बद्ध शासकीय परिसमापक हैं। मुख्यालय के संगठन के अंतर्गत दो निदेशक जांच तथा अन्वेषण तथा कर्मचारीवृन्द, अनुसंधान एवं सांख्यिकीय हेतु एक आर्थिक सलाहकार और कानून, लेखांकन, आर्थिक एवं सांख्यिकीय मामलों के संबंध में विशेष परामर्श देने वाले अन्य अधिकारी हैं। इस मंत्रालय के मंत्री कार्यालय तथा अधिकारियों के नाम तथा दूरभाष की सूची **अनुबंध–1** में दी गई है।

2.1.2 चार क्षेत्रीय निदेशक जो अपने संबंधित क्षेत्रों के प्रभारी हैं, जिनमें कई राज्य और संघ शासित क्षेत्र सम्मिलित हैं, अन्य बातों के साथ–साथ अपने–अपने प्रदेशों में कार्यरत कंपनी पंजीयकों और शासकीय समापकों के कार्यालयों में होने वाले कामकाज का पर्यवेक्षण करते हैं। वे कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रशासन संबंधी मामलों के संबंध में राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के बीच सम्पर्क भी बनाए रखते हैं। कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की कुछ शक्तियां क्षेत्रीय निदेशकों को प्रत्यायोजित की गई हैं जिनका कि वे अपने–अपने प्रदेशों में प्रयोग करते हैं। उनको विभागाध्यक्ष भी घोषित किया गया है और तदनुसार उन्हें उचित प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां सौंपी गई हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 209क के अधीन कंपनियों की लेखा बहियों का निरीक्षण करने के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय निदेशक के कार्यालय के साथ एक निरीक्षण यूनिट भी है।

2.1.3 कंपनी अधिनियम की धारा 609 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के लिए नियुक्त कंपनी रजिस्ट्रारों का संबंधित राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में कार्य कर रही कंपनियों के पंजीकरण करने का प्राथमिक कर्तव्य होता है और उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि ये कंपनियां अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक अपेक्षाओं का पालन भी कर रही हैं। उनके कार्यालय वहां पंजीकृत कंपनियों से संबंधित अभिलेखों की रजिस्ट्री के रूप में कार्य करते हैं।

2.1.4 क्षेत्रीय निदेशकों व कंपनी रजिस्ट्रारों की सूची, उनके पते के साथ **अनुबंध–2** पर दी गई है। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट **अनुबंध–3** पर और प्रमुख अधिकारियों की सूची **अनुबंध–4** पर दी गई है।

2.1.5 शासकीय परिसमापक कंपनी अधिनियम की धारा 448 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं तथा विभिन्न उच्च न्यायालय से सम्बद्ध हैं। शासकीय परिसमापक क्षेत्रीय निदेशक के प्रशासनिक प्रभार के अंतर्गत आते हैं जो इनके कार्य का केन्द्र सरकार की ओर से पर्यवेक्षण करते हैं। तथापि, कंपनियों को बंद किए जाने के कार्यों में शासकीय परिसमापक उच्च न्यायालयों के निर्देशों के अंतर्गत आते हैं।

कंपनी विधि बोर्ड

2.2 केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 31.5.1991 की अधिसूचना सं.–364 के द्वारा एक स्वतंत्र कंपनी विधि बोर्ड का गठन किया है। यह बोर्ड एक अर्ध–न्यायिक निकाय है जिसके पास कुछ ऐसी न्यायिक तथा अर्ध–न्यायिक शक्तियां है जिनका उपयोग पहले उच्च न्यायालय अथवा केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता था। बोर्ड केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में

नहीं है और उसे शक्तियां प्राप्त हैं कि वह अपने स्वयं की पद्धति और विवेक से स्वतंत्रतापूर्वक व्यवहार करे। बोर्ड का मुख्यालय दिल्ली में है तथा दक्षिणी राज्यों के लिए चेन्नई में अतिरिक्त मुख्य खंडपीठ है और दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई और चेन्नई में चार क्षेत्रीय खंडपीठ स्थित हैं।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग

2.3 कारपोरेट कार्य मंत्रालय का एक सम्बद्ध सांविधिक कार्यालय एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (एमआरटीपी आयोग) है जो एक अर्ध–न्यायिक निकाय है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 5 के अंतर्गत स्थापित एमआरटीपी आयोग, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने कार्य का निर्वहन कर रहा है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग का मुख्य कार्य अवरोधक व्यापार व्यवहार के संबंध में जांच करना तथा समुचित कार्रवाई करना है। अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के मामले में, आयोग को धारा 10(ख) के अंतर्गत ऐसे व्यवहारों, जैसे कि (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा संदर्भित या (2) अपने स्वयं की जानकारी या सूचना पर, की जांच करने की और आगे कार्रवाई के लिए अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

जांच एवं पंजीकरण महानिदेशक

2.4.1 जांच एवं पंजीकरण महानिदेशक के कार्यालय की स्थापना वर्ष 1984 में एकाधिकार, अवरोधक तथा अनैतिक व्यापार प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित करने ताकि देश में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के इसके उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, के लिए एमआरटीपी अधिनियम, 1969 के अंतर्गत कुछ सांविधिक कार्यों तथा ड्यूटी को निष्पादित करने के लिए किया गया था। इस अधिनियम में पिछले 38 वर्षों के दौरान समय–समय पर संशोधन किए गए हैं और वर्ष 1984 तथा 1991 में काफी संशोधन किए गए थे। भारत सरकार ने विद्यमान एमआरटीपी अधिनियम 1969 को प्रतिस्थापित करने के लिए अब "प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002" अधिनिगमित किया है। नए अधिनियम में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 20.1. 2007 के निर्णय के निदेशानुसार प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा आवश्यक संशोधन किए गए है। तथापि, उक्त अधिनियम को अभी अधिसूचित किया जाना है। अद्यतन तिथि तक एमआरटीपी अधिनियम, 1969 के प्रावधान प्रचलन में हैं और यह कार्यालय अधिनियम में विहित अपने सांविधिक कार्यों तथा ड्यूटी को निष्पादित करने को जारी रखे हुआ है।

2.4.2 जांच एवं पंजीकरण महानिदेशक के कार्य

जांच :

(क) अधिनियम की धारा 11 तथा 36सी के अंतर्गत प्रारम्भिक जांच करना और एमआरटीपी आयोग के विचार हेतु प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना ;

(ख) अवरोधक, एकाधिकारी तथा अनैतिक व्यापार प्रक्रियाओं की स्वतः प्रारम्भिक जांच करना और जहां ऐसी जांच के आधार पर उपयुक्त हो धारा 10(क)(3), 10(ख) तथा 36ख(ग) के अंतर्गत आयोग के समक्ष आवेदन दायर करना ;

(ग) आयोग के निदेशानुसार किसी भी व्यापार प्रक्रिया जोकि एकाधिकारी, अवरोधक अथवा अनैतिक व्यापार प्रक्रिया होती हो अथवा उसमें योगदान देती हो, का अध्ययन करना, जांच करना तथा उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

पंजीकरण :

(क) अधिनियम की धारा 33(1) के अंतर्गत आने वाली अवरोधक व्यापार प्रक्रियाओं से संबंधित धारा 35 के अंतर्गत समझौते प्राप्त करना ;

(ख) निर्धारित प्रारूप में समझौतों का एक रजिस्टर रखना और उसमें पंजीकरण के अधीन समझौतों के ब्यौरों की प्रविष्टियां करना (धारा 36(1)) ;

(ग) एमआरटीपी आयोग के निदेशानुसार प्रविष्टि करने के लिए रजिस्टर के एक विशेष खंड को बनाना (धारा 36(2) तथा (3)) ;

(घ) अवरोधक व्यापार प्रक्रियाओं से संबंधित निबंधन एवं शर्तों वाले समझौतों के पंजीकरण से संबंधित धारा 35 के प्रावधानों के गैर–अनुपालन हेतु धारा 48 के अंतर्गत अभियोजन हेतु कार्रवाई प्रारम्भ करना ;

(ङ) जनता को समझौतों के रजिस्टर को जांच हेतु प्रस्तुत करना और विधिवत प्रमाणित सार की एक प्रति मुहैया करवाना (धारा 65) ;

(च) समझौतों के पक्षों से जहां कहीं आवश्यक हो और जानकारी मंगवाना जोकि पंजीकरण के अधीन होगी (धारा 42) ;

(ज) अवरोधक व्यापार प्रक्रियाओं से संबंधित खंडों को समाविष्ट करने वाले समझौतों अथवा महानिदेशक (आई एंड आर) के संज्ञान में आने वाली किसी अन्य सूचना के आधार पर उत्पन्न होने वाली अवरोधक व्यापार प्रक्रियाओं में जांच हेतु एमआरटीपी आयोग के समक्ष धारा 10(क)(3) के अंतर्गत आवेदन दायर करना ;

(झ) आयोग द्वारा अवरोधक अथवा अनैतिक व्यापार प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, के संबंध में पारित प्रत्येक आदेश की विहित तरीके से रिकार्ड करना (धारा 19)।

उपभोक्ता सुरक्षा :

(क) उपभोक्ता संस्थाओं, व्यक्तियों आदि से अवरोधक, अनैतिक तथा एकाधिकारी व्यापार प्रक्रियाओं के प्रति शिकायतें प्राप्त करना और शिकायतों के समाधान हेतु उन पर आवश्यक कार्रवाई करना ;

(ख) उपभोक्ता सुरक्षा से सम्बद्ध उपभोक्ता संस्थाओं और अन्य निकायों को अवरोधक, एकाधिकारी तथा अनैतिक व्यापार प्रक्रियाओं के प्रति उपभोक्ता बचाव हेतु एमआरटीपी अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में शिक्षित करना।

जांच हेतु अभियोजन :

(क) जनहित के रक्षक के तौर पर एमआरटीपी आयोग के समक्ष एकाधिकारी, अवरोधक तथा अनैतिक व्यापार प्रक्रियाओं के विरूद्ध जांच में सभी कार्यवाही को करना;

(ख) आयोग के आदेशों के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत दायर सभी अपीलों पर मुकदमा लड़ना ;

(ग) अवरोधक, एकाधिकारी तथा अनैतिक व्यापार प्रक्रियाओं के विरूद्ध जनहित की रक्षा के लिए देश में विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष दायर रिट याचिकाओं पर मुकदमा लड़ना और आयोग के आदेशों का बचाव करना।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

2.5.1 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्य संचालन के संबंध में प्रतिस्पर्धा समर्थन और प्रशासनिक उपायों से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए जाने वाले विभिन्न मसौदा विनियमनों को तैयार करने की प्रक्रिया में भी लगा हुआ है। इसके सांविधिक कार्य को प्रवाही ढंग से करने को सक्षम बनाने के लिए आयोग द्वारा पहचाने गए प्रमुख क्षेत्रों में एक है पेशवर तथा सहायक स्टाफ की भर्ती करना।

क) विनियमन

यह अधिनियम आयोग को इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विनियमन बनाने का अधिकार प्राप्त करता है। आयोग के पूरी तरह गठित होने पर इसके द्वारा विचारार्थ और अपनाए जाने हेतु विनियमन का मसौदा तैयार करने को हाथ में लिया गया है। आयोग द्वारा निम्नलिखित मसौदा विनियमन तैयार किए गए हैं और व्यापक परामर्श और स्टेकहोल्डर की टिप्पणियों के लिए वेबसाइट पर रखे गए हैं :

i) सामान्य विनियमन (संशोधन)

ii) सम्मिलित विनियमन

iii) सदयता विनियमन

iv) बैठक विनियमन

ख) आंतरिक संदर्भ सामग्री

आयोग ने 'आंतरिक संदर्भ सामग्री' तैयार करवाई है जो अधिनियम के प्रवर्तन अनुबंधों पर है और इन मामलों में जांच और अन्वेषण में आयोग और स्टाफ को सहायता प्रदान करती है। कार्टल सहित प्रति–प्रतिस्पर्धा समझौतों पर आंतरिक संदर्भ सामग्री तैयार की गई है और सम्मिलन पर सामग्री तैयार की जा रही है।

ग) स्टाफ के लिए आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

आयोग ने स्टाफ के लिए तीन–तीन घंटों के 11 सत्रों वाले संचरनात्मक आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थापना की है। यह प्रशिक्षण साप्ताहिक आधार पर 14 सितम्बर, 2007 से 30 नवम्बर, 2007 तक आयोजित किया गया। इस आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सात अधिकारियों सहित कुल सहभागिता 34 थी।

घ) अन्वेषण मैनअुल

अन्वेषण मैनअुल को कार्यालय में ही तैयार किया गया है यह अन्वेषण कार्य करने वाले महानिदेशक के कार्यालय के अधिकारियों की सहायता के लिए है और इसके द्वारा क्रमवार दिशा निर्देश दिए जाने की आशा है। इस संबंध में, भारत में, सीबीआई, एसएफआईओ, डीआरआई, डीजीसीईआई और डीजीआईटी जैसी विभिन्न जांच एजेंसियों/संगठनों के साथ आर्थिक अन्वेषण में अनिवार्य तत्वों पर चर्चा करने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

ङ) प्रतिस्पर्धा फोरम

यह फोरम आयोग के स्टाफ के लिए क्षमता निर्माण हेतु एक माध्यम के रूप में कार्य करती है तथा प्रतिस्पर्धा से संबंधित पहलुओं के संबंध में परिचर्चा विष्लेशण और चर्चा हेतु एक मंच उपलब्ध कराती है। जाने–माने विशेषज्ञ जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, प्रतिस्पर्धा संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। अब तक प्रतिस्पर्धा फोरम के 47 सत्र किए जा चुके हैं। फोरम का ब्यौरा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

च) 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) के लिए प्रतिस्पर्धा नीति कार्य समूह

योजना आयोग ने श्री विनोद ढल, सदस्य तथा कार्यवाहक अध्यक्ष, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्षता में, प्रतिस्पर्धा नीति पर एक कार्यदल गठित किया है। कार्यदल ने योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट फरवरी, 2007 को सौंप दी है।

प्रतिस्पर्धा सहायता

2.5.2 आयोग विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों, नियंत्रकों, राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों के साथ प्रतिस्पर्धा सहायता लेने में संलग्न रहा है। इसके सहायता कार्य के भाग रूप में, आयोग ने विधायन और नियंत्रक नीतियों और क्षेत्रीय नियंत्रकों की प्रथाओं हेतु कुछ प्रस्तावों पर अपना दृष्टिकोण दिया है जिनका प्रभाव बाजार प्रतिस्पर्धा पर पड़ता है। इस अवधि के दौरान आयोग ने अन्य बातों के साथ–साथ अपनी टिप्पणी, भारतीय डाक कार्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2007, भंडारण (विकास और विनियमन) विधेयक 2006, पोत परिवहन व्यापार प्रथा विधेयक 2007 और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस रेगुलेटरी विधेयक 2005 के मसौदे पर दी है।

2.5.3 सीसीआई ने बहुत से नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और अन्य स्टेकहोल्डरर्स तथा संगठनों को प्रतिस्पर्धा मामलों पर प्रस्तुतीकरण भी दिया है।

2.5.4 आयोग ने राज्य सरकारों के साथ भी प्रतिस्पर्धा सहायता पर कार्य किया है। इसके एक सुझाव के रूप में, सभी राज्य सरकारों ने प्रतिस्पर्धा कानून तथा नीति के लिए नोडल विभाग/नोडल अधिकारी नामित किए हैं। नोडल

अधिकारियों के साथ दो कार्यशालाएं की गई है जहां इस बात पर सहमति हुई है कि राज्य सरकारों को कुछ क्षेत्रों में अपनी नीतियों/कानूनों की समीक्षा करनी चाहिए। पांच राज्यों – हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल ने प्रतिस्पर्धा कानून पर अपनी सलाहकार परिषद गठित की है।

2.5.5 आयोग को बाजार अध्ययन/अनुसंधान परियोजनाओं के स्कोप/मापदंड को पारिभाषित करने और उपयुक्त अनुसंधान संस्थान/अनुसंधानकर्ता का चयन करके उनकी पहचान करने में सलाह देने और निर्देश देने के लिए डा. विजय एल. केलकर की अध्यक्षता में बाजार अध्ययन/अनुसंधान परियोजना पर एक सलाहकार समिति का भी गठन किया गया था। इन अध्ययनों से आयोग को बाजार के विभिन्न क्षेत्रों के ढांचे और उसके अंतर्गत स्थित व्यापार प्रथाओं के अंदर देखने में मदद मिलती है तथा साथ ही अनुसंधानकर्ताओं हेतु प्रतिस्पर्धा कानून और नीति के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए यह एक माध्यम के रूप में काम करता है।

2.5.6 अत्यधिक विचार–विमर्श के पश्चात, आधारभूत सुविधाएं, लेखांकन पहलु, बौद्धिक सम्पदा अधिकार, प्रतिस्पर्धा पर फिस्कल नीति का प्रभाव, व्यापार अवरोधक, एंटी डम्पिंग, सार्वजनिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, सरकार द्वारा खरीद, विनियमित उद्योग में प्रतिस्पर्धा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा मुद्दों के संबंध में अनुसंधान हेतु प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में परामर्शीय समिति द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गई है।

2.5.7 आयोग द्वारा पूरे देश में विशेषज्ञ की टिप्पणियों के आधार पर अंतिम रूप देने से पहले मसौदे के रूप में अध्ययनों के परिणाम का व्यापक प्रसार करने के लिए दिल्ली में 14 से 15 मार्च, 2007 को विश्व बैंक समूह की वित्तीय निवेश सलाहकार सेवा तथा यूनाइटिड किंग डम सरकार के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के सहयोग से 'भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा की स्थिति' पर एक दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय

2.6.1 एसएफआईओ एक बहु खंडीय अन्वेषण एजेंसी है जिसमें बैंकिंग क्षेत्र, पूंजी बाजार, कंपनी विधि, सामान्य विधि, फोरंसिक लेखा परीक्षा, कराधान, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञ कंपनी धोखाधड़ी को रोकने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। वर्तमान में एसएफआईओ कंपनी अधिनियम की धारा 235 से 247 तक उपबंधों के अंतर्गत अन्वेषण कार्य कर रहा है। तथापि, जैसाकि मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है दूसरे चरण में एसएफआईओ के लिए एक पृथक विधान, पर्याप्त अधिकार और संगठन तक पहुंच बनाने के लिए बनाया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए एमसीए द्वारा वेपा कामेसन समिति की स्थापना एसएफआईओ के लिए एक पृथक विधान बनाने की आवश्यकता को देखने और समुचित सिफारिश करने के लिए की गई है।

2.6.2 एसएफआईओ उन धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की जांच करता है जो – (क) जटिल और अर्न्त–विभागीय और बहुखंडीय प्रकृति, (ख) जनहित के पर्याप्त रूप से शामिल होने का निर्णय इसके आकार चाहे वह धनराशि का दुरूपयोग अथवा किसी व्यक्ति के प्रभावित होने के संबंध में हो किया जाता है, और (ग) अन्वेषण की संभावना जो प्रणाली, विधि अथवा प्रक्रिया में स्पष्ट सुधार में योगदान देने के लिए हो।

2.6.3 एसएफआईओ विभाग का अध्यक्ष एक निदेषक होता है वह भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी होता है। उसके नीचे अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, वरिष्ठ सहायक निदेशक और सहायक निदेशक होते हैं जो किसी मामले के अन्वेषण हेतु एक दल तैयार करते हैं। एसएफआईओ का मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी एक शाखा मुम्बई में है। वर्तमान में, अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक के 14 स्वीकृत पद, और वरिष्ठ सहायक निदेशक और सहायक निदेशक के 33 स्वीकृत पद हैं। इन पदों में से अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक का एक पद और सहायक निदेशक के दो पद मुम्बई शाखा कार्यालय के लिए स्वीकृत हैं। वर्तमान में, 11 अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक

और वरिष्ठ सहायक निदेशक/सहायक निदेशक दिल्ली कार्यालय में तैनात है और एक अतिरिक्त निदेशक तथा एक सहायक निदेशक मुम्बई कार्यालय में तैनात है। जब भी कंपनी अधिनियम की धारा 235 अथवा 237 के अंतर्गत अन्वेषण हेतु मंत्रालय द्वारा कोई केस भेजा जाता है तो विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए अधिकारियों से एक टीम बनायी जाती है जिसका मुखिया अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक होता है जो उस मामले की जांच करता है और अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपता हैं। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद मंत्रालय द्वारा अभियोजन की स्वीकृति दी जाती है और तत्पश्चात मंत्रालय द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार, एसएफआईओ द्वारा सक्षम न्यायालय में अभियोजन दायर किया जाता है।

लागत लेखा–परीक्षा शाखा

2.7 कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत लागत लेखा परीक्षा शाखा में भारतीय लागत लेखा सेवा से पेशवर व्यक्तियों को लिया जाता है और यह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209(1)(घ) तथा 233ख पर कार्य करती है। शाखा धारा 209(1)(घ) के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों/उत्पादों के लिए लागत लेखा लेखांकन रिकार्ड नियमावली तैयार करती है और इसे अधिसूचित करती है। यह नियमावली उस विधि को निर्धारित करती है जिसमें कंपनियों की विनिर्दिष्ट श्रेणी द्वारा लागत रिकार्ड का अनुरक्षण किया जाता है। शाखा द्वारा प्रौद्योगिकी, विनिर्माण प्रक्रिया और लेखांकन मानकों में आए बदलाव को दिखाने के लिए वर्तमान सीएआरआर की तर्कसंगतता पर कार्य किया जाता है। धारा 233ख के अंतर्गत मंत्रालय की पूर्व अनुमति से निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखा परीक्षक से लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट नियमावली के तदनुसार लागत रिकार्ड की लागत लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए कंपनियों को आदेश जारी किए जाते हैं।

विनिवेश प्रकोष्ठ

2.8 कारपोरेट कार्य मंत्रालय साधारणतया कंपनी विधि के दृष्टिकोण से विनिवेश विभाग अथवा प्रशासकीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा इसे भेजे गए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के विनिवेश से संबंधित प्रस्तावों/मामलों की जांच करता है।

सूचना का अधिकार निगरानी प्रकोष्ठ

2.9.1 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय में 5.10.2005 से एक निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है जो विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त जानकारी हेतु अनुरोधों का रिकार्ड रखता है और सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत समय–सीमा के भीतर ऐसे अनुरोधों पर कार्यवाही/अंतिम निपटान की प्रगति पर निगरानी रखता है।

2.9.2 आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार मंत्रालय तथा इसके सभी क्षेत्र/सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए सी.पी.आई.ओ. तथा अपीलीय अधिकारी पदनामित किए गए हैं।

2.9.3 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 (3) के अंतर्गत 1.4.06 से 31.3.2007 तक केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रस्तुत की सूचना के अनुसार, मंत्रालय और इसके सभी क्षेत्र/सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय द्वारा आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत कुल 1080 आवेदन तथा आवेदन शुल्क के रूप में 27523 रू. प्राप्त किए गए। इनमें से 12 अपीलों को केन्द्रीय सूचना आयोग को समीक्षा हेतु भेजा गया।

2.9.4 2 मामलों में सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारियों पर सीआईसी द्वारा 25000 रू. का जुर्माना लगाया गया। तथापि, 1 मामले में मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया, अन्य मामले में सीआईसी ने स्वयं अपने आदेश के कार्यान्वयन पर समीक्षा हेतु स्थगन आदेश दिया। एमसीए के आरटीआई निगरानी प्रकोष्ठ के अन्य कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं –

क. जैसाकि आरटीआई अधिनियम 2005 में अपेक्षित है, आरटीआई से संबंधित सभी मामलों पर एमसीए की वेबसाइट पर अद्यतन सूचना रखी जाती है।

ख. एमसीए द्वारा आरटीआई के कार्यान्वयन में प्रगति पर सीआईसी को नियमित तथा अद्यतन सूचना/रिपोर्ट प्रदान करना।

ग. आरटीआई 2005 से संबंधित मामलों पर जीआईसी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सभी कार्यालय आदेशों/परिपत्रों का एमसीए में व्यापक परिचालन।

घ. एमसीए से संबंधित आरटीआई के मामलों पर कैबिनेट नोट/सचिवों के समिति के लिए नोट हेतु एमसीए को जानकारी उपलब्ध कराना।

ङ. एमसीए के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आर टी आई अधिनियम से जुड़े मुद्दों के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना।

जेंडर (लिंग भेद) बजट प्रकोष्ठ

2.10 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने सरकार के बजट में जेंडर विश्लेषण की सुविधा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक जेंडर प्रकोष्ठ स्थापित किया है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय की जेंडर बजट प्रकोष्ठ द्वारा मंत्रालय की विभिन्न शाखाओं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों, और सम्बद्ध कार्यालयों तथा पेशेवर संस्थानों से कारपोरेट कार्य मंत्रालय में जेंडर प्रतिनिधित्व पर सूचना/डाटाबेस प्रणाली बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। कारपोरेट कार्य मंत्रालय में जेंडर बजट प्रकोष्ठ का उद्देश्य है, कारपोरेट क्षेत्रोन्मुख नीतियां समानता तथा महिला अधिकारिता के मुद्दों को कैसे प्रभावित करती है इसे ध्यान में रखते हुए बजट आवंटन में जेंडर संवेदनशीलता की बढ़ती जागरूकता में गति लाना। जेंडर बजट प्रकोष्ठ द्वारा सरकारी विभागों में विकासात्मक कार्यक्रमों तथा साथ ही अन्य देशों में प्राथमिकता तथा जेंडर विशिष्ट आवश्यकताओं की श्रेष्ठ प्रथाओं का अध्ययन किया जाएगा।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिग्रहण/राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिग्रहण

2.11 कंपनी (द्वितीय) संशोधन 2002 में एनसीएलटी/एनसीएलएटी से संबंधित संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराया गया था। एनसीएलटी में परिसमापन और बंद करने, समामेलन और मिलाने के संबंध में कंपनी विधि बोर्ड, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड तथा उच्च न्यायालय के साथ कार्य तथा अधिकारों का प्रयोग करने की व्यवस्था है। तथापि, एनसीएलटी/एनसीएलएटी के गठन को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई जिसने अप्रैल, 2004 में अपना निर्णय दिया। तत्पश्चात, केन्द्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक एसएलपी दायर की गई। एसएलपी पर उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनवाई की गई जिसके पश्चात यह मामला शीर्ष न्यायालय द्वारा संविधान खंडपीठ को भेज दिया गया। परिणामस्वरूप एनसीएलटी/एनसीएलएटी की स्थापना अभी तक नहीं की जा सकी है।

अध्याय –3

कंपनी अधिनियम, 1956 और इसका प्रशासन

3.1 कंपनियां अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हमारे देश में, कंपनी अधिनियम, 1956 मुख्यतः कंपनियों के गठन, परिसमापन से लेकर समाप्ति तक विभिन्न कार्यकलापों को नियंत्रित करता है। अधिनियम में विभिन्न संगत पहलुओं जिसमें कंपनियों के संगठनात्मक, वित्तीय तथा प्रबंधकीय पहलू शामिल हैं, के संबंध में नियामक ढांचा विहित है। समाप्त किए जाने के मामले वर्तमान में मुख्यतः उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। कारपोरेट अभिशासन, कंपनियों का ढांचा और उनकी अपने पणधारकों के प्रति देयताओं, सांविधिक प्रकटन बाध्यताओं, निरीक्षण, जांच एवं प्रवर्तन की शक्तियों और विलयनों/समामेलनों/व्यवस्थाओं/पुनर्गठनों, आदि जैसे कंपनी प्रक्रियाओं का नियंत्रण अधिनियम का मुख्य केद्र है। निगमित क्षेत्र के कार्यकरण में कंपनियों की स्वतंत्रता के साथ–साथ निवेशकों तथा शेयरधारकों की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कंपनी अधिनियम, विभिन्न पणधारकों के हितों की पहचान करने और उनकी रक्षा करते हुए, कंपनियों के पारदर्शिता और जवाबदेही युक्त कार्यकरण के लिए आवश्यक कारपोरेट अभिशासन संबंधी आवश्यकताओं के लिए एक सांविधिक मंच के रूप में कार्य करता है। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य, संक्षिप्त में, निम्नानुसार हैं

(क) पणधारकों के लोकतंत्र के प्रयोग के जरिए, पण धारकों के हितों को सुरक्षित बनाना,

(ख) समुचित प्रकटनों, आदि के जरिए लेनदारों, वित्तीय संस्थाओं आदि जैसे अन्य पणधारकों के हितों को सुरक्षित करना,

(ग) विलयनों/समामेलन, आदि सहित कंपनी प्रक्रियाओं पर नियंत्रण के लिए ढांचा उपलब्ध करना, और

(घ) सरकार को लोकहित तथा विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रवर्तन की पर्याप्त षक्तियों से लैस करना ताकि अनैतिक प्रबंधन से सभी संबंधितों के हितों की रक्षा की जा सके।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति निम्नलिखित पैराग्राफों में बताए गए उपायों के माध्यम से की जाती है

कंपनियों का विनियमन

3.2.1 कंपनी अधिनियम, 1956, केद्रीय सरकार को कंपनियों की लेखा बहियों का निरीक्षण करने, विशेष लेखा परीक्षा के लिए निदेश देने, कंपनियों के कार्यकलापों के अन्वेषण का आदेश देने और कंपनी अधिनियम, 1956 के उल्लंघन के लिए अभियोजन चलाने की शक्तियां प्रदान करता है। कंपनियों की लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों की जांच निरीक्षण और अन्वेषण निदेशालय और कंपनी रजिस्ट्रार के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। ये निरीक्षण यह पता लगाने के लिए किए जाते हैं कि क्या कंपनियां अपने कार्यकलापों को कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार चला रही हैं, अथवा क्या कंपनी गैर–कानूनी/धोखाधड़ीपूर्ण कार्यों में संलिप्त है, जिसमें शेयरधारकों, देनदारों, कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जहां कहीं निरीक्षण रिपोर्ट में ऐसी सूचना मिलती है, जिससे अन्य विभागों और अभिकरणों जैसे वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, केद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, प्रवर्तन निदेशालय, राज्य सरकार अथवा भविष्य निधि प्राधिकरण आदि के हितों की रक्षा होती है तो यह सूचना उन्हें भेज दी जाती है। यदि किसी निरीक्षण से प्रथम दृष्टता धोखाधड़ी अथवा छल का कोई मामला प्रकट होता है तो उसकी कंपनी अधिनियम के तहत जांच हेतु कंपनी

अधिनियम, 1956 के उपबंधों के तहत कार्रवाई आरंभ की जाती है।

3.2.2 कंपनी अधिनियम की धारा 235 और 237 में केद्र सरकार को इन धाराओं में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन कंपनी के कार्यकलापों की जांच करने का आदेश देने की शक्ति प्रदान की गई है। निरीक्षकों को नियुक्त करने, जांच कराने और जांच की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की शक्ति भी केद्र सरकार के पास है। कंपनी विधि बोर्ड को किसी कंपनी के मामलों की जांच कराने के लिए सदस्यों के आवेदनों पर विचार करने की शक्ति भी प्राप्त है। इस प्रकार की शक्तियां जांच करने के आदेश देने के लिए ऐसी परिस्थितियों में होती हैं, जहां कपनी का व्यापार उसके लेनदारों को धोखा देने के आशय से अथवा गैर–कानूनी प्रयोजनों के लिए, या इस रीति से किए जा रहे हों जो इसके किसी सदस्य के लिए अन्यायपूर्ण हो अथवा वह कंपनी किसी कपटपूर्ण अथवा गैर–कानूनी प्रयोजन के लिए बनाई गई हो।

3.2.3 कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 में एक नई धारा 621क शामिल की गई है, जिसके अंतर्गत कंपनी विधि बोर्ड तथा क्षेत्रीय निदेशकों को यह शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वे अभियोजन के स्थान पर अपराधों को जुर्माने द्वारा दंडनीय बनाने के लिए परिवर्तन कर सकते हैं। शमन करने की शक्ति का प्रयोग उन अपराधों के संबंध में नहीं किया जा सकता जिनमें दंड केवल कारावास या कारावास तथा जुर्माना दोनों हों।

3.2.4 पब्लिक लिमिटेड कंपनी की अनुषंगी पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 388 के साथ पठित धारा 269 के अंतर्गत प्रबंधकीय कार्मिक नियुक्त कर सकती है तथा उन्हें अधिनियम की अनुसूची XIII के साथ पठित धारा 198 और 309 के अंतर्गत यथानिर्धारित केद्र सरकार के बिना किसी अनुमोदन के स्वतः ही पारिश्रमिक प्रदान कर सकती है। तथापि, कतिपय परिस्थितियों में एक कंपनी को केद्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना होता है। ये परिस्थितियां निम्न हैं:

1. यदि कंपनी को कोई हानि/अपर्याप्त लाभ हो तथा प्रस्तावित पारिश्रमिक कंपनी की प्रभावी पूंजी के आधार पर अनुसूची XIII के अंतर्गत यथानिर्धारित सीमा से अधिक हो।
2. यदि, कंपनी लाभार्जक कंपनी हो, तो प्रदान किया जाने वाला प्रस्तावित पारिश्रमिक एक प्रबंधकीय कार्मिक के मामले में निवल लाभ के 5% से अधिक तथा एक से अधिक प्रबंधकीय कार्मिक के मामले में निवल लाभ के 10: से अधिक हो।
3. यदि, कंपनी ने अपने ऋणों (पब्लिक निक्षेपों सहित) और इस पर ब्याज का भुगतान करने में चूक की हो।
4. जब कंपनी की कोई पारिश्रमिक समिति न हो।
5. जब नियुक्त कार्मिक एनआरआई हो।
6. यदि गैर–कार्यकारी निदेशकों के मामले में, भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक एक प्रबंधकीय कार्मिक होने पर कंपनी के निवल लाभ के 1% से अधिक हो तथा एक से अधिक प्रबंधकीय कार्मिक होने पर कंपनी के निवल लाभ के 3% से अधिक हो।
7. यदि कंपनी ने अधिनियम की अनुसूची XIII के भाग–I में यथानिर्धारित अधिनियम का उल्लंघन किया हो तथा प्रस्तावित प्रबंधकीय कार्मिक को ऐसे उल्लंघन के लिए कोई दंड दिया गया हो या संबंधित प्राधिकारी ने जुर्माना लगाया हो।

निवेशक सुरक्षा

3.3.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय के निवेश सुरक्षा प्रकोष्ठ (आईपीसी) की स्थापना 1993 में निवेशकों की शिकायतों से निपटने के लिए की गई थी। इसे व्यथित निवेशकों से बड़ी संख्या में शिकायते प्राप्त होती हैं। शिकायतें मुख्यतः निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित होती है

1. वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होना।
2. लाभांश राशि प्राप्त न होना।
3. आवेदन राशि को वापस न लौटाया जाना।

4. पूरे हो चुके जमा और उस पर ब्याज का भुगतान न होना।
5. डुप्लीकेट शेयर प्राप्त न होना।
6. शेयरों के अंतरण का पंजीकरण नहीं किया जाना।
7. शेयर प्रमाण.पत्रों का जारी न किया जाना।
8. ऋण–पत्र प्रमाण पत्र की प्राप्ति न होना।
9. राइट बोनस शेयर जारी न किया जाना।
10. विलंब भुगतान पर ब्याज को न दिया जाना।
11. ऋण–पत्र तथा उस पर ब्याज का विमोचन न होना।
12. परिवर्तन पर शेयर प्रमाण–पत्र की प्राप्ति न होना।

3.3.2 निवेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई करने में सुधार करने के उद्देश्य से निवेशकों तथा जमाकर्ताओं द्वारा शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने हेतु एक नई प्रणाली को मंत्रालय के एमसीए–21 ई.गवर्नेंस कार्यक्रम में विकसित किया गया है। यह प्रणाली निवेशकों तथा जमाकर्ताओं द्वारा आईपीसी के पास अपने शिकायतों को डाक के माध्यम से लिखित में भेजे जाने की आवश्कता के बिना उसे इलेक्ट्रानिक रूप से दर्ज कराने को सुविधाजनक बनाती है। यह प्रणाली एक शिकायत संख्या जारी करती है जो कि भविष्ट से संदर्भ हेतु एक ऑनलाइन स्वीकृति है और यह कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट (www.mca.gov.in) पर उपलब्ध है।

3.3.3 निवेशक शिकायत समाधान प्रणाली के क्षेत्र कार्यालय के सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए क्षेत्रीय निदेशकों और कंपनियों के पंजीयक के प्रत्येक कार्यालय में एक नामित अधिकारी की अध्यक्षता में एक नोडल दल गठित किया गया है।

3.3.4 आईपीसी को 01.4.02007 से 31.12.2007 की अवधि के दौरान निवेशकों/जमाकर्ताओं से मुख्यालय में 1010 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से 342 शिकायतों को निपटा दिया गया है। शेष शिकायतों हेतु क्षेत्राधिकार वाले कंपनियों के पंजीयक के माध्यम से कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

3.3.5 निवेशकों को बेईमान प्रवर्तकों, कंपनियों और एककों से अपने को बचाने में सहायता देने के लिए, निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि से वित्तीय सहायता लेकर, प्राइम निवेशक सुरक्षा संगठन एवं लीग द्वारा एक नई वेबसाइट www.watchoutinvestors.com बनाई गई है।

3.3.6 मंत्रालय शिकायत के निपटान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, आर्थिक मामले विभाग तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से भी समन्वय करता हैए ऐसा तब होता है जहां शिकायत इन एजेंसियों से संबंधित हो।

विलुप्त कंपनियां

3.4.1 पूंजी बाजार में 1993–94 तथा 1994–95 के दौरान काफी तेजी देखी गई जब कई नई कंपनियों ने पूंजी बाजार में आकर शेयर/ऋण–पत्र के सार्वजनिक इश्यू के माध्यम से जनता से निधियां एकत्र की। इनमें से कुछ कंपनियों ने बाद में निधियों को जुटाने के समय जनता से की गई अपनी प्रतिबद्धताओं को निभाने में चूक की। सेबी ने अक्तूबर 2000 तक ऐसी 229 कंपनियों की पहचान विलुप्त कंपनियों के रूप में की, जो कि 1992 से 1998 के दौरान आईपीओ लेकर आई थी।

3.4.2 वित्त मंत्री ने 27.02.1999 को अपने बजट भाषण में अन्य बातों के साथ–साथ, निवेशकों से पैसा एकत्र करके उसका दुरुपयोग करने वाले अनैतिक प्रवर्तकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) (तत्कालीन कंपनी कार्य मंत्रालय) के मध्य एक संयुक्त तंत्र स्थापित करने की घोषणा की थी। तदनुसार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) (तत्कालीन कंपनी कार्य मंत्रालय) के सचिव तथा सेबी के अध्यक्ष की सह–अध्यक्षता वाली एक समन्वयन तथा प्रबोधन समिति (सीएमसी) का गठन 1999 में विलुप्त कंपनियों/उनके प्रवर्तकों से संबंधित नीतिगत मुद्दों का निपटान करने और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई की प्रगति का प्रबोधन करने के लिए किया गया था। लुप्त कंपनियों संबंधी नीतिगत मुद्दों के संबंध में बेहतर समन्वय के लिए आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के एक

प्रतिनिधि को सीएमसी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और गैर–बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के प्रतिनिधि को भी सीएमसी और क्षेत्रीय कार्य बल के सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

3.4.3 समन्वयन तथा प्रबोधन समिति की सहायता के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के चार क्षेत्रीय निदेशकों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चार, प्रत्येक क्षेत्र में एक, कार्यबल गठित किए गए हैं। इन कार्यबल के अन्य सदस्य सेबी, क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज के प्रतिनिधि और संबंधित राज्य सरकारों तथा संबंधित कंपनी पंजीयक द्वारा नामित एक–एक नोडल अधिकारी हैं। इन कार्य बल का मुख्य दायित्व ऐसी कंपनियों की पहचान करना है जो लुप्त हो गई हैं अथवा जिन्होंने निवेशकों से जुटाई गई निधियों का दुरुपयोग किया है। कंपनी अधिनियम अथवा सेबी अधिनियम अथवा अन्य किसी लागू कानून के अनुसार उचित कार्रवाई सुझाना/करना, और विभिन्न मामलों में की गई कार्रवाई का प्रबोधन करना।

3.4.4 किसी कंपनी को विलुप्त के रूप में निर्दिष्ट किए जाने हेतु निम्नलिखित मानदंड अपनाए गए हैं

(i) ऐसी कंपनियां जिन्होंने 2 वर्ष की अवधि हेतु स्टॉक एक्सचेंज/आर ओ सी की सूचीकरण आवश्यकताओं/फाइलिंग आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है;

(ii) एक्सचेंज को कंपनी से 2 वर्ष से कोई पत्र व्यवहार प्राप्त नहीं हुआ है; और

(iii) स्टॉक एक्सचेंज के निरीक्षण के समय उल्लिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर कंपनी का कोई कार्यालय नहीं था।

किसी कंपनी को विलुप्त कंपनी माने जाने के लिए सभी विहित शर्तों को पूरा किया जाना होता है और एक अथवा अधिक को पूरा करने वाली किन्तु सारी शर्तों को पूरा न करने वाली कंपनियों को विलुप्त कंपनी नहीं माना जाता है।

3.4.5 प्रारंभ में विलुप्त कंपनियों के रूप में चिन्हित की गई कुल 229 कंपनियों में से सीएमसी ने 25.02.2003, 15.01.2004, 23.11.2004 तथा 18.03.2005 को हुई अपनी बैठकों में क्रमशः 44, 63, 7, 1 तथा 1 कंपनियों के नामों को विलुप्त कंपनियों की सूची में से हटा दिया था क्योंकि ये कंपनियां सांविधिक रिटर्न आदि को दर्ज कराने में नियमित पाई गई जो कि विलुप्त कंपनियों की संख्या कम करके 113 तक लाने में परिणित हुआ। इसके अलावा. उन कंपनियों में से, जिन्होंने 1998 से 2001 के दौरान आईपीओ जारी किए, 9 अन्य कंपनियों को लुप्त के रूप में चिन्हित किया गया है।

3.4.6 मंत्रालय द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 तथा भारतीय दंड संहिता के संगत प्रावधानों के अंतर्गत लुप्त कंपनियों तथा इसके प्रवर्तकों/निदेशकों के विरुद्ध निम्नलिखित कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं

(i) 109 विलुप्त कंपनियों और उनके प्रवर्तकों/निदेशकों के विरुद्ध संदर्शिका में गलत बयानी, व्यक्तियों को धोखाधड़ी से निवेश के लिए प्रेरित करना और ऑफर दस्तावेजों में गलत विवरण देने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 62/63, 68 तथा 628 के अंतर्गत अभियोजन चलाया है।

(ii) सांविधिक रिटर्न न भरे जाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अभियोजन चलाए गए।

(iii) 104/100 लुप्त कंपनियों और उनके प्रवर्तका/निदेशकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्राथमिकी दायर/दर्ज की गई है।

(iv) विलुप्त कंपनियों तथा उनके निदेशकों के विरुद्ध कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत चलाए गए अभियोजनों के सभी मामलों और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दायर/दर्ज प्राथमिकी की निकट निगरानी हेतु अगस्त 2004 में एक निगरानी समिति (एमसी) गठित की गई थी। समिति के सह–अध्यक्ष, सचिव, कंपनी कार्य मंत्रालय (वर्तमान में

कारपोरेट कार्य मंत्रालय) तथा अध्यक्ष, सेबी हैं और इसमें विभिन्न राज्य सरकारों के वरिष्ठ पदाधिकारी तथा पुलिस आयुक्त, दिल्ली अथवा उसके प्रतिनिधि शामिल होते हैं। संबंधित राज्य प्राधिकारियों ने कंपनियों के पंजीयक के साथ प्रभावी समन्वय के लिए नोडल अधिकारियों को नामित किया है।

(अ) विलुप्त कंपनियों, उनके निदेशक/प्रवर्तकों के विरुद्ध की गई क्षेत्र–वार संक्षिप्त कार्रवाई के संबंध में नवीनतम स्थिति नीचे दी गई है

विषय	उत्तरी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	कुल
विलुप्त कंपनियों की संख्या	17	49	13	34	113
उन कंपनियों की संख्या जिनके विरुद्ध कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 62/63, 68 तथा 628 के अंतर्गत अभियोजन दायर किया गया हो	17	48	13	31	109
उन कंपनियों की संख्या जिनके विरुद्ध सांविधिक रिटर्न दाखिल न करने के लिए अभियोजन चलाए गए हों	16	47	11	17	91
उन कंपनियों की संख्या जहां प्राथमिकी दायर कराई गई है	16	45	13	30	104
उन कंपनियों की संख्या जहां प्राथमिकी दर्ज कराई गई है	15	45	13	27	100

;vi) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 397/398/402/408 जिन्हें धारा 406 के साथ पढ़ा जाता है, के अंतर्गत कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी) के समक्ष 2 चयनित विलुप्त कंपनियों के संबंध में इन दो विलुप्त कंपनियों के प्रवर्तकों/निदेशकों की संपत्तिया/मूल्यों को समाप्त करने के संबंध में याचिका दायर की गई है। सीएलबी ने मैसर्स नुलाइन ग्लासवेयर (इंडिया) लिमिटेड (वर्तमान में मैसर्स पुर ओपल क्रिएशन्स लि.), जिसके विरुद्ध मंत्रालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की थी, के मामले में याचिका खारिज कर दी है। मैसर्स एवीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के दूसरे मामले में, माननीय सीएलबी मामले की सुनवाई कर रहा है और निदेशकों की संपत्तियां ढूंढने के लिए स्थानीय आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। मामला सीएलबी द्वारा न्यायनिर्णयन हेतु लंबित है।

(vii) मंत्रालय द्वारा निवेशकों के हितों की रक्षा करने के संबंध में नए कंपनी कानून पर सरकार को परामर्श देने के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा मुहैया कराए जाने की दृष्टि से इसकी जांच की जा रही है।

(viii) अधिक जनता की जानकारी हेतु विलुप्त कंपनियों तथा उनके प्रवर्तकों/निदेशकों के ब्यौरों को मंत्रालय की वेबसाइट (http/mca.gov.in) पर रखा गया है।

(ix) लुप्त कंपनियों तथा उनके प्रबन्धक/निदेशकों के ब्यौरे समाचार.पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं जिसमें निवेशकों को आगे आकर इन कंपनियों के विरुद्ध अपनी शिकायतों को दर्ज कराने को सुविधाजनक बनाया गया था ताकि पुलिस प्राधिकारियों को जांच करने और अदालतों में उनके विरुद्ध अभियोजन चलाए जाने में सहायता मिले। इस प्रकार प्राप्त शिकायतों को, न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों की कार्यवाही के दौरान प्रमाण के तौर पर पेश करने के लिए, संबंधित कार्य बलों को अग्रेषित कर दिया गया था।

(x) कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए मैसर्स वेस्टर्न इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्स कीव फाइनेंस लिमिटेड और मैसर्स विनि मेटास्पिन स्टील्स लिमिटेड के लेखा परीक्षकों के खिलाफ संबंधित आरओसी द्वारा पहले ही अभियोजन प्रारंभ किए जा चुके हैं। मैसर्स विनि मेटास्पिन स्टील्स लिमिटेड के लेखा परीक्षक के विरुद्ध दायर मुकदमें को आर्थिक अपराधों हेतु माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा हैदराबाद में खारिज कर दिया गया था। संबंधित आरओसी ने माननीय उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश के समक्ष खारिज आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है।

(xi) संबंधित कार्य बल सूची से हटाई गई विलुप्त कंपनियों के कार्यकरण की काफी निकट से समीक्षा कर रहे हैं ताकि उन पर कड़ी निगरानी की जा सके जिससे वे फिर से धोखाधड़ी वाले क्रियाकलापों में शामिल न हों।

;xii) कार्य बल, विलुप्त कंपनियों को चिन्हित करने के लिए, 2001.2005 के दौरान आईपीओ लाने वाली कंपनियों की सूची की संवीक्षा कर रहे हैं।

(xiii) इन कंपनियों और उनके प्रवर्तकों/निदेशकों के विरुद्ध कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्रवाई करने के अतिरिक्त मंत्रालय ने एक ई.अभिशासन परियोजना लागू की है, जिसमें निदेशकों की पहचान, निदेशक पहचान संख्या के माध्यम से बनाई गई है।

जमा स्वीकार करना

3.5.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए जो 1.2.1975 से प्रभावी हुई गैर– बैंकिंग गैर–वित्तीय कंपनियों द्वारा जमा हेतु आमंत्रण तथा उसे स्वीकार किए जाने को नियंत्रित करती है। कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियमावली, 1975 जिसे धारा 58ए की उपधारा (1) के अनुपालन में बनाया गया था, इन कंपनियों द्वारा जनता अथवा अपने सदस्यों से जमा आमंत्रित करने और अथवा स्वीकार करने की सीमाओं, तरीकों और शर्तों, जिनके अधीन जमा लिए जाएंगे, को निर्धारित करती है। इन नियमों में यह प्रावधान यथा अपेक्षित है कि प्रत्येक कंपनी को जमा आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन देते समय तत्काल पूर्व के 2 वित्तीय वर्षों हेतु कंपनी की वित्तीय स्थिति का सार भी प्रकाशित करना होता है। ये नियम जमा को स्वीकार करने को शासित करने वाली निम्नलिखित शर्तों को भी निर्धारित करते हैं।

- कंपनी के निवल मूल्य के संदर्भ में जमा को स्वीकार करने की उच्चतम सीमाएं।
- जमा को स्वीकार किए जाने 36 माह की अधिकतम अवधि।
- दलाली की अधिकतम दर जो कंपनी द्वारा उन दलालों को दी जा सकती है जिनके माध्यम से जमा एकत्र किए गए हैं।
- जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए वर्ष के दौरान पूरे होने वाले जमा के 15 प्रतिशत तक को तरल प्रतिभूतियों में रखा जाना जिन्हें विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश किया जाना होता है।
- जमा पर देय ब्याज की अधिकतम दर।

3.5.2 धारा 58ए की उपधारा (8) केन्द्र सरकार को, यदि वह आवश्यक समझे, तो किसी कठिनाई अथवा किसी अन्य उचित तथा पर्याप्त कारण हेतु कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1974 के प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व नहीं

संदर्शी अथवा आगामी रूप से निर्धारित की गई शर्तों के अधीन किसी कंपनी अथवा कंपनियों के समूह को सामान्य तौर पर किसी एक विशिष्ट अवधि के लिए धारा 58ए के सभी अथवा किसी प्रावधान के अनुपालन हेतु समय का विस्तार दे सकती है अथवा इसमें छूट दे सकती है। कंपनियों के किसी वर्ग को छूट दिए जाने के मामले में ऐसा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श से किया जाना चाहिए।

3.5.3 धारा 58ए की उपधारा (9) तथा (10) कंपनी विधि बोर्ड को जमा को निर्धारित समय और आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार भुगतान न किए जाने के किसी भी मामले का संज्ञान लेने के लिए प्राधिकृत करते हैं। कंपनी विधि बोर्ड के आदेशों का अनुपालन न करने का दंड कैद भी हो सकता है जिसे 3 वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है और ऐसे अनुपालन न किए जाने तक प्रत्येक दिन हेतु न्यूनतम 500 रू. से का दंड भी लगेगा।

3.5.4 धारा 58ए की उपधारा 7 के परन्तुक के अंतर्गत सरकार को कंपनियों के किसी एक वर्ग को धारा 58ए के सभी अथवा कुछ प्रावधानों से छूट देने की शक्ति प्राप्त है। मंत्रालय ने गैर–बैंकिंग कंपनियां (वाणिज्यिक कागजात के माध्यम से जमा स्वीकार करना) निदेश, 1989 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करने वाली कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक दस्तावेज जारी करके जमा स्वीकार करने के संबंध में धारा 58ए की उपधारा (1) से (6) के प्रावधानों हेतु दिनांक 29.12.1989 की अधिसूचना जीएसआर संख्या 1075ई के माध्यम से छूट प्रदान की है। उक्त अधिसूचना 1.1.1990 से प्रभावी हुई है।

3.5.5 1.4.2007 से 31.12.2007 की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए (8) के अंतर्गत छूट/समय–सीमा में विस्तार हेतु 4 आवेदन प्राप्त हुए थे जो पिछले वर्ष के 15 आवेदनों के अतिरिक्त थे। उक्त अवधि के दौरान कुल 19 आवेदनों में से 12 आवेदनों का निपटान किया गया और 7 आवेदन 31.12.2007 को विचार हेतु लंबित थे।

अन्य प्रावधान

3.6.1 शेयरधारकों को अधिक संरक्षण प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम में धारा 205क को समाविष्ट किया गया है जिसके द्वारा अदेय या दावे रहित लाभांश एक पृथक लेखा में कंपनी द्वारा 3 वर्ष तक अलग रखा जाना है। इसके पश्चात भी यदि वे अदत्त या दावे रहते हैं तो उन्हें केन्द्रीय सरकार के खाते में अंतरित कर दिया जाता है जिससे केन्द्रीय सरकार संबंधित शेयरधारकों को उनके द्वारा विधिवत रूप से आवेदन किए जाने पर आवश्यक भुगतान करती है।

3.6.2 एकमात्र विक्रय करारों, जो ऐसी कंपनियों द्वारा किए गए हों जिनकी प्रदत्त पूंजी 50 लाख रू. या अधिक हो उनके लिए धारा 294कक के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना होता है। इसका आशय यह सुनिश्चित करना है कि उन समझौतों के द्वारा उपभोक्ताओं को बेची गई वस्तुओं की कीमत को संबंधित कंपनियों की ओर से परिहार्य अतिरिक्त व्यय के कारण बढ़ाया नहीं जाए।

3.6.3 लागत लेखा अभिलेख नियम कंपनी अधिनियम की धारा 209(1)(घ) के अंतर्गत उत्पादन, प्रसंस्करण, विनिर्माण और खनन क्रियाओं में लगी हुई कंपनियों के लिए विहित किए गए हैं। उनका आशय कंपनियों में लागत के प्रति जागरूकता पैदा करना है ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि उनके द्वारा संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो जिससे कि उत्पादन लागत कम हो और परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को सस्ता माल मिल सके।

3.6.4 कंपनियों के पास धन जमा रखने के विषय में आम जनता के हितों की रक्षा के लिए कंपनी अधिनियम में ध्यान में रखा गया है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क के अंतर्गत मंत्रालय ने कंपनी (जमा का प्रतिग्रहण) नियम, 1975 बनाए हैं। इन नियमों के अंतर्गत यह अपेक्षा की गई है कि वे जमा आमंत्रित करते समय जनता की सूचना और मार्ग–दर्शन के लिए अपने गत वर्ष के वित्तीय लेखाओं को विज्ञाप्ति और प्रकाशित करें। यदि कंपनी ऐसी जमा राशि

की शर्तों के अनुसार किसी जमा राशि या उसके किसी भाग की वापसी का भुगतान करने में असफल रहती है तो कंपनी विधि बोर्ड, यदि वह स्वयं संतुष्ट हो कि जमाकर्ता के हितों की सुरक्षा करने या लोकहित में यह अनिवार्य है, तो आदेश द्वारा कंपनी को निर्देश दे सकता है कि इस प्रकार की जमा राशि या उसके किसी भाग का वापसी भुगतान शीघ्र कर दे या ऐसे समय के अंदर तथा ऐसी शर्तों के अधीन कर दे जिन्हें आदेश में ही निर्देशित किया गया हो।

कंपनी विधि बोर्ड

3.7.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 10ङ के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा गठित कंपनी विधि बोर्ड 31.5.1991 से एक स्वतंत्र अर्ध–न्यायिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। कंपनी विधि बोर्ड ने कंपनी विधि बोर्ड विनियम, 1991 बनाए हैं जो इसके सम्मुख आवेदन/याचिका दायर करने की प्रक्रियाविधि निर्धारित करते हैं। केन्द्र सरकार ने कंपनी विधि बोर्ड (आवेदन तथा याचिका पर शुल्क) नियमावली, 1991 के अंतर्गत कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष आवेदन/याचिका देने हेतु शुल्क निर्धारित किए है।

3.7.2 बोर्ड की नई दिल्ली में प्रधान खंडपीठ तथा चेन्नई में अतिरिक्त प्रधान खंडपीठ हैं। मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई तथा नई दिल्ली में इसकी क्षेत्रीय खंडपीठ हैं। यह कंपनी अधिनियम, 1956 की 235, 237बी, 247, 248, 250, 388बी, 408 तथा 409 धारा और कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग 6 के अध्याय 6 के अंतर्गत आने वाले मामले और एमआरटीपी अधिनियम की धारा 2ए के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में प्रधान खंडपीठ में की जाती है। दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 235 तथा 237 और अधिनियम के भाग 6 के अध्याय 6 के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई चेन्नई में अतिरिक्त प्रधान खंडपीठ में की जाती है। मामलों को लंबित होने को कम किए जाने के लिए सितम्बर, 2002 से सभी प्रकार के मामलों को सुनने के लिए एकल सदस्यीय खंडपीठ को सभी प्रकार के मामलों को सुनने का कार्य सौंपा गया है।

3.7.3 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 10ई, 17, 18, 19, 58ए, 58एए, 79/ 80ए, 111/111ए, 113/113(3), 117, 117बी, 117सी, 118, 141, 144, 163, 167, 186, 196, 219, 269, 284, 304, 307, 614 तथा 621ए और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45क्यूए के अंतर्गत प्राप्त होने वाली याचिकाओं/आवेदनों को क्षेत्रीय खंडपीठों के समक्ष रखा जाता है। किसी कंपनी के कंपनी विधि बोर्ड द्वारा इस प्रकार पारित आदेशों में विहित निदेशों के अनुपालन में असफल होने के मामले में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 634ए के अंतर्गत आदेशों को लागू करवाने के लिए आवेदन दिया जा सकता है। 1.4.2007 से 31.12.2007 की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए(9) और आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45क्यूए के अंतर्गत 525 आवेदनों पर विचार किया गया था जिसमें से 66 को निपटाया जा चुका है। कंपनी अधिनियम, 1956 की अन्य धाराओं के अंतर्गत 6155 याचिकाओं पर विचार किया गया था जिसमें से उक्त अवधि के दौरान 4824 याचिकाओं का निपटान किया गया। इसमें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 621ए के अंतर्गत अर्थ दंड लगाए गए 774 मामले शामिल हैं।

3.7.4 9 सदस्यों की स्वीकृत संख्या (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सहित) की तुलना में 31.12.2007 को कंपनी विधि बोर्ड का संगठन निम्नानुसार है –

1. श्री एस. बालासुब्रमणियम, अध्यक्ष
2. श्री के.के. बालू, उपाध्यक्ष
3. श्रीमती विमला यादव, सदस्य
4. श्री कांति नरहरि, सदस्य
5. श्री वी.एस. राव, सदस्य (4.1.2008 को पदभार संभाला)

कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष याचिकाएं

3.8 1.4.2007 से 31.12.2007 तक की अवधि के दौरान कंपनी विधि बोर्ड की प्रधान खंडपीठ सहित विभिन्न खंडपीठों द्वारा प्राप्त किए तथा निपटाए गए आवेदनों/याचिकाओं का विवरण तालिका 3.1 में दिया है।

तालिका 3.1

वर्ष 1.4.2007 से 31.12.2007 तक की अवधि के दौरान प्राप्त, निपटान किए गए तथा लंबित याचिकाओं/आवेदनों का समेकित विवरण

पीठ का संघटन व धारा	1.4.07 का आरंभिक शेष	प्राप्त	प्राप्त कुल (कालम 2 + 3)	निपटान	31.12.07 को लंबित
1	2	3	4	5	6
1. एक सदस्यीय खंडपीठ					
धारा 17	63	646	709	602	107
धारा 18/19	2	13	15	12	3
रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45क्यूए	87	14	101	21	80
धारा 58क(9)	410	14	424	45	379
धारा 58कक(1)	23	0	23	10	13
धारा 79	1	3	4	3	1
धारा 80ए	4	0	4	0	4
धारा 113/113(3)	9	11	20	14	6
धारा 117	0	0	0	0	0
धारा 117ग	177	0	177	0	177
धारा 118	0	0	0	0	0
धारा 141	55	2625	2680	2657	23
धारा 144	0	0	0	0	0
विविध आवेदन	**16**	**75**	**91**	**52**	**39**
धारा 163	4	3	7	3	4
धारा 167	8	3	11	4	7
धारा 186	1	3	4	1	3
धारा 196	1	2	3	0	3
धारा 219	0	1	1	1	0
धारा 284	2	5	7	1	6
धारा 304	0	0	0	0	0
धारा 307	0	0	0	0	0
धारा 614	2	1	3	1	2
धारा 621क	194	796	990	774	216
धारा 634क	1	37	38	38	0
कुल (क)	**1060**	**4252**	**5312**	**4239**	**1073**
2. द्वि सदस्यीय खंडपीठ					
धारा 111	117	49	166	44	122
धारा 269(7)	0	0	0	0	0
धारा 634क	2	1	3	1	2
कुल (ख)	**119**	**50**	**169**	**45**	**124**
कुल (क). (ख)	**1179**	**4302**	**5481**	**4284**	**1197**
3. प्रधान पीठ तथा अतिरिक्त प्रधान खंडपीठ					
धारा 235, 237, 247, 250, 388(ख), 397, 398, 408, 409 के अंतर्गत मामले तथा वादकालीन आवेदन	482	717	1199	606	593
सकल जोड़	**1661**	**5019**	**6680**	**4890**	**1790**

1.4.2007 से 31.12.2007 की अवधि के दौरान कंपनी विधि बोर्ड द्वारा विचार की गई तथा निपटान की गई याचिकाएं/आवेदन

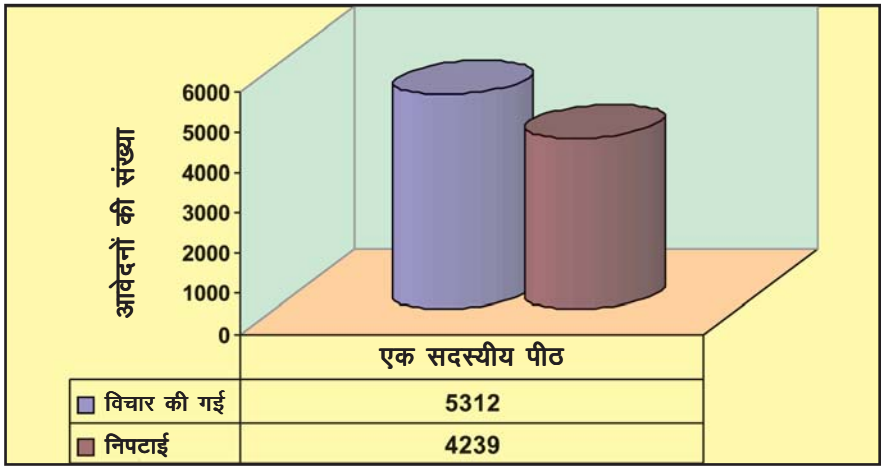

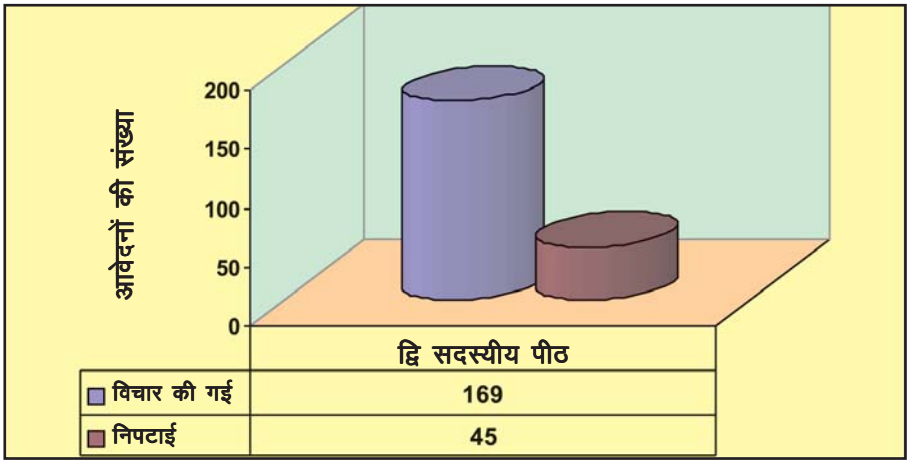

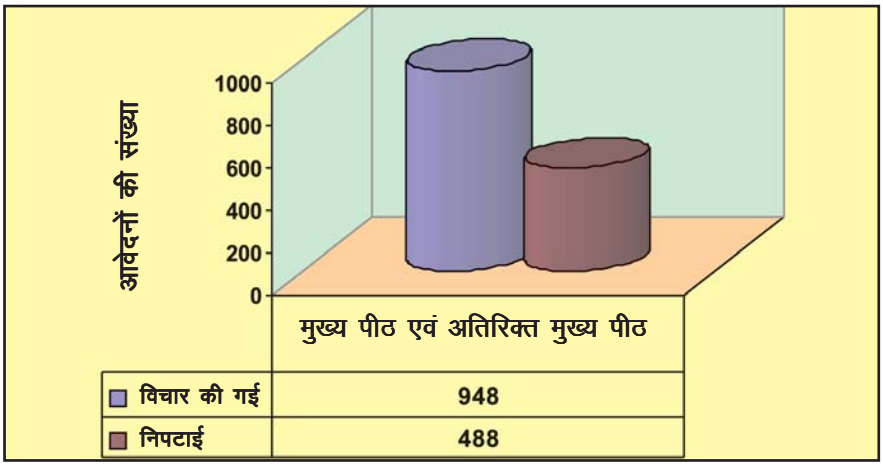

कंपनी अधिनियम की धारा 408/402/406/388/237(ख) के अंतर्गत कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष याचिकाएं

3.9 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 397/398 कंपनी के कार्यों में शोषण, कुप्रबंधन अथवा कुप्रबंधन की आशंका के मामलों में राहत हेतु कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष आवेदन दायर करने का प्रावधान करती है। अधिनियम की धारा 408 केन्द्र सरकार को कंपनी अथवा इसके शेयरधारकों अथवा आम जनता के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए संदर्भ/आवेदन पर कंपनी विधि बोर्ड के निदेशानुसार कंपनी के बोर्ड में बताए गए व्यक्तियों की संख्या को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत करती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार अधिनियम की धारा 402 जिसे धारा 406 के साथ पढ़ा जाता है के अंतर्गत कंपनी के निदेशकों के विरूद्ध परिसंपतियों के वापस लेने के लिए याचिकाएं दायर कर सकती हैं जब वे अपयोजन/अपकरण में रत हों।

कंपनी अधिनियम की धारा 250 के अंतर्गत याचिकाएं

3.10.1 कंपनी अधिनियम की धारा 250 के अनुसार केन्द्र सरकार किसी कंपनी के मामलों की जांच हेतु आदेश लेने के लिए कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष याचिका दायर कर सकती है। 31.3.2007 को कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष 1 याचिका लंबित थी और उसका निपटान कर दिया गया है।

3.10.2 1.4.2007 से 31.12.2007 की अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में 2 मामले निपटाए गए हैं जबकि अभी भी अधिनियम की धारा 397/398 आर/डब्ल्यू 406/408 तथा 237(ख) के अंतर्गत 11 मामले लंबित हैं। 31.12.2007 की स्थिति के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित एसएलपी लंबित हैं –

(i) उषा इंडिया बनाम भारत सरकार

(ii) पद्मिनी टेक लि. बनाम भारत संघ

(iii) भारत संघ बनाम मोरपैन लैबोरेट्रीज लि.

(iv) मोरपैन लैबोरेट्रीज लि. बनाम भारत संघ

प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति

3.11.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय, सार्वजनिक लि. कंपनियों तथा निजी लि. कंपनियों, जो सार्वजनिक लि. कंपनियों की अनुषंगियां हैं, के प्रबंध निदेशकों, पूर्णकालिक निदेशकों तथा प्रबंधकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में सांविधिक आवेदनों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 259, 268, 269, 198/309, 310 तथा 310 के अंतर्गत उक्त अधिनियम की अनुसूची 13 के, समय–समय पर यथा संशोधित प्रावधानों, अनुसार निर्णय लेता है।

3.11.2 विभिन्न सांविधिक आवेदनों पर कार्यवाही करने में बेहतर पारदर्शिता लाने के लिए इन आवेदनों की स्थिति रिपोर्ट पहले से ही कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जा चुकी है जिसे आवेदक कंपनियों द्वारा सराहा गया है। इसके अतिरिक्त, मामलों के शीघ्र निपटान और ई–शासन के एक युग को प्रारंभ करने के लिए विहित आवेदन फार्म को संशोधित तथा सरलीकृत किया जा रहा है।

3.11.3 यह पाया गया है कि प्राप्त आवेदन सामान्यतः कई दृष्टि से अपूर्ण होते हैं। प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए फार्म सं. 25ए तथा 26 को संषोधित किया गया है और इन्हें एमसीए–21 परियोजना के क्रियान्वयन के साथ प्रभावी किया जाना प्रस्तावित है। 1.4.2007 से 31.12.2007 की अवधि के लिए सांविधिक आवेदनों की प्राप्ति तथा निपटान के ब्यौरे नीचे तालिका 3.2 में दिए गए हैं–

तालिका 3.2

1.4.2007 से 31.12.2007 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रबंधकीय नियुक्ति हेतु प्राप्त तथा निपटाए गए आवेदन

कंपनी अधिनियम की धारा	आवेदन की प्रकृति	1.4.07 को लंबित	1.4.07 से 31.12.07 के दौरान प्राप्त	योग (3 + 4)	1.4.07 से 31.12.07 के दौरान निपटाए गए	31.12.07 को लंबित
1	2	3	4	5	6	7
259	निदेशकों की संख्या में वृद्धि	10	18	28	23	5
268	प्रबंध निदंशक या पूर्णकालिक निदेशकों से संबंधित संगम अनुच्छेद के प्रावधानों में संशोधन	7	22	29	26	3
269 / अनुसूची 13	प्रबंध या पूर्णकालिक निदेशकों / प्रबंधकों की नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति	183	575	758	457	301
309(1ख)	व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने के लिए निदेशकों का पारिश्रमिक	9	35	44	39	5
309(4) (5बी)	पूर्णकालिक नियुक्ति के अंतर्गत प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त निदेशकों को पारिश्रमिक / निदेशकों को वापिस दी जानी वाली राशि को छोड़ देना	8	10	18	12	6
310	निदेशकों के पारिश्रमिक में वृद्धि	37	185	222	153	69
314(1ख)	निदेशक या उसके संबंधी का कंपनी के किसी कार्यालय के लाभ वाले पद पर नियुक्ति / बने रहना जिसका मासिक पारिश्रमिक प्रतिमाह 50000 रू. से कम न हो	39	144	183	122	61
	कुल	**293**	**989**	**1282**	**832**	**450**

जांच

3.12.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235/237 के अंतर्गत किसी कंपनी के मामलों में जांच करने के आदेश एसएफआईओ के निरीक्षकों को निम्नलिखित आधार पर दिए जाते हैं :–

(i) जहां तथाकथित धोखाधड़ी का आकार कम से कम 50 करोड़ रू. अथवा अधिक होने का अनुमान है, अथवा ;

(ii) ऐसी कंपनियों जो सूचीबद्ध हैं अथवा जहां कंपनी की प्रदत्त पूंजी 5 करोड़ रू. से अधिक है और 20 प्रतिशत अथवा अधिक पूंजी जनता द्वारा अभिदत्त है; अथवा

(iii) जब तथाकथित धोखाधड़ी में व्यापक जनहित शामिल हो और जिसमें कम से कम 5000 से अधिक व्यक्तियों के प्रभावित होने का अनुमान लगाया गया हो ; अथवा

(iv) जहां जांच में विशेष कौशल तथा बहुशाखीय पद्धति की आवश्यकता हो।

3.12.2 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने सरकार को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) से संबंधित मुद्दों पर परामर्श देने के लिए दिनांक 23 फरवरी, 2006 के कार्यालय आदेश सं. 2/1/2004–सीएल–5 के माध्यम से एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। श्री वेपा कामेसम की अध्यक्षता में गठित तथा 6 अन्य सदस्यों वाली यह विशेषज्ञ समिति सरकार को निम्नलिखित पर अपनी सिफारिशें देंगी–

(क) एसएफआईओ के संगठन तथा कार्यकरण को एक अलग दर्जा दिए जाने को शासित करने के लिए आकलन की आवश्यकता तथा ब्यौरे ;

(ख) एसएफआईओ द्वारा पता लगाए गए अपराधों के अभियोजन सहित इसके प्रभावी कार्यकरण को समर्थ बनाने के लिए विद्यमान कानूनों में आवश्यक विधायी परिवर्तनों की प्रकृति तथा ब्यौरे ;

(ग) एसएफआईओ को मामले संदर्भित करने हेतु तंत्र और जांच एजेंसियों सहित केन्द्र तथा राज्य सरकार की अन्य एजेंसियों/संगठनों के साथ एसएफआईओ के क्रियाकलापों का समन्वयन ;

(घ) एसएफआईओ तथा इसके जांच अधिकारियों की शक्तियां ;

(ङ) जांच एजेंसियों के प्रभावी आचरण को समर्थ बनाने के लिए अपराध तथा दंड की विशेष पहचान और निगमित धोखाधड़ी मामलों की सुनवाई हेतु विशेष अदालतों की आवश्यकता ; और

(च) उक्त के परिणामस्वरूप अथवा अनुपालन पर अन्य मामले।

3.12.3 विशेषज्ञ समिति को अपनी रिपोर्ट अपने गठन की तारीख से तीन माह के अंदर मंत्रालय को प्रस्तुत करनी थी। तथापि, इसमें अंतर्ग्रस्त जटिल मुद्दों की और अधिक जांच की आवश्यकता के कारण विशेषज्ञ समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की अवधि को 28.4.2008 तक बढ़ा दिया गया है।

3.12.4 वर्तमान वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235/237/247 के अंतर्गत जांच हेतु 14 मामले एसएफआईओ को, 5 मामले क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) को और एक मामला क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिमी क्षेत्र), चेन्नई को दिए गए हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान 4 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। इनमें से 3 पर कार्यवाही कर ली गई है और निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 1 पर कार्यवाही की जा रही है।

निरीक्षण

3.13.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209ए कंपनियों के पंजीयक अथवा केन्द्र सरकार के विधिवत प्राधिकृत अधिकारियों को कंपनी की लेखा बहियों और अन्य रिकार्डों की जांच करने के लिए प्राधिकृत करती है। इस मंत्रालय के कई अधिकारियों को समय–समय पर निरीक्षणों को करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

3.13.2 मोटे तौर पर निरीक्षण निम्नलिखित उद्देश्यों में से एक या अधिक को पूर्ण करने के लिए किए जाते हैं :

(i) कंपनियों द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन की जांच करना ;

(ii) यह जांच करना कि क्या कंपनी के लेखे कंपनी के वित्त की सत्य तथा सही स्थिति दर्शाते हैं और क्या उसे कंपनी अधिनियम की संगत विधि से प्रकट किया गया है ;

(iii) क्या कंपनी की निधियों को किसी ऐसे प्रकार से नियोजित अथवा कहीं और लगाया गया है जोकि अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में हो और क्या कंपनी प्रबंधन ने अपनी न्याल्सीय स्थिति का दुरूपयोग अधिनियम के उल्लंघन में अपने किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए किया है ;

(iv) क्या कुप्रबंधन अथवा शोषण के कोई ऐसे कृत्य हैं जो कंपनी के हितबद्धों के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं अथवा जो ऐसे हितों के विपरीत हो सकते हैं कि जिससे कंपनी को अधिनियम के अंतर्गत उचित तथा साम्य आधार पर समाप्त किया जाना पड़े ;

(v) क्या सांविधिक लेखा परीक्षकों ने कंपनी की स्थिति का सत्य तथा सही चित्रण प्रमाणित करते हुए अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन उचित रूप से किया ; और

(vi) यदि कंपनी द्वारा पिछले 5 वर्षों में पंजीयक के साथ अपने तुलन–पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखे अथवा वार्षिक रिटर्न को दर्ज करने में कोई चूक हुई है तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की जा सकने वाली कानूनी कार्रवाई की जांच करना।

3.13.3 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209ए के अंतर्गत कंपनी की लेखा बहियों की जांच का आदेश सामान्यतः निम्नलिखित आधार पर दिया जाता है:–

(i) मंत्रालय अथवा इसके क्षेत्र कार्यालयों में अधिनियम की धारा 209 के अंतर्गत यथाविहित लेखा बहियों के अनुरक्षण के संबंध में कुप्रबंधन, शेयर/ऋण–पत्र के अंतरण में विलंब, लाभांश के भुगतान में विलंब, जमा अथवा उसके ब्याज का भुगतान न करना आदि से संबंधित प्राप्त शिकायतें ;

(ii) कंपनियों के पंजीयक के कार्यालय में दर्ज लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों सहित दस्तावेजों की जांच पर सामने आए उल्लंघन/अनियमितताएं ; और

(iii) कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन में इंगित अन्य सरकारी विभाग/एजेंसियों से प्राप्त संदर्भ अथवा अन्य अनियमितताएं।

तालिका 3.3

मंत्रालय द्वारा पिछले चार वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए निरीक्षणों की संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	निरीक्षणों की संख्या
2004.05	181
2005.06	253
2006.07	220
1.4.2007 से 31.12.2007	150

विगत चार वित्तीय वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा आयोजित निरीक्षणों की संख्या

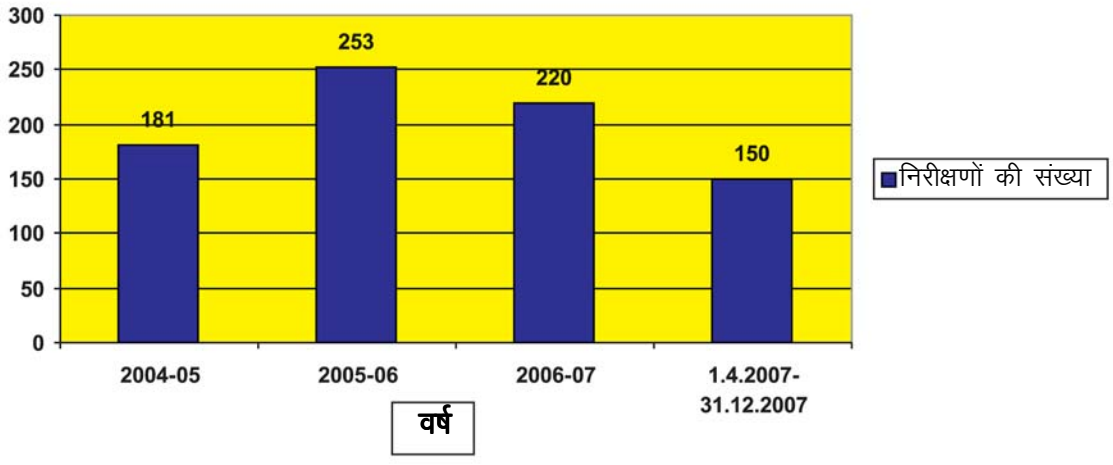

शेयर बाजार घोटाले पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट का अनुवर्तन

3.14 सरकार ने शेयर बाजार घोटाले की जांच करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित की थी। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 2002 में प्रस्तुत की। कारपोरेट कार्य मंत्रालय को अपने मंत्रालय से संबंधित जेपीसी की कुछ सिफारिशों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित मदों के संबंध में स्थिति रिपोर्ट को आर्थिक मामले विभाग में जेपीसी एकक को नियमित रूप से अग्रेषित किया जाता है जो समय–समय पर जेपीसी रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई के प्रबोधन के लिए है।

अभियोजन

3.15 1.4.2007 से 31.12.2007 तक की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पिछले वर्ष से लाए गए 48544 अभियोजन सहित कुल 61335 अभियोजन प्रारंभ किए गए तथा विभिन्न न्यायालयों में उनका अनुवर्तन किया गया था। इसमें से 10447 अभियोजनों को निपटा दिया गया था और शेष 50888 अभियोजन 31.12.2007 को लंबित हैं।

लागत लेखा परीक्षा

3.16.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (1) जिसे धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पढ़ा जाता है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने समय–समय पर विभिन्न उद्योगों और उत्पादों के संबंध में लागत लेखांकन रिकार्ड नियमावली अधिसूचित करती है। लागत लेखांकन रिकार्ड नियमावली, यथा लागू, में विनिर्दिष्ट उद्योगों अथवा उत्पादों से संबंधित उत्पादन, प्रसंस्करण, विनिर्माण अथवा खनन के कार्यकलापों में लगी सभी कंपनियों से अपेक्षित है कि वे अपने पंजीकृत कार्यालय में, उक्त नियमावली में यथा निर्धारित, सामग्री अथवा श्रम के उपयोग अथवा लागत की अन्य मदों के संबंध में सही खाता बहियां रखें। इस नियमावली के अंतर्गत कवर की गई प्रत्येक कंपनी को इन नियमों के प्रकाशन अथवा उसके पश्चात की तिथि के वित्तीय वर्ष से लागत लेखांकन रिकार्ड रखने होते हैं। यह नियम उस कंपनी पर लागू नहीं होंगे :–

(i) जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार स्थापित मशीनरी और संयंत्र का कुल मूल्य, उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के उपबंधों के अंतर्गत एक लघु औद्योगिक उपक्रम के लिए विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक न हो ; और

(ii) जिसका, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अपने सभी उत्पादों अथवा कार्यकलापों के विक्रय अथवा आपूर्ति के जरिए किया गया कुल कारोबार दस करोड़ रू. से अधिक न हो।

3.16.2 लागत लेखांकन रिकार्ड नियमावली (सीएआरआर) उस तरीके को विहित करती है जिसमें लागत रिकार्डों को रखा जाना है ताकि लागत लेखा आधार का उपयोग प्राथमिकता स्वयं उद्योग/कंपनी द्वारा अपने कार्य–निष्पादन में सुधार और प्रतिस्पर्धी वातावरण से सामना करने, और विभिन्न सरकारी एजेंसियों जैसे कि मूल्य–निर्धारण प्राधिकरणों, विनियामक निकायों, डब्ल्यूटीओ कार्यान्वयन एवं प्रबोधन अभिकरणों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, राजस्व प्राधिकारी तथा अन्य संस्थानों द्वारा अपने–अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जा सके। अभी तक 44 उद्योगों के संबंध में लागत लेखांकन रिकार्ड नियमावली अधिसूचित की जा चुकी है जिसे तालिका 3.4 में दर्शाया गया है।

3.16.3 मंत्रालय ने पानी के जहाज तथा वायुयान के निर्माण से संबंधित क्रियाकलापों पर लागत लेखांकन रिकार्ड नियमावली को रक्षा मंत्रालय तथा पीएसयू के साथ परामर्श से तैयार करने के लिए एक प्रक्रिया प्रारंभ की है।

3.16.4 विद्यमान लागत लेखांकन रिकार्ड नियमावली को सरल/युक्तियुक्त बनाने और उन्हें विनिर्माण प्रक्रिया में होने वाले संभावित तकनीकी परिवर्तनों के साथ जोड़ने और लेखांकन पद्धतियों तथा नीतियों में वैचारिक परिवर्तन

लाने के लिए विद्यमान नियमों की समय–समय पर आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और आवश्यक संशोधनों को तदनुसार अधिसूचित किया जाता है। राष्ट्रीय औशध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के साथ परामर्श से बल्क दवाओं तथा फार्मूलेशन के संबंध में विद्यमान लागत लेखांकन रिकार्ड नियमावली की समीक्षा तथा संशोधन हेतु क्रिया प्रारंभ की गई है। यह क्रिया भी प्रक्रियाधीन है।

3.16.5 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 233 ख की उपधारा (1) के अंतर्गत, पात्र कंपनियों को समय–समय पर उनके लागत रिकार्डों की किसी प्रैक्टिस कर रहे लागत लेखाकार से लेखा परीक्षा करवाए जाने के लिए लागत लेखा परीक्षा आदेश जारी किए जाते हैं। ऐसे आदेश विलयनों, संघटनों, समामेलनों, विक्रय/अंतरण, नाम में परिवर्तन, आदि के कारण उत्पन्न हुई कंपनियों को भी जारी किए जाते हैं। अप्रैल से दिसम्बर, 2007 तक की अवधि के दौरान 9 कंपनियों को लागत लेखा परीक्षा आदेश जारी किए गए थे।

3.16.6 ई–शासन के अंतर्गत एमसीए 21 परियोजना को प्रारंभ किए जाने के परिणामस्वरूप लागत लेखा परीक्षा के अंतर्गत कंपनियों ने अप्रैल, 2006 से इलेक्ट्रानिक तरीके द्वारा लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति हेतु आवेदन दाखिल करना प्रारंभ कर दिया है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 233ख (2) के अनुपालन में अप्रैल से दिसम्बर, 2007 तक के दौरान लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के अनुमोदन हेतु इलेक्ट्रानिक तरीके से 1533 आवेदन प्राप्त हुए हैं जबकि पिछले वर्ष समान अवधि के दौरान 1457 आवेदन प्राप्त हुए थे।

3.16.7 इसी प्रकार, अप्रैल, 2006 से कंपनियों/लागत लेखा परीक्षकों ने भी इलेक्ट्रानिक तरीके से लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट दाखिल कर दी है। अप्रैल से दिसम्बर, 2007 तक के दौरान प्राप्त लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों की संख्या 1926 थी जो पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 1521 थी।

3.16.8 कंपनी और/अथवा इसकी मैनुफक्चिरिंग सुविधाएं, नगण्य उत्पादन/ गतिविधियां इत्यादि के अस्थायी रूप से बंद होने के कारण पैदा होने वाली परिस्थितियों में वर्ष दर वर्ष आधार पर लागत लेखा परीक्षा आदेश प्रदान करने से छूट दी जाती है। इसी प्रकार, संदर्भ के अधीन उत्पादों के लिए उत्पादन गतिविधियों का समामेलन/मिलाने अथवा बिक्री अथवा स्थायी रूप से बंद करने के मामले में लागत लेखा परीक्षा आदेश की वापसी पर विचार किया जाता है। रिपोर्टोधीन अवधि के दौरान ऐसे सात मामले जो छूट/वापसी से संबंधित थे प्राप्त किए गए और उन पर कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त, वापसी से संबंधित 57 और मामलों पर **सू–मोटो** परीक्षण आधार पर विचार किया गया जो एमसीए वेबसाइट पर उपलब्ध कंपनी डाटा/सूचना के आधार पर थे।

3.16.9 अप्रैल से दिसम्बर, 2007 की अवधि के दौरान, वाणिज्यि मंत्रालय के एंटी डम्पिंग निदेशालय, टैरिफ आयोग, राष्ट्रीय फार्मासूटिकल मूल्य प्राधिकरण, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जैसे विभिन्न प्रयोगता विभागों के साथ कंपनियों द्वारा फाइल की गई 107 लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों का आदान–प्रदान किया गया।

तालिका – 3.4

उद्योग जिनके लिए कंपनी अधिनियम की धारा 209(1)(घ) के अंतर्गत लेखा रिकार्ड नियम अधिसूचित किए गए

क्र. सं.	उद्योग का नाम
1.	एल्यूमीनियम
2.	ड्राइ सेल बैट्री के अतिरिक्त अन्य बैटरियां
3.	बेयरिंग
4.	बल्क औषधी
5.	सीमेंट
6.	रसायन
7.	सौन्दर्य प्रसाधन
8.	साइकिल
9.	ड्राई सेल बैट्रीज

क्र. सं.	उद्योग का नाम
10.	रंग
11.	इलेक्ट्रिक केबल्स एवं कनडक्टर्स
12.	बिजली के पंखे
13.	इलेक्ट्रिक उद्योग
14.	इलेक्ट्रिक लैम्प
15.	इलेक्ट्रिक मोटर्स
16.	इलैक्ट्रोनिक उत्पाद
17.	इंजीनियरिंग उद्योग
18.	उर्वरक
19.	फुटवियर
20.	फार्मूलेशन
21.	औद्योगिक एल्कोहल
22.	औद्योगिक गैसें
23..	कीटनाशक
24ण.	जूट की वस्तुएं
25.	दुग्ध आहार
26.	खनन एवं धातु शोधन
27.	मोटर वाहन
28.	नाइलोन
29.	कागज
30.	पेट्रोलियम उद्योग
31.	प्लांटेशन उत्पाद
32.	पोलिस्टर
33.	रेयान
34.	रेफ्रीजिरेटर्स
35.	कक्ष एयरकंडीशनर
36.	षेविंग सिस्टम
37.	साबुन और डिटर्जेंट
38.	इस्पात प्लांटस
39.	इस्पात टयूब्स एंड पाइप्स
40.	चीनी
41.	संचार
42.	वस्त्र
43.	टायर तथा टयूब
44.	वनस्पति

शेयरों के अर्जन पर नियंत्रण – धारा 108क

3.17.1 इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति, फर्म, समूह, समूह के घटक, निगमित निकाय अथवा प्रभुत्व वाले उपक्रम के संबंध में समान प्रबंधन के अधीन निगमित निकाय द्वारा अथवा को शेयरों के प्राप्त करने/अंतरण हेतु केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होता है बशर्ते कि शेयरों के ऐसे प्राप्त किए जाने अथवा अंतरण के परिणामस्वरूप प्रभुत्व में कोई वृद्धि होती है।

3.17.2 1.4.2007 से 31.12.2007 की अवधि के दौरान उक्त धारा के अंतर्गत केन्द्र सरकार को 3 आवेदन प्राप्त हुए थे और पिछले वर्ष से 1 आवेदन लाया गया था। इन 4 आवेदनों में से, 3 आवेदनों का निपटान कर दिया गया था और 31.12.2007 की स्थिति के अनुसार 1 आवेदन लंबित था।

आरक्षित निधि में से लाभांश का भुगतान – धारा 205(3)

3.18.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ए(3) किसी भी कंपनी को बाध्य करती है कि किस वर्ष में अपर्याप्त लाभ अथवा लाभ नहीं होने की दशा में यदि वह कंपनी अपने पूर्व वर्षों में उपार्जित संचित लाभ में से जो उसने रिजर्व में अंतरित कर दिया था लाभांश की घोषणा नियमों अर्थात कंपनी (आरक्षित धन से लाभांश की घोषणा) नियम, 1975 के अनुसार नहीं है तो इसमें केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना होगा।

3.18.2 1.4.2007 से 31.12.2007 तक इस धारा के अंतर्गत 2 आवेदन प्राप्त हुए थे जबकि पिछले वर्ष से 1 आवेदन लाया गया था। कुल तीन आवेदनों में से एक आवेदन का निपटान कर दिया गया था और 31.12.2007 की स्थिति के अनुसार दो आवेदन विचार–विमर्श के विभिन्न चरणों पर लंबित थे।

लाभांश का भुगतान

3.19 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205(1)(ग) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को, यदि वह लोकहित में ऐसा

करना आवश्यक समझे तो, किसी कंपनी को मूल्यह्रास का प्रावधान किए बिना लाभांश घोषित करने की मंजूरी देने की शक्तियां प्राप्त हैं। इस अवधि के दौरान 2 आवेदन प्राप्त हुए थे और 5 आवेदन पिछले वर्ष से आगे लाए गए थे। कुल 7 आवेदनों में से 4 आवेदनों का निपटान कर दिया गया था और 31.12.07 की स्थिति के अनुसार 3 आवेदन लंबित थे।

अनुषंगियों के लेखा

3.20.1 कंपनी अधिनियम की धारा 212 यह प्रावधान करती है कि धारक कंपनी के तुलन–पत्र में इसकी अनुषंगियों के कुछ दस्तावेज भी शामिल होने चाहिए। तथापि, तत्संबंधी उपधारा (8) केन्द्र सरकार को किसी धारक कंपनी को अनुषंगी कंपनी के उक्त ब्यौरों को तुलन–पत्र में शामिल किए जाने की आवश्यकता से छूट देने का अधिकार देती है।

3.20.2 1.4.2007 से 31.12.2007 तक की अवधि के दौरान 278 आवेदन प्राप्त हुए और पिछले वर्ष से 16 आवेदन लाए गए थे। कुल 294 आवेदनों में से 262 आवेदनों का निपटान कर दिया गया और 32 आवेदन 31.12.2007 को विचार के विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं।

एकमात्र बिक्री अभिकर्ता की नियुक्ति

3.21.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 294कक(1) में यह अपेक्षित है कि केन्द्र सरकार का जहां यह मत हो कि किसी श्रेणी की वस्तुओं की मांग ऐसे वस्तुओं के उत्पादन अथवा आपूर्ति से काफी अधिक है और जहां ऐसी वस्तुओं हेतु बाजार बनाने के लिए एकमात्र विक्रेता एजेंटों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं होगी, केन्द्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि घोषणा में निर्दिष्ट की गई अवधि के लिए ऐसी वस्तुओं की बिक्री हेतु किसी कंपनी द्वारा एकमात्र विक्रेता एजेंट नियुक्त नहीं किए जाएंगे। वर्तमान में एकमात्र विक्रेता एजेंट की नियुक्ति का प्रतिबंध केवल "बल्क दवाएं, दवाएं तथा फार्मूलेशन्स" के संबंध में है जिसे दिनांक 5.4.2007 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 272(ई) के माध्यम से 5.4.2007 से और 3 वर्षों की अवधि हेतु बढ़ा दिया गया है।

3.21.2 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 294 कक की उपधारा (2) तथा (3) में कंपनियों द्वारा एकमात्र विक्रेता/क्रेता एजेंटों की नियुक्ति हेतु केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है। उपधारा (2) उन कंपनियों पर लागू होती है जिनमें एकमात्र विक्रेता/क्रेता एजेंट स्वयं के माध्यम से अथवा अपने संबंधियों के माध्यम से 5 लाख रू. की प्रदत्त पूंजी अथवा कंपनी की प्रदत्त पूंजी का 5 प्रतिशत, जो भी कम हो, धारित करते हैं। उपधारा (3) उन कंपनियों पर लागू होती है जिनकी प्रदत्त पूंजी 50 लाख रू. अथवा इससे अधिक है।

3.21.3 1.4.2007 से 31.12.2007 तक की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा 294कक की उपधारा (2) तथा (3) के अंतर्गत 9 आवेदन प्राप्त हुए थे, जबकि 7 आवेदन पिछले वर्ष के थे। कुल 16 आवेदनों में से 7 आवेदनों का निपटान किया जा चुका है और 9 आवेदन 31.12.2007 को विचार के विभिन्न चरणों पर लंबित हैं।

निदेशकों तथा संबंधियों को ऋण

3.22.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 295 में यह अपेक्षित है कि सभी सार्वजनिक कंपनियां अथवा उनकी अनुषंगियां किसी ऋण को देने, अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए ऋण के संबंध में कोई गारंटी देने अथवा कोई सुरक्षा मुहैया कराने, अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उनके निदेशकों, निदेशकों के संबंधियों, फर्म अथवा निजी कंपनियों जिसमें ऐसे निदेशक समान हों अथवा हितबद्ध हों और उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (घ) तथा (ङ) की परिधि में आने वाले अन्य निगमित निकाय को ऋण देने से पूर्व केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होता है।

3.22.2 1.4.2007 से 31.12.2007 की अवधि के दौरान केन्द्र सरकार को इस धारा के अंतर्गत 27 आवेदन प्राप्त हुए और 23 आवेदन पिछले वर्ष से लाए गए थे। इन 50 आवेदनों में से 28 आवेदनों का निपटान कर दिया गया था और 31.12.2007 को 22 आवेदन लंबित है।

सरकारी कंपनियों का समामेलन

3.23 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391–394 के अंतर्गत 4 आवेदन प्राप्त हुए थे और पिछले वर्ष के 3 मामलों को लाया गया था। इन 7 मामलों में से 3 मामलों का निपटान कर दिया गया और 31.12.2007 को 4 मामले लंबित थे।

कंपनियों को निधि के रूप में घोषित करने की शक्ति

3.24.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क के अंतर्गत केन्द्र सरकार कुछ विशेष प्रकार की गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा निधि कंपनियां अथवा परस्पर लाभ समितियां, जैसा भी मामला हो, घोषित करने के लिए प्राधिकृत है और वह यह भी निदेश दे सकती है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के कुछ प्रावधान उक्त निधियों पर लागू नहीं होगे और/अथवा, जैसा भी मामला हो, कुछ अपवादों, संशोधन तथा अनुकूलन के साथ लागू होंगे। 1.4.2007 से 31.12.2007 की अवधि के दौरान केन्द्र सरकार ने दिनांक 20.9.2007 की अधिसूचना जीएसआर 611(ई) के माध्यम से 42 कंपनियां को निधि कंपनी घोषित किया, जिससे निधि कंपनियों के रूप में अधिसूचित कंपनियों की कुल संख्या 333 हो गई है।

3.24.2 1.4.2007 से 31.12.2007 तक की अवधि के दौरान केन्द्र सरकार को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क के अंतर्गत 17 आवेदन प्राप्त हुए और 79 मामले पिछले वर्ष के शेष थे। इन 96 आवेदनों में से 31.12.2007 को 76 आवेदन निपटा दिए गए थे और 20 आवेदन प्रक्रिया धीन/सरकार की जांचाधीन थे।

धारा 297(1) के अंतर्गत संविदाएं प्रदान करने हेतु अनुमोदन की स्वीकृति

3.25.1 कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा यथा संशोधित 1 फरवरी, 1975 से प्रभावी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 297(1) 1 करोड़ रू. से अधिक प्रदत्त शेयर पूंजी वाली कंपनियों हेतु यह आवश्यक बनाती है कि उनके लिए (क) वस्तुओं/सामग्री की बिक्री, क्रय अथवा आपूर्ति या सेवा अथवा वस्तु, सामग्री या सेवा की आपूर्ति अथवा (ख) कंपनी के किसी निदेशक अथवा उसके संबंधी, ऐसी कोई फर्म जिसमें कोई निदेशक अथवा उसका संबंधी भागीदार है, ऐसी कोई फर्म अथवा प्राइवेट कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य अथवा निदेशक है के शेयर अथवा ऋण पत्रों के अभिदत्त को कम आंकने, इसके संबंध में की जाने वाली किसी भी संविदा के संबंध में केन्द्र सरकार का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है। अधिनियम, 1956 की धारा 297(1) के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान करने की शक्ति को 19.8.1993 से क्षेत्रीय निदेशकों को प्रत्यायोजित किया गया है। ऐसी विकेन्द्रीयकरण तथा शीघ्र निपटान के दोहरे प्रयोजन की पूर्ति हेतु किया गया है।

3.25.2 1.4.2007 से 31.12.2007 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय निदेशकों ने पिछले वर्ष से लाए गए 302 आवेदनों सहित कुल 1021 आवेदनों पर विचार किया। इनमें से 817 आवेदनों का निपटान कर दिया गया और शेष 204 आवेदन 31.12.2007 को क्षेत्रीय निदेशकों के पास लंबित थे।

क्षेत्रीय निदेशकों तथा कंपनी रजिस्ट्रारों के द्वारा विचार किए गए तथा निपटाए गए आवेदन

3.26 कंपनी अधिनियम, 1956 की कुछ धाराओं के संबंध में केन्द्र सरकार की शक्तियां तथा कार्य कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई तथा नोएडा (उत्तर प्रदेश) स्थित क्षेत्रीय निदेशकों और कंपनियों के रजिस्ट्रारों को प्रत्यायोजित किए गए हैं। नीचे दी गई तालिका 3.5 प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत क्षेत्रीय निदेशकों/कंपनी के रजिस्ट्रारों द्वारा निपटाए गए आवेदनों को दर्शाती है।

तालिका – 3.5

1.4.2007 से 31.12.2007 की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत क्षेत्रीय निदेशकों तथा कंपनियों के रजिस्ट्रारों द्वारा विचार किए गए तथा निपटाए गए आवेदन

क्र.सं.	कंपनी अधिनियम की धारा और आवेदन की विषय–वस्तु	वर्ष के दौरान विचार किए गए	वर्ष के दौरान निपटान किए गए	31.12.2007 को लंबित
1	2	3	4	5
1	21–कंपनी के नाम में परिवर्तन	5240	4851	389
2	22–कंपनी के नाम में सुधार	85	27	58
3	25–लाइसेंस प्रदान किया जाना	252	156	96
4	25(8)–समझौता ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद में परिवर्तन	90	55	35
5	31–विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अनुच्छेदों में परिवर्तन	3366	3046	320
6	224(3) तथा (7)–लेखा परीक्षकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक	52	45	7
7	धारा 394क–क्षेत्रीय निदेशक द्वारा कंपनियों (सार्वजनिक/निजी कंपनियां) का समामेलन	979	779	200
8	557(7)(ख)–कंपनी परिसमापन लेखे	784	323	461
9	560–आरओसी द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में से कंपनियों का नाम काटना	31147	9674	21473
	कुल	**41995**	**18956**	**23039**

कंपनियों का परिसमापन (अधिकारिक परिसमापक द्वारा प्राप्त आवेदन)

3.27 31.3.2007 को 6653 कंपनियां परिसमापन के अधीन थीं और 1.4.2007 से 31.12.2007 तक 293 कंपनियों को परिसमापन के अंतर्गत लिया गया था। अंततः समाप्त होने वाली 89 कंपनियों को ध्यान में रखते हुए 31.12.2007 को परिसमापन के अंतर्गत कंपनियों की कुल संख्या 6857 थी। 1.4.2007 से 31.12.2007 के दौरान परिसमापन के अंतर्गत कंपनियों का उनके बंद किए जाने के तरीके के अनुसार वितरण तालिका 3.6 में दिया गया है।

तालिका 3.6

1.4.2007 से 31.12.2007 के दौरान परिसमापन के अंतर्गत कंपनियों का उनके बंद किए जाने के तरीके के अनुसार वितरण

क्र.सं.	विषय	31.3.07 को लंबित	1.4.07 से 31.12.07की अवधि के दौरान प्राप्त	कुल (कालम 3+4)	1.4.07 से 31.12.07 की अवधि के दौरान निपटाई गई	31.12.07 को लंबित
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक रूप से समाप्त करने वाली	1332	74	1406	11	1395
2	ऋणदाता द्वारा स्वैच्छिक रूप से समाप्त करने वाली	138	4	142	12	130
3	न्यायालय द्वारा समाप्त किया जाना	5180	165	5345	63	5282
4	न्यायालय के पर्यवेक्षणक अधीन समाप्त किया जाना	03	50	53	3	50
	कुल	**6653**	**293**	**6946**	**89**	**6857**

अध्याय – 4

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969

नीति, प्रावधान और कार्य–निष्पादन

4.1 एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का मूल आधार भारत के संविधान में समाविष्ट राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (ख) तथा (ग) में उल्लिखित है कि राज्य निम्न को सुनिश्चित करने के लिए अपनी नीति निर्दिष्ट करेगा :

(i) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व तथा नियंत्रण का वितरण इस प्रकार हो कि वे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हों ; और

(ii) आर्थिक व्यवस्था का प्रचालन इस प्रकार हो कि संपति तथा उत्पादन के साधन सर्व–साधारण के लिए अहितकारी केन्द्र न हों।

एकाधिकार, अवरोधक तथा अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित प्रावधान

4.2.1 एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार अधिनियम, 1969 की धारा 10 एमआरटीपी आयोग को एकाधिकार या अवरोधक व्यापार प्रथाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा संदर्भित किए जाने या स्वयं की जानकारी से या सूचना प्राप्त होने पर जांच करने की शक्ति प्रदान करते हैं। एमआरटीपी अधिनियम, 1969 एमआरटीपी आयोग द्वारा जांच के उद्देश्य से तथा प्रतिबंधित व्यापार प्रथाओं से संबंधित समझौतों के रजिस्टर के रखरखाव के लिए एक जांच एवं पंजीकरण महानिदेशक की नियुक्ति का प्रावधान भी करता है।

4.2.2 एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को पंजीकृत उपभोक्ता और व्यापारिक समितियों से तथा व्यक्ति विशेष से भी शिकायतें या तो सीधे या सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से प्राप्त करता है। किसी संस्था से प्राप्त अवरोधक व्यापारिक व्यवहार या अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित शिकायतों को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 11 और 36ग के अधीन तथा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग विनियम 1974 के विनियम 119 के अंतर्गत प्रारंभिक जांच के लिए महानिदेशक जांच एवं पंजीकरण को संदर्भित किया जाना अपेक्षित है। आयोग, केन्द्रीय/राज्य सरकार से प्राप्त या स्वयं की जानकारी पर भी अवरोधक प्रथा से संबंधित संदर्भों पर महानिदेशक जांच एवं पंजीकरण को प्रारंभिक जांच करने का आदेश भी दे सकता है। महानिदेशक, जांच एवं पंजीकरण द्वारा प्रारंभिक जांच पूरी करने के पश्चात आयोग द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक अधिनियम की संबंधित धाराओं के अंतर्गत जांचें प्रारंभ की जाती हैं और निष्कर्षों के परिणामस्वरूप जांच के लिए आयोग को आवेदन प्रस्तुत करता है।

एकाधिकारिक व्यापार प्रथाएं

4.3 धारा 10(ख) के अंतर्गत एमआरटीपी आयोग के समक्ष वर्ष 2006 के आरंभ में 5 जांच लंबित थी तथा अप्रैल, 2007 से दिसम्बर, 2007 के दौरान कोई नई जांच प्रारंभ नहीं की गई। 2 जांचों का निपटान किया गया और 31.12.2007 को ऐसी 3 जांचें लंबित थी।

अवरोधक व्यापार प्रथाएं धारा 10(क)(i) के अंतर्गत

4.4.1 अप्रैल, 2007 से दिसम्बर, 2007 की अवधि के दौरान गत वर्ष की 238 जांच सहित 219 जांचों पर विचार किया जिसमें से उक्त अवधि के दौरान 29 जांचें निपटा दी गई तथा 31 दिसम्बर, 2007 को आयोग के समक्ष शेष 209 जांचें लंबित थी।

धारा 10(क)(ii) के अंतर्गत

4.4.2 अप्रैल, 2007 से दिसम्बर, 2007 के दौरान एक जांच प्राप्त हुई थी और यह 31 दिसम्बर, 2007 को लंबित थी।

धारा 10(क)(iii) के अंतर्गत

4.4.3 अप्रैल, 2007 से दिसम्बर, 2007 के दौरान आयोग द्वारा गत वर्ष की 42 जांच सहित 47 जांचों को लिया गया था। उक्त अवधि के दौरान 9 जांच निपटा दी गई तथा 31 दिसम्बर, 2007 को आयोग के समक्ष शेष 46 जांचें लंबित थी।

धारा 10(क)(iv) के अंतर्गत

4.4.4 वर्ष के दौरान आयोग द्वारा गत वर्ष की 34 जांचों को लिया गया था और आयोग द्वारा अप्रैल, 2007 से दिसम्बर, 2007 के दौरान 6 नई जांच को लिया गया था। इसमें से, उक्त अवधि के दौरान 12 जांच निपटा दी गई तथा 31 दिसम्बर, 2007 को आयोग के समक्ष 28 जांचें लंबित थी।

अनुचित व्यापार प्रथाएं

4.5.1 1984 में एमआरटीपी अधिनियम में अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित उपबंध समाहित किए गए थे। अनुचित व्यापार प्रथा को धारा 36क में बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से किसी वस्तु के प्रयोग या पूर्ति करने या किसी सेवा के प्रदान करने इसमें वर्णित एक या अधिक प्रथाओं को अपनाने तथा इससे ऐसी वस्तुओं या सेवाओं के उपभोक्ताओं को नुकसान या जोखिम होने पर, भले ही प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने या प्रतिबंधित करने या अन्यथा के उद्देश्य से की जाने वाली व्यापार प्रथा के रूप में परिभाषित किया गया है।

धारा 36ख(क) के अंतर्गत

4.5.2 अप्रैल, 2007 से दिसम्बर, 2007 के दौरान आयोग द्वारा गत वर्ष की 451 जांच सहित 395 जांच पर विचार किया था। इनमें से, 49 जांच निपटा दी गई तथा शेष 402 जांच 31 दिसम्बर, 2007 को लंबित थी।

धारा 36ख(ख) के अंतर्गत

4.5.3 अप्रैल, 2007 से दिसम्बर, 2007 की अवधि के दौरान एमआरटीपी अधिनियम, 1984 की धारा 36(ख) के अंतर्गत कोई जांच प्रारंभ नहीं की गई और न ही कोई जांच पिछले वर्ष से लाई गई थी।

धारा 36ख(ग) के अंतर्गत

4.5.4 अप्रैल, 2007 से दिसम्बर, 2007 के दौरान आयोग द्वारा पिछले वर्ष लाई गई 6 जांच सहित 4 जांच पर विचार किया गया था। इनमें से 6 जांच 31.12.2007 को लंबित थी।

धारा 36ख(घ) के अंतर्गत

4.5.5 अप्रैल, 2007– दिसम्बर, 2007 के दौरान आयोग द्वारा गत वर्ष की 195 सहित, 288 जांच को लिया गया था। इनमें से 36 जांचें निपटा दी गई तथा 31 दिसम्बर, 2007 को आयोग के समक्ष शेष 252 जांच लंबित थी।

31.12.2007 के अनुसार एमआरटीपी आयोग द्वारा विचारित तथा निपटाई गई जांच अस्थाई आदेष

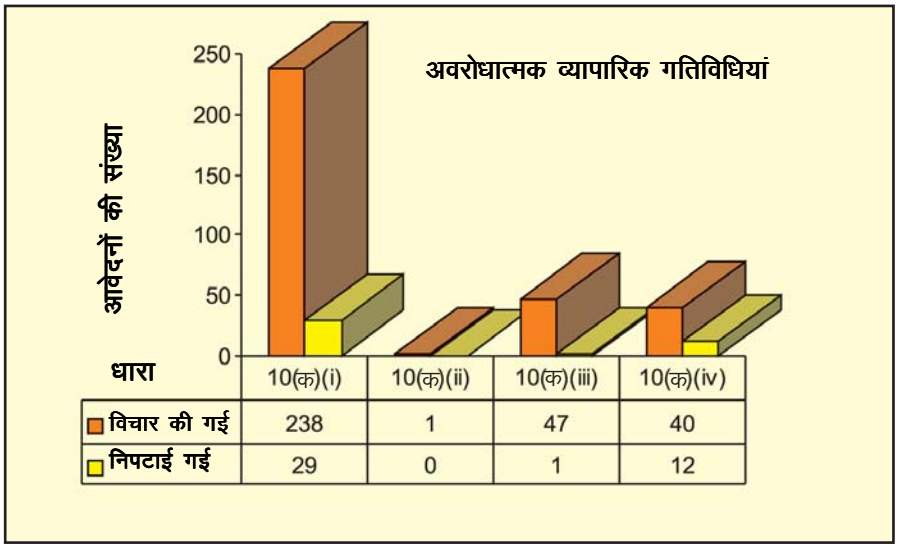

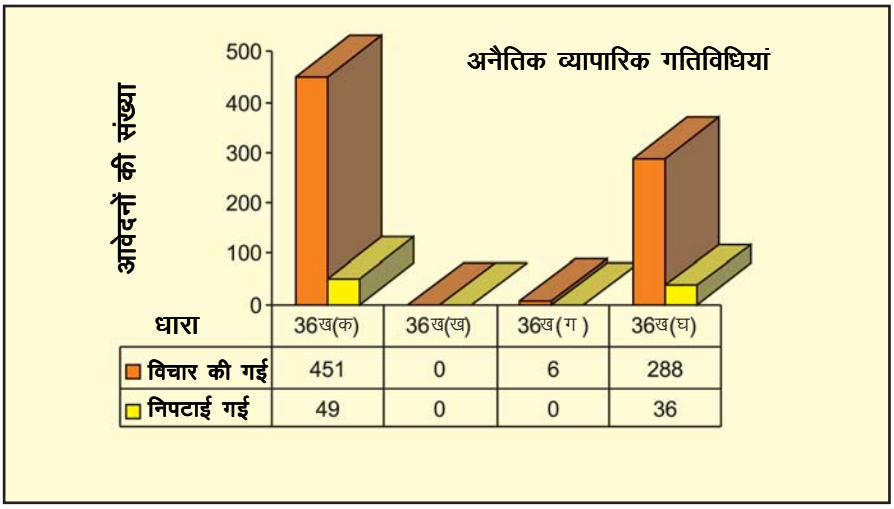

अस्थाई आदेश

4.6 1 अप्रैल, 2007 को धारा 12क के अंतर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के समक्ष लंबित 85 आवेदनों के अतिरिक्त आयोग द्वारा अप्रैल, 2007–दिसम्बर, 2007 की अवधि के दौरान 57 आवेदन प्राप्त किए गए। इस तरह कुल 142 आवेदनों में से 95 आवेदन उक्त अवधि के दौरान निपटाए गए और शेष 47 आवेदन धारा 12क के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2007 को आयोग के पास लंबित थे।

मुआवजा दिया जाना

4.7 अप्रैल, 2007 – दिसम्बर, 2007 की अवधि के दौरान धारा 12ख के अंतर्गत आयोग द्वारा पिछले वर्ष के 1108 आवेदनों सहित कुल 1187 आवेदनों पर विचार किया गया था। इसमें से उक्त अवधि के दौरान आयोग द्वारा 60 आवेदन निपटाए गए और 31 दिसम्बर, 2007 को शेष 1127 आवेदन लंबित थे।

करारों का पंजीकरण

4.8.1 एमआरटीपी अधिनियम, 1969 की धारा 35 के अंतर्गत अवरोधक व्यापार व्यवहार से संबंधित प्रत्येक करार जो अधिनियम की धारा 33(1) में दी गई एक अथवा अधिक श्रेणियों में आता हो उसे 60 दिन के भीतर पंजीकरण के लिए प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

4.8.2 इस उपबंध के अनुसरण में अप्रैल, 2007 से दिसम्बर, 2007 के दौरान 14 करार पंजीकरण के लिए प्राप्त हुए। उन्हें पंजीकृत किया गया तथा पंजीकरण के रजिस्टर में उनकी प्रविष्टि की गई।

4.8.3 विभिन्न उपक्रमों द्वारा 31 दिसम्बर, 2007 तक 40019 करार दर्ज किए गए हैं। इनमें से 39151 करारों के ब्यौरे की करारों के रजिस्टर में प्रविष्टि की गई।

महानिदेशक (जांच तथा पंजीकरण) द्वारा जांच

4.9.1 महानिदेशक को एमआरटीपी आयोग से प्रारंभिक जांच का कोई आदेश प्राप्त होने पर अवरोधक, एकाधिकार तथा अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं के संबंध में प्रारंभिक जांच करता है। 1.4.2007 को 35 जांच प्रगति पर थी। 1.4.2007 से 31.12.07 की अवधि के दौरान प्राथमिक जांच रिपोर्ट के 94 नए आदेश प्राप्त हुए थे। कुल 129 जांच में से इस कार्यालय द्वारा 61 मामलों में प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी। परिणामस्वरूप 31.12.2007 को 68 जांच लंबित थी। इसके अतिरिक्त, महानिदेशक के पास एकाधिकारिक, अवरोधक तथा अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं पर प्रारंभिक जांच स्वतः करने की शक्तियां हैं और जांच के दौरान इनमें से किसी व्यापार प्रक्रियाओं का पता लगने पर महानिदेशक अधिनियम की धारा 10(क)(3)/10(ख) तथा 36ख(ग) के अंतर्गत माननीय एमआरटीपी आयोग द्वारा जांच कार्यवाहियां प्रारंभ करने के लिए आवेदन दायर करने के लिए प्राधिकृत है। 1.4.2007 को 32 स्वतः जांच की जा रही थी। 1.4.2007 से 31.12.2007 की अवधि के दौरान एक नई जांच को लिया गया और 28 जांच पूरी की गई। परिणामस्वरूप 31.12.2007 को 5 जांच लंबित हैं। इस प्रकार स्वतः जांच के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 36ख(ग)/10(क)(iii) के अंतर्गत उल्लिखित अवधि के दौरान अनुचित व्यापारिक व्यवहार प्रथा की जांच के लिए एक आवेदन दायर किया गया।

उपभोक्ता संरक्षण

4.9.2 अब, उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन का प्रयास पूरे देष में जारी है। उपभोक्ता पूरे देश में उपभोक्ता निकायों के रूप में अपने आप में संगठित हो रहे हैं ताकि भ्रामक विज्ञापनों, मोल–भाव वाली खरीददारी, विक्रय संवृद्धि प्रतियोगिताओं का आयोजन, सही मानकीकृत न होने वाली वस्तुओं को बेचना आदि के माध्यम से अनुचित व्यापार में शामिल पार्टियों के विरूद्ध जनता और उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित रखे जा सके। अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित एक स्वतंत्र अध्याय एमआरटीपी अधिनियम, 1984 में जोड़ा गया था तथा उपभोक्ता इस अध्याय के अंतर्गत किए गए प्रावधानों का इस कार्यालय में शिकायत दर्ज कराकर इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। उनकी शिकायतों की तीव्र सुनवाई की सुविधा इस कार्यालय द्वारा मुहैया कराई जा रही है। 1.4.2007 को इस कार्यालय में 80 शिकायतों पर जांच की जा रही थी। 1.4.2007 से 31.12.2007 तक की अवधि के दौरान इस कार्यालय को उपभोक्ता अथवा अन्य पक्षों से 219 नई शिकायतें प्राप्त हुई थी। उक्त अवधि के दौरान 172 शिकायतों को निपटा दिया गया था और इसके परिणामस्वरूप 31.12.2007 को 127 शिकायतें लंबित थी। इस कार्यालय में प्राप्त शिकायतों के आधार पर 1.4.2007 से 31.12.2007 तक के दौरान किए गए अन्वेषण के परिणामस्वरूप, अनैतिक ओर प्रतिरोधात्मक व्यापार व्यवहार के अंतर्गत जांच हेतु अधिनियम की धारा 36(ख)(ग)/10(क)(111) के अंतर्गत 7 आवेदन दायर किए गए।

जांच अभियोजन

आयोग के समक्ष

4.10.1 महानिदेशक एमआरटीपी आयोग के समक्ष जांच कार्यवाहियों में लोकहित का रक्षक है और उसे आयोग के समक्ष लोकहित की रक्षा के लिए स्वयं अथवा अपने वकील के माध्यम से उपस्थित होना पड़ता है। 31.12.2007 को एमआरटीपी आयोग के समक्ष इस कार्यालय द्वारा 197 जांच निष्पादित की जा रही हैं।

सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के समक्ष

4.10.2 सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालयों के समक्ष दायर और लंबित अपीलों/याचिकाओं की स्थिति का विवरण नीचे दी गई तालिका 4.1 के अनुसार है –

तालिका 4.1

सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के समक्ष दायर तथा लंबित अपील/याचिका

अपील/याचिका	1.4.2007 को लंबित	1.4.07 से 31.12.07 के दौरान दायर की गई	1.4.07 से 31.12.07 के दौरान निपटाई गई	31.12.07 को लंबित
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील	22	1	4	19
विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिट	67	1	8	60

4.10.3 महानिदेशक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के समक्ष अपीलों/रिट याचिकाओं में विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग के केन्द्रीय एजेंसी अनुभाग मुकदमा शाखा द्वारा नियुक्त अधिवक्ताओं के माध्यम से उपस्थित हो रहे हैं।

4.10.4 1.4.2007 से 31.12.2007 की अवधि के दौरान "व्यावसायिक तथा विशेष सेवाएं" शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय 261850 रूपए था।

अध्याय – 5

संबद्ध विधान

सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949

5.1.1 सनदी लेखाकार के व्यवसाय को नियंत्रित करने तथा उक्त उद्देश्य के लिए 1949 में सनदी लेखाकार अधिनियम अधिनिगमित किया गया था। इसी उद्देश्य के लिए तदनुसार अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की स्थापना जुलाई, 1949 में की गई।

5.1.2 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान का मुख्य उद्देश्य सदस्यता के लिए योग्यताएं निर्धारित करना, परीक्षा लेने और नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देना, व्यवसाय की प्रेक्टिस के लिए अर्हता प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर का रखरखाव तथा प्रकाशन की व्यवस्था करना, व्यवसाय के विकास के लिए गतिविधियां जारी रखना और सदस्यों की व्यावसायिक अर्हताओं के स्तर एवं मानक का नियंत्रण एवं उसे बनाए रखना है। संस्थान सम्पूर्ण देश में परीक्षा आयोजित करता है, डाक/मौखिक शिक्षण मुहैया कराता है और व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है ताकि विद्यार्थी इस व्यवसाय के लिए योग्य हो सके।

5.1.3 संस्थान के कार्यकलापों का प्रबंधन इसकी परिषद द्वारा किया जाता है जो इसे सनदी लेखाकार अधिनियम के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों का भी निपटान करती है। परिषद में संस्थान के सदस्यों द्वारा चुने गए 24 से अनाधिक व्यक्ति होते हैं और 6 व्यक्तियों को केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता हैं।

लागत और सकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959

5.2.1 लागत लेखा के व्यवसाय को नियंत्रित करने और उक्त उद्देश्य हेतु लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान स्थापित करने के लिए 1959 में लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम अधिनिगमित किया गया था। इस नियम के उपबंधों के अनुसार भारतीय लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान मई, 1959 में स्थापित किया गया था।

5.2.2. लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 के अंतर्गत अधिनियम के उपबंधों में आने वाले कर्तव्यों को भारतीय लागत एवं संकर्म लेखाकार संस्थान की परिषद को सौंपा गया है जो अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत गठित की गई है। परिषद के संघटन में संस्थान के सदस्यों द्वारा चुने गए 12 से अनाधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। तदनुसार, केन्द्र सरकार ने संस्थान की परिषद में 4 व्यक्तियों को नामित किया है।

कंपनी सचिव अधिनियम, 1980

5.3.1 कंपनी सचिव अधिनियम, कंपनी सचिव के व्यवसाय को नियंत्रित तथा विकसित करने और उक्त उद्देश्य से भारतीय कंपनी सचिव संस्थान को स्थापित करने के लिए 1980 में बनाया गया था। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की स्थापना जनवरी, 1981 में की गई थी।

5.3.2 कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अधिनियम के उपबंधों को लागू करने का कार्य भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की परिषद, जिसका गठन अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत किया गया था, में निहित है। परिषद में संस्थान के सदस्यों द्वारा चुने गए 12 व्यक्ति से कम नहीं तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित 4 से अनाधिक व्यक्ति होते हैं। तदनुसार, केन्द्रीय सरकार ने संस्थान की परिषद में 4 व्यक्तियों को नामित किया है।

व्यावसायिक सेवाएं

5.4 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, भारतीय लागत एवं सकर्म लेखा संस्थान एवं भारतीय कंपनी सचिव संस्थान जैसे संस्थानों के सदस्यों द्वारा व्यावसायिक सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस

वातावरण में व्यावसायिक अपना कार्य उचित ध्यान देकर करें, अपने कार्य के लिए उत्तरदायी हों और विश्व की अर्थव्यवस्था के खोले जाने से उपलब्ध नए अवसरों को प्राप्त करने में समर्थ हो सके, संसद ने सनदी लेखाकार संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2006, लागत एवं कार्य लेखाकार संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2006 और कंपनी सचिव संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2006 पारित किया।

प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002

5.5 प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार आयोग की स्थापना की व्यवस्था करता है। तदनुसार, दिनांक 14 अक्तूबर, 2003 को भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग स्थापित किया गया था। जब प्रतिस्पर्द्धा को क्रियाशील बनाने की प्रक्रिया की जा रही थी, प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम को विधिक चुनौती से सामना करना पड़ा। भारत के उच्चतम न्यायालय ने उस संबंध में दायर रिट याचिका पर जनवरी, 2005 में अपना निर्णय दे दिया। उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 में संशोधन के प्रस्ताव विरचित की गयी थी और संसद के समक्ष रखा गया था, जिसे आखिरकार संसद ने मानसून सत्र 2007 में अनुमोदित कर दिया। संशोधित अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग की परिचालनात्मक प्रक्रिया, नियमों और विनियमों की विरचना की प्रक्रिया के साथ प्रारंभ कर दी गयी है।

मूल्यांकन व्यवसायिक विधेयक, 20**

5.6 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 8 जून, 2007 को आम नागरिक से सुझावों और टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए, मूल्यांकन व्यवसायिओं को विनियमित करने के लिए नए नये विधेयक का प्रस्ताव करते हुए भारतीय मूल्यांकन व्यवसायिक आयोग अधिनियम, 20** पर एक संकल्पना प्रपत्र को अपने वेबसाइट पर प्रकाशित किया है। इस संदर्भ में एक बड़ी संख्या में टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं और इनका परीक्षण किया जा रहा है।

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860

5.7 सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 में अधिनिगमित हुआ जो साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसायटियों के पंजीकरण की व्यवस्था करता है, जिससे ऐसी सोसायटियों से वैधानिक स्तर को सुधारा जा सके। इस अधिनियम में साहित्य विज्ञान ललितकला या उपयोगी ज्ञान की विस्तार या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित सोसायटियों को अपने संस्थान के समझौता ज्ञापन को अधिनियम में निर्दिष्ट अधिकारियों को प्रस्तुत करके स्वयं पंजीकरण करवाना अपेक्षित है। अधिकतर राज्यों ने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम में संशोधन कर लिए हैं। संबंधित राज्यों में सोसाइटी रजिस्ट्रारों द्वारा या इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारियों द्वारा किए गए सोसाइटी पंजीकरण को भी शामिल किया गया है।

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932

5.8 भागीदारी से संबंधित विधि परिभाषित और संशोधन करने के उद्देश्य से भारतीय अधिनियम, 1932 में अधिनिगमित किया गया था जिसमें इसके साथ–साथ भागीदारी की प्रकृति, भागीदारों के एक दूसरे के साथ और तीसरी पार्टी के साथ आपसी संबंध भी शामिल है। अधिनियम में इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए रजिस्ट्रारों के साथ फार्मों के पंजीकरण का भी प्रावधान है। अधिनियम फार्मों को आयकर अधिनियम के उद्देष्यों के लिए संबंधित अधिकारियों के पास पंजीकरण करने हेतु अलग से उपबंध बनाता है।

कंपनी (राष्ट्रीय निधि में दान) अधिनियम, 1951

5.9 कंपनी (राष्ट्रीय निधि में दान) अधिनियम, 1951 में अधिनिगमित किया गया था। कंपनी अधिनियम या अन्य विधि में विनिर्दिष्ट किसी बात के या कंपनी के संगम ज्ञापन या संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी अधिनियम में केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित धर्मार्थ उद्देश्य के लिए स्थापित किसी अन्य निधि में कंपनी को दान देने योग्य बनाया है। केन्द्र सरकार ने गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि और सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक निधि को दान प्राप्त करने के लिए पात्र बनाया है।

अध्याय–6

निगमित क्षेत्र की सांख्यिकीय समीक्षा

प्रचालन कर रही कंपनियां

6.1 31.3.2007 को देश में शेयरों द्वारा सीमित 743678 कंपनियां प्रचालन कर रही थी। इसमें 742009 गैर–सरकारी कंपनियां और 1669 सरकारी कंपनियां शामिल थी। प्रचालन कर रही शेयरों द्वारा सीमित 743678 कंपनियां में से 90654 कंपनियां सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां और 653024 निजी लिमिटेड कंपनियां थी। 31.3.2007 को इसके अतिरिक्त, 3846 कंपनियां ऐसी थी जिनकी देयता लाभ हेतु नहीं गारंटी तथा संघ तक सीमित थी और 520 कंपनियां असीमित देयता वाली थी। 31 मार्च, 2007 को कार्य पर शेयर द्वारा सीमित कंपनियों का राज्यवार विवरणी विवरणी–I पर है।

नए पंजीकरण

6.2.1 वर्ष 2006–07 के दौरान कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 72510.90 करोड़ रू. की प्राधिकृत पूंजी के साथ शेयरों द्वारा सीमित 51708 कंपनियां पंजीकृत हुई थी। इनमें से 12811.90 करोड़ रू. प्राधिकृत पूंजी वाली 116 सरकारी कंपनियां और 59699.00 करोड़ रू. की प्राधिकृत पूंजी वाली 51592 गैर–सरकारी कंपनियां थी। देयता लाभ हेतु नहीं गारंटी तथा संघ तक सीमित 241 कंपनियां और असीमित देयता वाली 22 कंपनियां भी उक्त अवधि के दौरान पंजीकृत की गई थी।

6.2.2 वर्ष 2006–07 के दौरान पंजीकृत की गई सरकारी कंपनियों में क्रमशः 12723.15 करोड़ रू. तथा 88.75 करोड़ रू. की प्राधिकृत पूंजी के साथ हुई क्रमशः 52 सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां और 64 निजी लिमिटेड कंपनियां शामिल थी। वर्ष 2006–07 के दौरान शेयरों द्वारा सीमित गैर–सरकारी कंपनियों में 1898 सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां और 49694 निजी लिमिटेड कंपनियां थी जिनकी प्राधिकृत पूंजी क्रमशः 34574.30 करोड़ रू. और 25124.70 करोड़ रू. थी।

परिसमापन

6.3 वर्ष 2006–07 के दौरान शेयरों द्वारा सीमित 17818 गैर–सरकारी कंपनियों के परिसमापन में जाने अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560(5) के अंतर्गत समाप्त किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी।

विदेशी कंपनियां

6.4 31.3.2007 को देश में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 591 के अंतर्गत परिभाषित 2310 विदेशी कंपनियां थी। अप्रैल, 2007 से दिसम्बर, 2007 की अवधि के दौरान 263 विदेशी कंपनियों ने भारत में अपने व्यापार का स्थान स्थापित किया और 27 विदेशी कंपनियां ने भारत में अपना प्रमुख व्यवसाय स्थान बंद कर दिया है। इस प्रकार 31 दिसम्बर, 2007 को भारत में 2546 विदेशी कंपनियां कार्य कर रही है।

6.5 उक्त दी गई सांख्यिकी सूचनाएं एमसीए 21 प्रणाली के अन्तर्गत न्योजित लिए गए अनुसार है।

विवरणी –I

31.3.2007 को कार्यरत शेयरों द्वारा सीमित कम्पनियां (राज्य–वार वितरण)

क्र.सं.	राज्य /	पब्लिक	निजी	कुल
		संख्या	संख्या	संख्या
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	6,235	43,775	50,010
2	असम	370	4,995	5,365
3	बिहार	1,179	7,552	8,731
4	छत्तीसगढ़	278	1,493	1,771
5	गुजरात	6,691	42,588	49,279
6	हरियाणा	975	6,292	7,267
7	हिमाचल प्रदेश	352	1,880	2,232
8	जम्मू और कश्मीर	250	2,069	2,319
9	झारखंड	459	2,959	3,418
10	कर्नाटक	2,603	35,987	38,590
11	केरल	2,511	15,082	17,593
12	मध्य प्रदेश	1,632	9,573	11,205
13	महाराष्ट्र	20,173	146,886	167,059
14	मणिपुर	47	194	241
15	मेघालय	92	553	645
16	मिजोरम	-	45	45
17	नागालैंड	44	262	306
18	उड़ीसा	1,006	7,529	8,535
19	पंजाब	2,339	12,644	14,983
20	राजस्थान	1,858	19,595	21,453
21	तमिल नाडु	7,909	51,644	59,553
22	त्रिपुरा	5	119	124
23	उत्तर प्रदेश	5,114	21,296	26,410
24	उत्तराखंड	264	1,503	1,767
25	पश्चिमी बंगाल	10,384	80,719	91,103
26	अंडमान और निकोबार द्वीप	4	79	83
27	अरूणाचल प्रदेश	15	296	311
28	चंडीगढ़	1,331	5,348	6,679
29	दादर एवं नागर हवेली	60	187	247
30	दमन एवं दीव	43	129	172
31	दिल्ली	15,337	124,639	139,976
32	गोवा	224	3,960	4,184
33	लक्षदीव	2	4	6
34	पुदुचेरी	868	1,148	2,016
	योग	**90,654**	**653,024**	**743,678**

अध्याय–7

परस्पर विचारशील एवं उत्तरदायी प्रशासन की ओर

7.1 अपने मुख्यालय तथा क्षेत्र कार्यालयों में एक उत्तरदायी, पारदर्शी तथा परिवर्तनशील वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कंपनी कार्य मंत्रालय ने कई नूतन कदम तथा उपाय किए हैं।

ई–अभिशासन

7.2.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने एमसीए 21 ई–अभिशासन परियोजना को कार्यान्वित कर दिया है। यह ई–अभिशासन योजना के अंतर्गत भारत सरकार की एक मिशन मोड परियोजना है। यह परियोजना पूरे देश में पंजीकरण और दस्तावेज भरने के लिए सभी कारपोरेट और दूसरे जोखिम धारकों वालों को किसी भी समय किसी भी तरीके से जो उनके लिए सबसे उपयुक्त हो सहित सभी पंजीकरण संबंधित सेवाओं का आसान और सुरक्षित आनलाइन सेवा की व्यवस्था करता है। यह कार्यक्रम परिणाम आधारित और देश के निगमित क्षेत्र से संबंधित विभिन्न जोखिम धारकों को दिए जा रहे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने पर केन्द्रित है।

7.2.2 एक सेवा प्रदाय परियोजना के तौर पर परिकल्पित इस परियोजना हेतु मैसर्स टीसीएस लिमिटेड के नेतृत्व वाले संघ को एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के पश्चात प्रचालक के तौर पर चुना गया था। परियोजना में एक क्रियान्वयन चरण शामिल है जिसके पश्चात 6 वर्ष की अवधि हेतु एक प्रचालन चरण होगा।

7.2.3 इस योजना का प्रारंभ दिनांक 18 फरवरी, 2006 को आरओसी, कोयम्बटूर में शुरू हुआ था और 4 सितम्बर, 2006 तक सभी बीस आर ओ सी में क्रमिक रूप से पूरा कर लिया गया। 78 सप्ताह के रिकार्ड समय में क्रियान्वित यह परियोजना सरकार की पथ प्रदर्शन पहल के रूप में माना जा रहा है।

सेवा प्रदान करने में सुधार

7.3.1 कंपनियों के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों/जोखिमधारकों को सशक्त करना (जी 2 सी सेवाएं)

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 610 कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा रखे गए दस्तावेज की विभिन्न जोखिमधारकों द्वारा एक वैधानिक शुल्क के भुगतान पर जांच करने के लिए अनुमत करता है। यह प्रावधान नाममात्र के शुल्क पर कंपनी के दस्तावेज को देखने में देश के नागरिकों के लाभ के लिए है। तथापि, उस समय के भौतिक रूप में, सीमित आरओसी अवस्थानों, जो पूरे देश में बीस हैं और जिनमें उपलब्धता कार्यालय समय तक सीमित है जिसके कारण आम लोगों द्वारा उपयोग सीमित रहा, के कारण सेवाएं नगण्य रहीं। एमसीए 21 के कार्यान्वयन के बाद, यह स्थिति एक इतिहास बन गई।

(ii) लगभग लेग्सी रिकार्ड के 5 करोड़ पृष्ठों जिसमें कंपनियों के स्थायी दस्तावेज शामिल हैं (एमओए, एओए, अस्तित्वशील प्रभार दस्तावेज इत्यादि) और पिछले दो वर्ष की अवधि की वार्षिक विवरिणयां और तुलन पत्रों को स्कैन और डिजिटाइज्ड कर इसे एमसीए 21 इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री का हिस्सा बना दिया गया है। कार्यक्रम के शुरू होने की तिथि से विभिन्न रजिस्ट्रियों में सभी दस्तावेजों की ई– फाइलिंग से और 16 सितम्बर, 2006 से पूरे देश में आदेशाधीन कर इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री को और समृद्ध कर दिया गया है। कंपनी अधिनियम,

1956 की धारा 610 के तहत प्रदत्त दस्तावेजों की जांच की सुविधा की एमसीए 21 के अंतर्गत "सार्वजनिक दस्तावेज देखें" की सुविधा में परिणत कर दिया गया है। इसके अलावा, यह ध्यान में रखते हुए कि सभी पूर्ववर्ती रिकार्डों की स्कैनिंग और डिजिटाइज्ड नहीं किया गया था, 'मांग पर स्कैनिंग' सुविधा प्रदान की गयी हैं इस सुविधा के अंतर्गत, एक जोखिमधारक किसी दस्तावेज (उपलब्धता के अध्यधीन) का स्कैन कर आनलाइन उपलबध करवाने के लिए अनुरोध कर सकता है। इस सुविधा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं :–

- **मूल कंपनी आंकड़ा:** मूल कंपनी आंकड़ा से तात्पर्य कंपनी के बारे में आधारभूत ब्यौरा है जिसे किसी भी नागरिक द्वारा बिना किसी शुल्क के पोर्टल पर देखा जा सकता है ;
- **हस्ताक्षरकर्ता का ब्यौरा देखें :–** यह विंडो नागरिकों को कंपनी के निदेशकों/प्रबंधक/सचिव से संबंधित आंकड़ों का प्रेक्षण अनुमत करता है और यह वर्तमान में बिना किसी शुल्क के उपलब्ध है ;
- **सार्वजनिक दस्तावेजों को देखें :–** इस विंडो के अंतर्गत, इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री में उपलब्ध कंपनी के सभी दस्तावेजों की अनुक्रमणिका देख सकता है और विहित वैधानिक शुल्क का भुगतान कर दस्तावेजों तक पहुंच पा सकता है। आनलाइन भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध करवा दी गयी है और यह विंडो किसी भी समय विशेष में तीन घंटों के लिए खुला रहता है ;
- **प्रभार दस्तावेज देखें :–** प्रभार रजिस्टर कंपनी के अलावा बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कंपनी के संबंध में प्रभार की जांच करवाने में बैंक एवं वित्तीय संस्थान बहुत पैसे खर्च करते हैं। अब यह सुविधा एक कंपनी के सभी अस्तित्वशील प्रभार के संबंध में उपलब्ध है। जिसे वैधानिक शुल्क के भुगतान पर आनलाइन देखा जा सकता है।

(iii) एमसीए 21 इलेक्ट्रानिक गवर्नेंस की शुरूआत से आरओसी कार्यालयों में प्रपत्र दसतावेजों की भौतिक जांच की प्रक्रिया में कठिनाई सहना और उपरिव्यय करीब– करीब समाप्त हो गया है। 15 जनवरी, 2008 तक इलेक्ट्रानिक एक्सेस सुविधा का प्रयोग करते हुए 402748 से अधिक सेवाओं का उपयोग किया जा चुका है। यह संख्या केवल उन सेवाओं की है जिसका उपयोग करने के लिए वैधानिक शुल्क देय है। 'कंपनी के मूल आंकड़े' की आम प्रेक्षण बहुत ज्यादा है चूंकि यह सुविधा बिना किसी शुल्क के उपलब्ध है। इसका रिकार्ड नहीं रखा जाता है। कदाचित यह सुविधा छोटे और सीमांत निवेशकों को ज्यादा लाभ पहुंचाना है, जो कंपनी के कार्य–निष्पादन को आनलाइन देखकर देश के जानकार निवेशकों के रूप में अपने आपको सशक्त कर सकते है।

7.4.1 बी. 2 जी. संव्यवहार

(i) उस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार कंपनियों को कंपनियों के रजिस्ट्रार (आरओसी), क्षेत्रीय निदेशकों (आरडी) और केन्द्रीय सरकार से संवाद सम्पर्क बनाने की आवश्यकता है। इन संवादों को तीन मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है, अर्थात

- वे संव्यवहार जिनका आरओसी, आरडी और केन्द्रीय सरकार से अनुमोदन आवश्यक है (जैसे नाम अनुमोदन, अधिनिगमन, प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि, पंजीकरण/आशोधन/प्रभार की संतुष्टि इत्यादि);
- वे संव्यवहार जिनमें कंपनियों को कुछ दस्तावेज सांविधिक आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है लेकिन अनुमोदन आवश्यक नहीं है। यह दस्तावेज प्राथमिक रूप से विभिन्न रजिस्ट्रियों के रिकार्ड में रखा जाता है (जैसे वार्षिक विवरण, तुलन पत्र, पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन, निदेशकों को बदलना, विशेष प्रतिबद्धता इत्यादि) ;

- वे संव्यवहार जिनमें कंपनियों को अनुपालन प्रबंधन और विनियमन के हिस्से के रूप में इन 5 एजेंसियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर देने की आवश्यकता है।

(ii) एमसीए 21 के कार्यान्वयन के पूर्व कंपनियों द्वारा सभी पंजीयन भौतिक प्रपत्र रूप में किया जाता था जिससे किसी जोखिमधारक अथवा उसके प्रतिनिधि को शारीरिक रूप से इन कार्यालयों में आने अथवा उसे डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता होती थी। बड़े कागज आकार को हाथ से इधर–उधर करना सहायक कार्यालयों में एक बड़ी समस्या थी और प्रपत्र दस्तावेजों के खो जाने, बाद की तिथि में पंजीयन, सांविधिक दस्तावेजों को बदले जाने जैसे अवांछित क्रियाकलापों के संबंध में शिकायतें थी। शीर्ष पंजीयन सत्र की भागदौड़ और कर्मचारियों के कमी के कारण संबंधित कंपनियों के दस्तावेज पंजिका (डी–पंजी) में प्रपत्र संलग्न नहीं किया जाता था। इस तरह के कई मामले आए जब कई वर्षों तक संबंधित डी–पंजी में से दस्तावेज नहीं डाले गए थे। पंजीयन की गुणवत्ता पर नियंत्रण करना लगभग असंभव हो गया था, चूंकि इतना ज्यादा प्रपत्र की जांच करना असंभव था। पारदर्शी और प्रभावकारी तरीके से सेवाएं प्रदान करना एक बहुत बड़ी समस्या थी।

पुनर्विनिर्माण प्रक्रिया

7.4.2 विभिन्न फार्मों को पुनः डिजाइन करके इलेक्ट्रानिक फार्म में बदला गया है ताकि उन्हें ई–शासन प्रक्रियाओं में उपयोग किया जा सकने वाले बनाया जा सके। इन फार्मों के डिजाइन में "प्रि–फिल" विशेषता अन्तर्निहीत किया गया है जिससे आवश्यक फील्डों में आंकड़ा इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री में उपलब्ध डाटाबेस से स्वचालित तरीके से प्राप्त किया जाता है। बार–बार आंकड़े भरे जाने की आवश्यकता को काफी हद तक कम कर दिया गया है। इलेक्ट्रानिक फाइलिंग की प्रक्रिया में ई–फार्म की "पूर्व जांच" की सुविधा भी शामिल की गई है। यह एक पूर्णतः इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया है जहां प्रणाली यह जांच करती है कि फार्म सभी तरीके से पूर्ण है या नहीं। तथापि, यह ऐसी जांच तक ही सीमित है जिन्हें कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा निष्पादित किया जा सकता है।

सांविधिक शुल्क का भुगतान

7.4.3 कंपनियों द्वारा फाइलिंग में सांविधिक शुल्कों का भुगतान शामिल होता है। सांविधिक शुल्कों के भुगतान की प्रणाली को, एक समग्र प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, पुनर्विनिर्माण किया गया है। एकल विकल्प, अर्थात एमसीए 21 प्रणाली पूर्व पंरपरागत चालान आधारित आफ लाइन भुगतान प्रणाली, के अतिरिक्त तीव्रता प्राप्ति आनलाइन भुगतान प्रणाली तीव्रतम की शुरूआत की गयी थी। 'आनलाइन भुगतान स्वरूप' का लाभ यह है कि भुगतान की प्राप्ति तुरंत ही संसुलित हो जाती है और काम न्यूनतम समय में शुरू हो जाता है और परिणामस्वरूप सेवा अनुरोध की तुरन्त ही कार्रवाई हो जाती है। 'आफ लाइन' भुगतान प्रणाली काम के शुरू होने में उतनी देरी करता है जितनी देर बैंकों को भुगतान की प्राप्ति एमसीए 21 प्रणाली को सूचित करने में होती है। 15 जनवरी, 2008 तक आनलाइन प्रणाली का उपयोग लेनदेन के 47% स्तर तक पहुंच गया है।

दस्तावेजों की सत्यता और सुरक्षा : डीएससी का प्रयोग

7.4.4 फाइल किए गए दस्तावेजों की प्रमाणिकता की अनिराकरण और फाइल किए गए दस्तावेजों की सत्यता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अधिदेषित किया गया है। डीएससी आधारित फाइलिंग, दस्तावेजों की सत्यता और जोखिमधारकों के लिए अनिराकरण/अखंडन सुनिश्चित करती है।

भूमिका नियंत्रण

7.4.5 यह देखा गया है कि यद्यपि डीएससी का प्रयोग करते हुए दस्तावेज फाइल किए जा रहे है, तब भी मंत्रालय के पास प्राधिकृत हस्ताक्षरी के पूर्ववृत्त का पता लगाने का कोई जरिया नहीं है। अब 1 जुलाई, 2007 से

इस वैशिट्य की शुरूआत की गयी है जिसके अंतर्गत हस्ताक्षरी की भूमिका नियंत्रण प्रणाली को क्रियान्वित किया गया है। हस्ताक्षरी को अब अपने डीएससी का पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक होगा, जिसे इस प्रणाली द्वारा, सनदी लेखाकारों, कंपनी सचिवों और लागत और संकर्म लेखाकार के संबंधित संस्थानों से लिए गए निदेशकों और पेशेवरों से संबंधित निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के निर्माण किए गए आधारभूत आंकड़ों से सत्यता प्रमाणित की जाती है। अतः, बैंकों और वित्तीय संस्थानों, जिनके आधारभूत आंकड़े बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा एक केन्द्रीय अवस्थान पर नहीं रखे जाते है, को छोड़कर हस्ताक्षरी की पहचान स्थापित कर ली जाती है। हस्ताक्षरी के इस समूह के लिए भी उपाय ढूंढे जा रहे हैं।

स्ट्रैट थ्रोरोपुट प्रोसेस (एसटीपी)

7.4.6 कंपनियों की कुछ दस्तावेज सांविधिक आवश्यकता रूप में जमा करने की आवश्यकता होती है लेकिन इनके अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये दस्तावेज प्राथमिक रूप से विभिन्न रजिस्ट्रियों के रिकार्ड में रखे जाते हैं (जैसे वार्षिक विवरणी, तुलन पत्र, इत्यादि)। इन दस्तावेजों को सीधे ही इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री में डालने की प्रणाली शुरू की गयी है। यह, दस्तावेज, फाइल करते समय सहायक कार्यालयों में किसी भी प्रकार की प्रणाली व्यवधान से बचाता है। इन दस्तावेजों को देखने के लिए आवश्यकतानुसार आरओसी कर्मचारियों अथवा आम नागरिकों द्वारा इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री से प्राप्त किया जा सकता है। कुछ और दस्तावेजों को भी स्ट्रैट थोरोपुट प्रोसेस के तहत लाने के लिए एक प्रयोग पर काम चल रहा है।

लाभ

7.4.7 ई–फाइलिंग की शुरूआत ने अधिकांश समस्याओं का ठोस रूप से समाधान पाने में सहायता की है। जोखिम–धारकों को अपने दस्तावेज फाइल करने के लिए शारीरिक रूप से आरओसी कार्यालय जाने की, और लाइन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं रह गयी है। वे अब किसी भी समय और कहीं से अपने प्रतिरूप कार्यालय, चाहे वह कार्यालय हो या घर, से यह कर सकते है। फाइलिंग का समय 9.00 पूर्वाह्न से 5.00 अपराह्न से बढ़कर 24 घंटे हो गया है। सप्ताहांत और छुट्टी अब अप्रासंगिक हो गए हैं चूंकि सेवाएं 24 X 7 x 365 समय अवधि में उपलब्ध हैं। रिकार्ड प्रबंधन स्वमेव हो जाता है। कागजी रिकार्ड की जगह डिजिटल रिकार्ड ने ले ली है और दस्तावेज की पूर्व तिथि में फाइल करना, का खोना या बदल देने का प्रश्न नहीं उठता है। दस्तावेज फाइलिंग में गति, निश्चितता और सत्यता जैसे तत्व शामिल हो गए हैं। जोखिमधारकों ने इस व्यवस्था को बहुत पसन्द किया है।

परिचालनात्मक सांख्यिकी

7.4.8 31 जनवरी, 2008 तक सभी जोखिमधारकों द्वारा इस परियोजना के उपयोग का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में सारगर्भित है :–

31 जनवरी, 2008 तक की स्थिति के अनुसार एमसीए 21 के तहत परिचालनात्मक सांख्यिकी	
औसत पोर्टल हित प्रतिदिन	2.4 मिलियन
अधिकतम पोर्टल हित एक दिन में	14.18 मिलियन
एक दिन विशेष में (29 नवम्बर, 2007) में अधिकतम फाइलिंग	41832
कुल फाइलिंग	39.11 लाख
आनलाइन पंजीकृत नई कंपनियां	95993
आनलाइन देखे गए कंपनी रिकार्ड	4.16 लाख
कुल जारी डीआईएन	7.43 लाख
कुल पंजीकृत डीएससी	2.59 लाख

ई–फाइलिंग के प्रकार	
– एमसीए पोर्टल पर सीधे ही किए गए	85%
– प्रमाणित फाइलिंग केन्द्र द्वारा	8%
– एमसीए सुविधा केन्द्र के द्वारा	7%
राजस्व प्राप्ति	
– 31 मार्च, 2005 तक	474 करोड़ रू.
– 31 मार्च, 2006 तक	728 करोड़ रू.
– 31 मार्च, 2007 तक	1038 करोड़ रू.
बैंकों द्वारा सूचित भुगतान नकदीकरण	**टी + 3 में 98.5% दिन**
आनलाइन भुगतान लेन–देन (परिमाणी)	**47%**

जी 2 बी संव्यवहार

7.5.1 सरकार अनुमोदन के अनुरोधों को सेवा देकर पूरा करती है और अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन और प्रवर्तन के बारे में कारपोरेट क्षेत्र को नियंत्रित करता है जो जी 2 बी सेवाएं क्षेत्र में आएगा। जी 2 बी सेवाएं, स्वस्थ कारोबारी परितंत्र में निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करने की भूमिका अदा करती हैं :

- जोखिमधारकों को, सुविधाजनक रूप में, सरकार को अपील करने में सहायक;
- जोखिमधारकों को अंतरण स्थिति की निगरानी और नजर रखने में सहायक;
- प्रक्रियाएं सामान्य, लागत प्रभावी और अनुपालन आसान है;
- सेवाएं शीघ्र और निश्चितता के साथ पारदर्शी तरीके से प्रदान की जाती है;
- जोखिमधारकों को सार्वजनिक रिकार्ड में विघ्नरहित पहुंच मिलता है।

7.5.2 एमसीए 21 के कार्यान्वयन ने जोखिमधारकों को एक आसान और पारदर्शी तरीके से सरकार से सभी सेवाएं प्राप्त करने के लिए एक सुकर वातावरण प्रदान किया है। कार्यप्रवाह प्रक्रिया तभी पूर्ण होती है जब सरकार की तरफ से समर्थन मिले जिसे इस पहल के पहले भाग के साथ दूर किया गया है। इस प्रक्रिया की मुख्य विषेशताएं निम्नलिखित अनुच्छेद में वर्णित है :

कार्य मद की शुरूआत

(i) जोखिमधारक जब एक बार पूरे दस्तावेजों/संलग्नकों के साथ विहित ई–प्रपत्र द्वारा अनुरोध फाइल करता है, कार्य मद सामने के पोर्टल में तब तक स्थिर रहता है जब तक बैंकिंग व्यवस्था द्वारा सांविधिक शुल्क के भुगतान की नकदीकरण के बारे में इलेक्ट्रानिक रूप से एमसीए 21 प्रणाली को बताया जाता है। जैसे ही भुगतान नकदीकरण सुनिश्चित हो जाता है कार्य मद मोड में कार्य आबंटन प्रणाली द्वारा व्यवहारकर्ता के डेस्कटाप पर आ जाता है। एफआईएफओ (पहले आओ पहले जाओ) यह एक 'पुष' माडेल पर कार्य करता है, जिसका मतलब यह है कि जैसे ही व्यवहारकर्ता एक मद पूरा करता है, उसके सामने दूसरा मद उसके सामने डैश बोर्ड पर आ जाता है। व्यवहारकर्ता जांच के बाद, या तो अनुमोदन के लिए एओ को सिफारिश करता है या आवश्यक कमी या स्पष्टीकरण रिकार्ड करता है। पीयूसीएल (उपभोजक स्पष्टीकरण लंबित) वर्गीकृत मद अथवा कमियों के लिए "पुन सुपुर्द करें" जोखिमकर्ता के ई–बाक्स में संसूचित हो जाता है।

जो अनुमोदन मानदंड को पूरा करते हैं उसे एओ को भेज दिया जाता है, अनुमोदित और बंद।

कार्य पथ स्थिति और जवाबी तंत्र

(ii) जोखिमधारक, भुगतान स्थिति से प्रक्रिया और अंत में अनुमोदन स्थिति तक की प्रत्येक स्थिति पर कार्य स्थिति को पता कर सकता है। स्पष्टीकरण/जानकारी मांगना, यदि कोई है तो स्वमेव ही, उसे संसूचित हो जाता है ताकि पुनः इलेक्ट्रानिक रूप से उसका जवाब दिया जा सके। यह पूर्व प्रणाली के मुकाबले, जब जोखिमधारक को उसके अनुरोध पर की गयी कार्रवाई की स्थिति का पता ही नहीं रहता था, एक महत्वपूर्ण सुधार है।

सांविधिक शुल्क का सुनिश्चित भुगतान

(iii) इस प्रणाली ने सांविधिक शुल्क के नकदीकरण को तर्कसंगत बनाने में सहायता की है। गलत गणना अथवा कम को निवृत्त कर दिया गया है चूंकि देय शुल्क की गणना की जाती है। यद्यपि राजस्व वृद्धि के जिम्मेदार कई कारण (अर्थव्यवस्था में समग्र तेजी और उन्नत अनुपालन दर) है, यह ध्यान देने लायक है कि इस मंत्रालय द्वारा अभिदत्त कुल राजस्व मार्च, 2005 के 474 करोड़ रू. से बढ़कर मार्च, 2006 में 728 करोड़ रू. और मार्च, 2007 में बढ़कर 1038 करोड़ रू. हो गया है। ई–शासन के कार्यान्वयन ने रिसाव को नियंत्रित करने लायक बना दिया है, विशेषकर, कंपनी की प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि के खाते में, भुगतान के मामले में।

सेवा प्रदान में लगा समय

(iv) सेवा प्रदान करने में लगने वाले समय में महत्वपूर्ण सुधार आया है। फाइल किए गए दस्तावेजों की कुल संख्या, प्रक्रिया में लाए गए और समान विश्लेषण के साथ अनुमोदित दस्तावेजों की संख्या, की सभी तीन स्तरों, आरओसी, आरडी और मंत्रालय स्थित प्रधान कार्यालय पर निगरानी योग्य है। इस संबंध में नियमित केन्द्रीय निगरानी से काफी लाभ मिला है। सेवा प्रदान करने के लिए समय–सीमा जैसा नागरिक चार्टर में दिया गया है, में 50 प्रतिशत कमी की दिशा में संशोधित कर दिया गया है। हालांकि औसतन प्राप्त वास्तविक प्रगति नागरिक चार्टर में विहित समय रेखा से बेहतर है। परियोजना के कार्यान्वयन से सेवा प्रदाय में लगे समय में महत्वपूर्ण कायापलट हुआ है, जिसे निम्नलिखित सारणी में सारगर्भित किया गया है :

एमसीए 21 के अंतर्गत सेवा प्रदान में दक्षता

सेवा मेट्रिक्स		
सेवा के प्रकार	**एमसीए 21 पूर्व**	**एमसीए 21 पश्चात**
नाम अनुमोदन	7 दिन	1–2 दिन
कंपनी निगमन	15 दिन	1–3 दिन
नाम परिवर्तन	15 दिन	3 दिन
प्रभार निर्माण/सुधार	10–15 दिन	2 दिन
प्रमाणित प्रतिलिपि	10 दिन	2 दिन
अन्य दस्तावेजों का पंजीकरण		
वार्षिक विवरणी	60 दिन	तुरंत ही
तुलन पत्र	60 दिन	तुरंत ही

अन्य दस्तावेजों का पंजीकरण		
सेवा के प्रकार	**एमसीए 21 पूर्व**	**एमसीए 21 पश्चाम**
निदेशक परिवर्तन	60 दिन	1–3 दिन
पंजीकृत कार्यालय के पता में परिवर्तन	60 दिन	1–3 दिन
प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि	60 दिन	1–3 दिन
सार्वजनिक दस्तावेजों की निरीक्षण	शारीरिक प्रगटन	आन लाइन

जी 2 जी सेवाएं और संयोजन

7.6.1 एमसीए 21 के भविष्योन्मुख ढांचे के कारण, यह देश के निगमित क्षेत्र के बारे में दूसरे सरकारी विभागों, मंत्रालयों/विनियामकों से सूचना बांटने और उचित सममानुक्रम में संयोजित सेवाओं को शुरू करने की क्षमता रखता है। निम्नलिखित निकायों को कंपनी दस्तावेजों तक मुफ्त पहुंच देकर एक शुरूआत पहले ही कर दी गयी है:–

- भारतीय रिजर्व बैंक;
- वित्तीय आसूचना इकाई (एफआईयू–इंडिया);
- आर्थिक कार्य विभाग;
- आसूचना ब्यूरो;
- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन;

7.6.2 एक सुरक्षित डीएससी आधारित 'लाग इन' के जरिए इन कार्यालयों के पदनामित अधिकारियों को पहुंच दे दी गयी है। तथापि, आने वाले समय में इसे बढ़ाने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। एकबार दूसरे विभाग अपने ई–शासन कार्यक्रम को कार्यान्वित कर देते हैं, और एनएसडीजी राष्ट्रीय गेट–वे का विकास कर देते हैं, एमसीए 21 प्रणाली को अंतर–प्रवर्तन विकल्प के साथ बनाया गया है। अंत में यह एक एकल स्थान सेवा हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, कारपोरेट को अपना तुलन पत्र एमसीए प्रबंध में करना आवश्यक कर दिया जा सकता है जो आयकर विभाग को भी फाइल करना आवश्यक होगा चूंकि, एमसीए आंकड़े राजस्व विभाग के साथ बांटे जा सकते है।

दक्ष रिकार्ड प्रबंधन

7.7.1 रजिस्ट्री में फाइल किए गए दस्तावेजों का रिकार्ड प्रबंधन, जो पहले एक चिंता का विषय हुआ करता था, में पूरा बदलाव आ गया है। अब यह स्वचालित है और इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री एक समयावधि में काफी बड़ी हो जाएगी।

आंकड़े प्रमाणिकता – शुद्धि और पुष्टि

7.7.2 एमसीए 21 के क्रियान्वयन ने मंत्रालय को आंकड़ों की प्रमाणिकता से संबंधित समस्याओं के आकार की पहचान करने योग्य बना दिया है। अब, कंपनियां अपने मूल आंकड़ों को देख सकते हैं और आरओसी को आंकड़ों की अशुद्धियों को ठीक करने के लिए कहने योग्य बना दिया है। आंकड़ा शुद्धि और पुष्टि के लिए एक बड़ा अभियान सर्वोच्च प्राथमिकता पर चलाया गया है। कंपनियों द्वारा 80000 से ज्यादा आंकड़ा ठीक करने का अनुरोध फाइल किया गया है उतना ही आरओसी द्वारा खुद के द्वारा शुरू की गई कवायद के अंतर्गत ठीक किए गए है। इस कवायद का अगले साल तक पूरा हो जाना नियोजित है जब रजिस्ट्री, देश के निगमित क्षेत्र के आंकड़ों का यथोचित तर्कसंगत प्रमाणित स्तर का दावा कर सकेगी। प्रणाली में एक लाख से ज्यादा निष्क्रिय कंपनियों की पहचान कर ली गयी है और इस अधिनियम की धारा 560 के अंतर्गत उनके नाम काटने का काम एक दूसरे अभियान के रूप में लिया गया है। इससे रजिस्ट्री को अवांछनीय प्रशासनिक बोझ से महत्वपूर्ण शुद्धता मिलेगी। पहले ही

81000 कंपनियों के नाम काटे गए/विद्यटन/परिसमापन/समामेलन के अंतर्गत इत्यादि वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया है। यह पहल एमसीए 21 पूर्व वातावरण में सोचा नहीं जा सकता था।

अनुपालन प्रबंधन में सुधार

7.7.3 कंपनियों द्वारा सांविधिक बंधन के अनुपालन का प्रबंधन अब संभव हो गया है। पहले एक वर्ष के दौरान वार्षिक विवरणियों और तुलन पत्रों में 60 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि दर्ज की गयी है।

पुरस्कार एवं पहचान

7.7.4 एमसीए 21 परियोजना को व्यापक मान्यता मिली है और आदिनांक निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किए हैं :

- ✦ डाटा क्वेस्ट द्वारा अपने आप "आईटी पाथब्रेकर अवार्ड 2006" से नवाजा गया।
- ✦ देश के अग्रिम कंपनियों के सीईओ और सीएफओ में अर्नस्ट एवं यंग द्वारा किए गए सर्वे में 92 प्रतिशत सीएफओ द्वारा 'सरकार द्वारा सही दिशा में एक क्रांतिकारी कदम' के रूप में पहचान की गयी और इसे सीएनबीसी से प्रसारित किया गया।
- ✦ इंडियन एक्सप्रेस समूह और टाटा इंडिकोम द्वारा आयोजित प्रौद्योगिकी सभा, 2008 में 'ई–शासन कार्यान्वयन में श्रेष्ठता' के लिए 'श्रेष्ठता प्रमाण–पत्र' से पुरस्कृत किया गया।
- ✦ ई–शासन पर ग्यारहवीं राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत सरकार द्वारा 7 फरवरी, 2008 को 'सरकारी प्रक्रिया पुनर्संरचना में श्रेष्ठता' वर्ग में 'गोल्डेन आइकान' राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया ; और
- ✦ स्कोच कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा 19 मार्च, 2008 को "राष्ट्रीय महत्व की परियोजना" के लिए अपने आप "स्कोच चैलेंजर अवार्ड" के लिए चयन किया गया।

निवेशक शिकायत समाधान तंत्र

7.8.1 निवेशकों को इंटरनेट के द्वारा अपने शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध करवाने के अपने प्रयासों में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने सितम्बर, 2006 में आई ई पी एफ के अंतर्गत एक वेबसाइट www.investorhelpline.in का प्रायोजन किया है। यह वेबसाइट मिदास, जो एक गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) है, जो निवेशक शिकायतों में सक्रिय रूप से शामिल है, द्वारा विकसित और अनुरक्षित है। पूरी सूचना के साथ निवेशक की शिकायत पर कार्रवाई कर संबंधित निकायों/प्राधिकारियों को निवारण हेतु अग्रेषित और अनुवर्तन किया जाता है। यह वेबसाइट दर्ज शिकायतों की आनलाइन स्थिति भी उपलब्ध करवाती है, इस तरह प्रगति का पता लगाने में सहायता करती है।

1 अप्रैल, 2007 से 31 दिसम्बर, 2007 के दौरान इसे कुल 3061 शिकायत मिलीं जिसमें से 963 को अपूर्ण या अपर्याप्त सूचना के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया। शेष पुष्ट शिकायतों में से 35 प्रतिशत (अर्थात 740) हेल्पलाइन के तंत्र के परे थे चूंकि वे या तो न्यायालयधीन थे या दिए गए पते पर कंपनी अवस्थित नहीं थीं। शेष 1358 शिकायतों में से 521 मामलों (38.4 प्रतिशत) में हेल्पलाइन समाधान मिलवाने में सफल रहा। शेष शिकायत (अर्थात 1827) समाधान की विभिन्न स्थितियों में है। प्राप्त शिकायतों का वर्गवार ब्यौरा और समाधान स्थिति विवरणी 7.1 में दी गयी है।

अधिकारियों तथा स्टाफ की शिकायतों का निपटान

7.9 अधिकारियों तथा स्टाफ की शिकातयों के निपटान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय में एक स्टाफ परिषद है, जोकि एक निर्वाचित निकाय है। स्टाफ परिषद की अध्यक्षता प्रशासन के प्रभारी संयुक्त सचिव द्वारा की जाती है। इसकी 2 माह में कम से कम एक बैठक होती है और सभी शिकायतों तथा समस्याओं पर चर्चा की जाती है और उन्हें मंच पर ही सुलझा लिया जाता है। यह मंत्रालय में एक अच्छे वातावरण के निर्माण में एक बहुत ही प्रभावी तंत्र सिद्ध हुआ है।

सतर्कता

7.10.1 प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने की केन्द्र सरकार की नीति के अनुरूप कारपोरेट कार्य मंत्रालय में एक पृथक सतर्कता अनुभाग कार्य कर रहा है। जहां कहीं कोई विश्वसनीय शिकायत प्राप्त होती है वहां त्वरित कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2007–08 के प्रारंभ में 18 सतर्कता मामले लंबित थे जिसमें से 6 मामलों का निपटान 4 मामलों में दंड लगाकर किया गया था।

7.10.2 एमसीए 21 के कार्यान्वयन से न केवल सेवाओं के प्रदाय में गति तथा निश्चितता आई है बल्कि प्रणाली में पारदर्शिता का आवश्यक स्तर भी आया है। 5 करोड़ पृष्ठों से अधिक के कंपनियों के महत्वपूर्ण डाटा का स्कैन तथा डिजिटाइज्ड कर दिया गया है जो जनता तथा नागरिकों को निर्धारित सांविधिक शुल्क के भुगतान पर अपने कार्यालयों तथा घर में बैठे हुए ही आनलाइन सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनी के दस्तावेजों को देखने को समर्थ बनाता है। इसके अतिरिक्त, सेवाओं के प्रदाय में पारदर्शिता मार्च, 2007 को प्रारंभ किए गए फीफो (फर्स्ट–इन–फर्स्ट–आउट) माडल के माध्यम से परिकल्पित है जोकि अनुरोध/कागजातों को फाइल करने की वरिष्ठता का अनुशरण करेगा। एमसीए 21 प्रणाली में नागरिकों द्वारा शिकायतों को आनलाइन दर्ज करना और विभिन्न स्तरों पर उनका अनुवर्तन भी शामिल है।

कर्मचारियों के मध्य भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण के महत्व को समझाने के लिए मंत्रालय ने 12 नवम्बर, 2007 से 16 नवम्बर, 2007 वाले सप्ताह में मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों जिसमें एमआरटीपीसी, डीजीआई एंड आर, सीसीआई, एसएफआईओ तथा सीएलबी शामिल है, में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया था। 12 नवम्बर, को सप्ताह प्रारंभ करते समय सभी अधिकारियों तथा स्टाफ को शपथ दिलाई गई थी।

लिंग भेदभाव संबंधी मुद्दे

7.11 जहां लिंग भेदभाव के मुद्दे का संबंध है, कार्य को आवंटित किए जाते समय लिंग भेद के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। कार्य को पदनाम के आधार पर आवंटित किया जाता है।

अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) और अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) का प्रतिनिधित्व

7.12 31 दिसम्बर, 2007 को मंत्रालय में, इसके अधीनस्थ तथा क्षेत्रीय कार्यालय सहित, 1717 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से 279 अनुसूचित जाति के, 102 अनुसूचित जनजातियों के और 124 अन्य पिछड़े वर्गों के हैं।

तालिका 7.1

वर्ष 2007–08 में कुल कार्यरत सरकारी कर्मचारी और उनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों को दर्शाने वाला विवरण

(अप्रैल, 2007 से दिसम्बर, 2007 की अवधि हेतु)

समूह	कर्मचारियों की संख्या	कुल कर्मचारियों की संख्या में से कुल कर्मचारी		
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
समूह क	248	34	13	17
समूह ख	175	25	13	12
समूह ग	1001	133	49	66
समूह घ	293	87	27	29
कुल	**1717**	**279**	**102**	**124**

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

7.13.1 तकनीकी मंत्रालय होने के कारण कारपोरेट कार्य मंत्रालय को कार्यालीय कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से संबंधित अपने निम्नांकित उद्देश्य को प्राप्त करना था :

(i) पिछले कुछ वर्षों के दौरान किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप मंत्रालय ने सभी कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। 31 दिसम्बर, 2007 को समाप्त अवधि में मंत्रालय से प्रारंभ होने वाला पत्राचार 30.2 प्रतिशत (समग्र) था।

(ii) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत पत्राचार द्विभाषी रूप में किया जा रहा है।

(iii) राजभाषा नियम–5 के अनुसार, हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का जवाब हिंदी में दिया गया।

(iv) हिंदी में टिप्पण/प्रारूपण करने और कार्यालयीन कार्य में विभिन्न हिंदी प्रारूपों के उचित प्रयोग के लिए मंत्रालय में दिनांक 17.9.2007 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। हिंदी के प्रगामी प्रयोग पर विहित रिपोर्टों को समय पर भेजने के तरीके और आवश्यकता के बारे में कर्मचारियों को दिशा–निर्देश दिए गए।

(v) हिंदी में मूल कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए नकद पुरस्कार योजना जारी रखी गयी।

(vi) एमसीए 21 के अंतर्गत प्रत्येक कम्प्यूटर में द्विभाषी साफ्टवेयर की सुविधा मुहैया करवाई गयी है।

(vii) हिंदी अनुभाग में कार्यालयीन कार्य में हिंदी प्रगामी प्रयोग को देखने के लिए मंत्रालय के सभी अनुभागों का निरीक्षण किया।

7.13.2 14.9.2007 से 28.9.2007 तक मंत्रालय में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया था जिसके दौरान अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ जिसमें निबंध लेखन, टिप्पण– प्रारूपण, कविता वाचन, वाद–विवाद शामिल है और 4 अक्तूबर, 2007 को माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए थे। इसी प्रकार के समारोह समूचे देश में फैले मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में भी आयोजित किए गए थे।

प्रकाशन

7.14 मंत्रालय के, वर्ष के दौरान के प्रकाशन निम्नलिखित हैं –

(क) कंपनी अधिनियम, 1956 के कार्यकरण और प्रशासन पर वार्षिक रिपोर्ट : कंपनी अधिनियम, 1956 के कार्यकरण और प्रशासन संबंधी वार्षिक रिपोर्ट को अधिनियम की धारा 638 के उपबंधों के अनुशरण में संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है। 31.3.2006 को समाप्त हुए वर्ष की 50वीं वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के सभा–पटलों पर 2007 में रखी गई थी।

(ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार, अधिनियम, 1969 के कार्यकरण तथा प्रशासन पर वार्षिक रिपोर्ट : एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 के कार्यकरण और प्रशासन पर वार्षिक रिपोर्ट को अधिनियम की धारा 62 के उपबंधों के अनुशरण में संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबंधों से संबंधित 1 जनवरी, 2005 से 31 दिसम्बर, 2005 तक की अवधि हेतु 35वीं रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में 2007 में प्रस्तुत की गई थी।

राजस्व प्राप्ति और व्यय

7.15 कारपोरेट कार्य मंत्रालय के राजस्व प्राप्ति और व्यय (योजना और गैर– योजना) का ब्यौरा निम्नांकित है (सारणी 7.2 एवं 7.3)।

तालिका 7.2

राजस्व प्राप्ति

(करोड़ रूपए में)

2004–05	2005–06	2006–07	2007–08(अप्रैल–दिसम्बर, 2007)
474.31	728.22	1037.98	918.21

तालिका 7.3

व्यय (योजना एवं गैर–योजना)

(करोड़ रूपए में)

	वास्तविक व्यय	2007–08			बजट अनुमान
		बजट अनुमान	संषोधित अनुमान	वास्तविक व्यय (अप्रैल–दिसम्बर, 2007)	
गैर–योजना	122.19	154.00	138.00	75.02	170.00
योजना	0.00	47.00	47.00	0.00	33.00
योग	**122.19**	**201.00**	**185.00**	**75.02**	**203.00**

विवरण 7.1

निवेशक हेल्पलाइन

1.4.2007 से 31.12.2007 तक श्रेणी वार शिकातयों और संकल्प की स्थिति

क्र. स.	**शिकायत का प्रकार**	**शिकायत की प्रकृति**	प्राप्त शिकायतें	अस्वीकृत, अपूर्ण जानकारी	वैध शिकायतें	हेल्पलाइन तंत्र से बाहर			**वैध शिकयतों पर की गई कार्रवाई का शेष**	**दूर की गई**	**लंबित**
						न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत	लौटाई गई डाक	कुल			
1	डिबेचेंर अथवा बांड से संबंधित शिकायतें	प्रमाण पत्र, ब्याज, राशि की गैर प्राप्ति	90	20	70	–	15	**15**	55	8	47
2	निर्धारित/सार्वजनिक जमा, संयुक्त निवेश योजनाओं से संबंधित शिकयतें	परिपक्व राशि, ब्याज, रिटर्न आदि की गैर प्राप्ति	840	97	743	518	137	**655**	88	55	33
3	शेयरहोल्डरों की शिकयातें	डिबिडेंट शेयर प्रमाण पत्र, बोनस, आबंटन एवाइस, अधिकार आबंटन, वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम नोटिस, डीमैट शिकायतों आदि की गैर प्राप्ति	1616	527	1089	–	58	**58**	1031	422	609
4	सामान्य शिकायतें	पते आदि मे बदलाव	515	319	196	–	12	**12**	184	36	148
		कुल	**3061**	**963**	**2098**	**518**	**222**	**740 (35.3%)**	**1358**	**521 (38.4%)**	**837 (61.6%)**

नोटः 1. सितम्बर से शिकायतों में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुई है क्योंकि मंत्रालय ने सितम्बर को निवेशक जागरूकता मास के रूप में मनाया। अप्रैल तथा दिसम्बर के बीच दायर की गई 3061 शिकातयों में से सितम्बर, 2007 के बाद 2079 शिकायतें दायर की गई

2.कुल वैध शिकायतों में से 35 प्रतिशत निवेशक हेल्पलाइन तंत्र से बाहर हैं। सितम्बर, 2007 और दिसम्बर, 2007 के बीच दायर की गई बहुत अधिक शिकायतों के कारण 60 प्रतिशत से अधिक शिकायतें अभी भी निपटान के विभिन्न चरणों में है क्योंकि निपटान चक्र सामान्यतः 4 से 6 महीने का होता है

अनुबंध

अनुबंध–I

कारपोरेट कार्य मंत्रालय की निर्देशिका

नाम	पदनाम	कार्यालय	निवास
श्री प्रेम चन्द गुप्ता	कारपोरेट कार्य मंत्री	23073804 23073805 23073806 23017152 (संसद भवन)	23793939 23794242 23793689 (फैक्स)
श्री आर.के. यादव	कारपोरेट कार्य मंत्री के निजी सचिव	उपरोक्त	23388888
श्री सुनील गुप्ता	कारपोरेट कार्य मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी	उपरोक्त	22757998
श्री गिरि केथराज	कारपोरेट कार्य मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव	उपरोक्त	26672677
श्री आनन्द सिंह	कारपोरेट कार्य मंत्री के सहायक निजी सचिव	उपरोक्त	–
श्री वी.आर.बी. रेड्डी	कारपोरेट कार्य मंत्री के प्रथम वैयक्तिक सहायक	उपरोक्त	–
श्री एम.एस. बिष्ट	कारपोरेट कार्य मंत्री के द्वितीय वैयक्तिक सहायक	उपरोक्त	–
श्री अनुराग गोयल	सचिव	23382324 / 23384017 (23384257)फैक्स	23071190
श्री एस.पी.एस. रावत	वैयक्तिक सहायक	उपरोक्त	24621782
श्री जितेश खोसला	संयुक्त सचिव	23384380	29242470
श्री सयबल भट्टाचार्य	निजी सचिव	उपरोक्त	–
श्री वाई.एस. मलिक	संयुक्त सचिव	23381226	24677101
श्री जगजीत सिंह	निजी सचिव	उपरोक्त	25117014
श्री जोसफ अब्राहम	आर्थिक सलाहकार	23385010	26115803
श्री संदीप अम्बष्ट	वैयाक्ति सहायक	तदैव	–
श्री बी.के. बंसल	निदेशक (आईआई)	23389602	22242716
श्री दीवान चंद	निदेशक (आईआई)	23389622	0124–2305658
श्री बी.बी. गोयल	सलाहकार (लागत)	23386003	24100365
श्री जयकांत सिंह	निदेशक	23389227	26890808
श्री एम.के. अरोड़ा	निदेशक	23389403	0120–2789791
श्री ए.के. शर्मा	उप सचिव	2389263	24649929
श्रीमती सविता प्रभाकर	उप सचिव	23389263	24649929
श्री ए. सामन्तराय	संयुक्त निदेशक (एल)	23389622	24363526
डा. नवरंग सैनी	संयुक्त निदेशक	23384657	24107686

नाम	पदनाम	कार्यालय	निवास
श्री उमेश कुमार जिंदल	अवर सचिव (आईजीसी)	23389782	0124–2328662
श्री एन.के. विग	अवर सचिव (आईएफडी एवं हिंदी)	23385381	0124–2328662
श्री वी के मेहता	अवर सचिव (बजट, रोकड़ एवं सामान्य शाखा)	23073017	0120–4100399
श्री पी सी प्रतिहारी	अवर सचिव (प्रशा. –4, आईआईसीए)	23386005	23380088
श्री जे एस गुप्ता	अवर सचिव (प्रशा. 2)	23389782	42464777
श्री आर.सी. टल्ली	अवर सचिव (आईएफडी)	23381243	
श्री राजेन्द्र सिंह	अवर सचिव (रोकड़ एवं आईईपीएफ)	23389298	
श्रीमती रीता डोगरा	अवर सचिव	23389782	–
श्री जे बी कौशिश	अवर सचिव (सतर्कता एवं ओ एंड एम)	23389785	–
श्री राकेश मोजा	अवरसचिव (आईपीसी, संसद एकक, आरटीआई, निगरानी प्रकोष्ठ)	23381243	–
श्री वी पी विमल	अवर सचिव		
श्री संजय शौरी	उप निदेशक	23386065	
श्रीमती पी. शीला	उप निदेशक	23386065	25082232
श्री पी के मल्होत्रा	उप निदेशक	23387263	–
श्री जी.सी. गुप्ता	उप निदेशक	23387355	
श्री एन.के. दुआ	सहायक निदेशक (सीएल–V)	23387263	
श्री संजय सूद	सहायक निदेशक	23386065	
श्री एम.एस. पचौरी	सहायक निदेशक	23387263	
श्री एल.बी. गुप्ता	सहायक निदेशक (राजभाषा)	23388512	27933211
अनुसंधान एवं सांख्यिकीय प्रभाग			
डा. श्रीमती सुनीता चितकारा	निदेशक (सांख्यिकीय)	23389204	27314462
श्री एस.एन. तोबड़िया	निदेशक (आर एंड एस)	23318973	23233052
श्री सुगन सिंह	निदेशक (आर एंड एस)	23318972	22624200
श्री डी.सी. गर्ग	सहायक निदेशक	23318970	23812556
लेखा लागत ब्रांच			
श्री बी.बी. गोयल	सलाहकार (लागत)	23386003 233862846(फैक्स)	24100365
श्री रवीन्द्र माथुर	निदेशक (लागत)	23386685	27351205
श्री तरूण दास	उप निदेशक	23386349	
श्री आर.सी. भट्ट	उप निदेशक	23386349	
श्री जी.जी. मित्रा	उप निदेशक	23386349	

नाम	पदनाम	कार्यालय	निवास
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय			
श्री अजयनाथ	निदेशक	24365787 24365809–फैक्स	24616762
श्री आशीष वर्मा	अपर निदेशक	24366027	25533799
श्रीमती मेधा दलबी	अपर निदेशक	24369247	25431124
भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग			
श्री विनोद ढल	सदस्य (प्रशासन)	26177175 26701605	23381005
श्री एस.एल. बंकर	सचिव	26701603	65128080
श्री अमिताभ कुमार	महानिदेशक	26701603	26882853
श्री अगस्तिन पीटर	सलाहकार (आर्थिक)	26701614	
महानिदेशक जांच एवं पंजीकरण			
(रिक्त)	डीजीआई एंड आर		
श्री सुबोध प्रसाद देव	अपर डीजीआई एंड आर	23384632	
एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग			
न्यायमूर्ति ओ.पी. द्विवेदी (सेवानिवृत)	अध्यक्ष	23385974	23389652
श्री एम.एम.के. सरदाना	सदस्य	23385301	24673164
श्री डी.सी. गुप्ता	सदस्य	23385311	26115975
श्री एस डी सिंह	सचिव	23385977	–
समेकित वित्त स्कंध			
श्री डी.आर.एस. चौधरी	अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार	23062756 23062101 (फैक्स)	23387723
श्री ए एन बोक्सी	मुख्य लेखा नियंत्रक	24698654	
श्रीमती सविता प्रभाकर	उप सचिव	23070954	29223637
कंपनी विधि बोर्ड			
श्री एस. बालासुब्रमनियम	अध्यक्ष	23382265(टे.फैक्स)	23382309
श्री के.के. बालू	उपाध्यक्ष	044–28273512 044–28222509 (फैक्स)	044–22444419
श्रीमती विमला यादव	सदस्य	022–22611456	022–23678620
श्री कांथी नरहरि	सदस्य	23385874	23386983
श्री बी.एल. राव	सचिव (सीएलबी)	23383452	24105703
श्रीमती निम्मी धर	अवर सचिव (सीएलबी)	23383662	–

क्षेत्रीय निदेशकों तथा कंपनी रजिस्ट्रारों के पते

क्षेत्रीय निदेशक

पूर्वी क्षेत्र

श्री यू. एस नहाटा
निजाम पैलेस
II एमएसओ भवन, तीसरी मंजिल
234/4 ए.जे.सी. बोस रोड,
कोलकाता – 700020
फोन – 033–24870382
फैक्स – 033–22870958
E-mail- rdeast@sb.nic.in

उत्तरी क्षेत्र

श्री धनराज
ए–14, सेक्टर–1,
पीडीआईएल भवन,
नोएडा,
उत्तर प्रदेश
फोन – 0120 2445342
फैक्स – 0120 2445341
E-mail: rdnorth@sb.nic.in

दक्षिणी क्षेत्र

श्री आर. वासुदेवन
5वीं मंजिल, शास्त्री भवन,
26 हैडोज मार्ग,
चेन्नई – 600006
फोन – 044 28287173
फैक्स – 044 28280436
E-mail: rdsouth@sb.nic.in

पश्चिमी क्षेत्र

श्री राकेश चन्द्रा
एवरेस्ट, 5वीं मंजिल
100, मैरिन ड्राइव,
मुम्बई–400002
फोन – 022 22817259
फैक्स – 022 22813760
E-mail: rdwest@sb.nic.in

कंपनी रजिस्ट्रार

राज्य

आंध्र प्रदेश

श्री हेनरी रिचर्ड
दूसरी मंजिल, केन्द्रीय सदन, सुल्तान बाजार,
कोटि, हैदराबाद–500195
फोन – 040 246576114
फैक्स – 040 24652807
E-mail: richard.henry@mca.gov.in

असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैण्ड, मेघालय, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश

श्री के आनन्दा राव
मोरेलो भवन, ग्राउंड फ्लोर,
कचारी रोड, शिलांग – 793001
फोन – 0364 2223665
फैक्स – 0364 2211091
E-mail: ananda.korada@mca.gov.in

बिहार एवं झारखंड

श्री केशव प्रसाद
मौर्या लोक काम्प्लैक्स,
ए–विंग, चौथी मंजिल, डाक बंगला मार्ग,
पटना – 800001
फोन – 0612 2222172
फैक्स – 0612 2222172
E-mail: keshav.prashad@mca.gov.in

गोवा, दमन तथा द्वीप

श्री पी के गायचोर
कंपनी विधि भवन, ईडीसी काम्प्लैक्स,
प्लाट नं. 21, पोआटो, पणजी,
गोवा– 403001
फोन – 0832 2438617, 2438618
फैक्स – 0832 2438617
E-mail: prakash.gaichor@mca.gov.in

गुजरात

श्री वी के खुबचंदानी
आरओसी भवन,
रूपल पार्क के विपरीत,
अंकुर बस स्टैण्ड के पीछे,
नारनपुर, अहमदाबाद – 380013
फोन – 079 27437597, 27438531
फैक्स – 079 27438371
E-mail: vijay.khubchandani@mca.gov.in

कर्नाटक

श्री वी सी दवे
ई विंग, दूसरी मंजिल,
केन्द्रीय भवन, कोरा मंगला,
बैंगलोर–560034
फोन – 080 25633105
फैक्स – 080 25538531
E-mail: vc.davey@mca.gov.in

दिल्ली तथा हरियाणा

(I) श्री टी पी शम्मी
बी–ब्लाक पर्यावरण भवन,
सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड़,
नई दिल्ली–110003
फोन – 011 24362708
फैक्स – 011 24364570
E-mail: tej.shami@mca.gov.in

(II) श्री टी पी शम्मी
चौथी मंजिल,
आईएफसीआई टावर,
61, नेहरू प्लेस – 110019
फोन – 011 26235704
फैक्स – 011 26235702
E-mail: tej.shami@mca.gov.in

जम्मू एवं कश्मीर

श्री ओ पी शर्मा
जे एंड के हाल नं. 405,
बाहुप्लाजा, चौथी मंजिल,
साउथ ब्लाक, रेल हैड काम्प्लैक्स,
जम्मू–180012
फोन – 0191 2470306
फैक्स – 0191 2470306
E-mail: om.sharma@mca.gov.in

केरल

एस एम अमिरूल मिलात
कंपनी विधि भवन,
बीएमसी रोड, त्रिककाड़ा,
पी.ओ. कोच्चि – 682021
फोन – 0484 2421626, 2423749
फैक्स – 0484 2422327
E-mail:- a.millath@mca.gov.in

मध्य प्रदेश

डा राज सिंह
ए, ब्लाक, संजय काम्प्लैक्स,
तीसरी मंजिल जयेन्द्र गंज,
ग्वालियर–474009
फोन – 0751 2321907
फैक्स – 0751 2331853
E-mail:- dr.raj@mca.gov.in

उड़ीसा

श्री बी मोंहती
दूसरी मंजिल, चलचित्र भवन,
बक्सी बाजार, कटक–753001
फोन– 0671–2306958
फैक्स– 0671–2305361
E-mail: bibekananda.mohanty@mca.gov.in

पंजाब, चंडीगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश

श्री मनमोहन जुनेजा
कोठी नं. 286, डिफेंस कालोनी,
जालंधर – 144001
फोन – 0181 2223843
फैक्स – 0181 2223843
E Mail- manmohan.juneja@mca.gov.in

तमिलनाडु–I (चेन्नई)

श्री बी एन हरीश
दूसरी मंजिल, शास्त्री भवन,
26, हैडोज मार्ग,
चेन्नई – 600006
फोन – 044 28277182
फैक्स – 044 28234298
E-mail: bn.harish@mca.gov.in

महाराष्ट्र–I (मुम्बई)

(i) डी के गुप्ता
एवरेस्ट बिल्डिंग –100, मैरीन ड्राइव,
मुम्बई–400002
फोन – 022 22812627
फैक्स – 022 22811977
E-mail: devendar.gupta@mca.gov.in

महाराष्ट्र–II (पुणे)

(ii) श्री वी पी काटकर
पीएमटी कर्मशियल भवन जे एंड के हाल नं. 405,
बाहुप्लाजा, चौथी मंजिल, साउथ ब्लाक,
रेल हैड काम्प्लैक्स, जम्मू–180012
फोन – 0191 2470306
फैक्स – 0191 2470306
E-mail:devendar.gupta@mca.gov.in

राजस्थान

श्री एस पी कुमार
132, विजय नगर, पार्ट–2,
करतार पुरा, करतारपुर रेलवे स्टेशन के पास
जयपुर – 302015
फोन – 0141 2500564
फैक्स – 0141 2500564
E Mail - satya.kumar@mca.gov.in

तमिलनाडु–II (कोयम्बटूर)

श्री पी राजागोपालन
कोयम्बटूर स्टाक एक्सचेंज भवन,
दूसरा तल, 683 त्रिची रोड,
सिंहानलूर, कायोम्बटूर–641005
फोन – 0422 2318170, 2819640
फैक्स – 0422 2324012
E-mail: p.rajagopalan@mca.gov.in

पुदुचेरी

श्री वी स्वामीदासन
नं. 35, पहली मंजिल,
एलैगा III क्रांस नगर,
पुदुचेरी–605011
फोन – 0413 2240129
फैक्स – 0413 2240129
E-mail: swamidason@mca.gov.in

पश्चिम बंगाल

श्री डी बंधोपाध्याय (स्थापन्न)
निजाम पैलेस, दूसरी एमएसओ भवन,
दूसरी मंजिल, 234/4, आचार्य जगदीश
चन्द्र बोस रोड,
कोलकाता – 700020
फोन – 033 22473156, 22473404
फैक्स – 033 22473795
E-mail: debashish..bandopadyay@mca.gov.in

उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड

श्री के एल कम्बोज
वेस्टकाट भवन दि माल,
कानपुर – 208001
फोन – 0512 2352304, 2367253
फैक्स – 0512 2360656
E-mail: kashmir.kamboj@mca.gov.in

केन्द्र शासित प्रदेश

अंडमान और निकोबार द्वीप

उपायुक्त कार्यालय (अंडमान),
दक्षिण जिला अंडमान,
12, कम्मराज रोड,
पोर्ट ब्लेयर–744101

कारपोरेट कार्य मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट 31.12.2007 तक

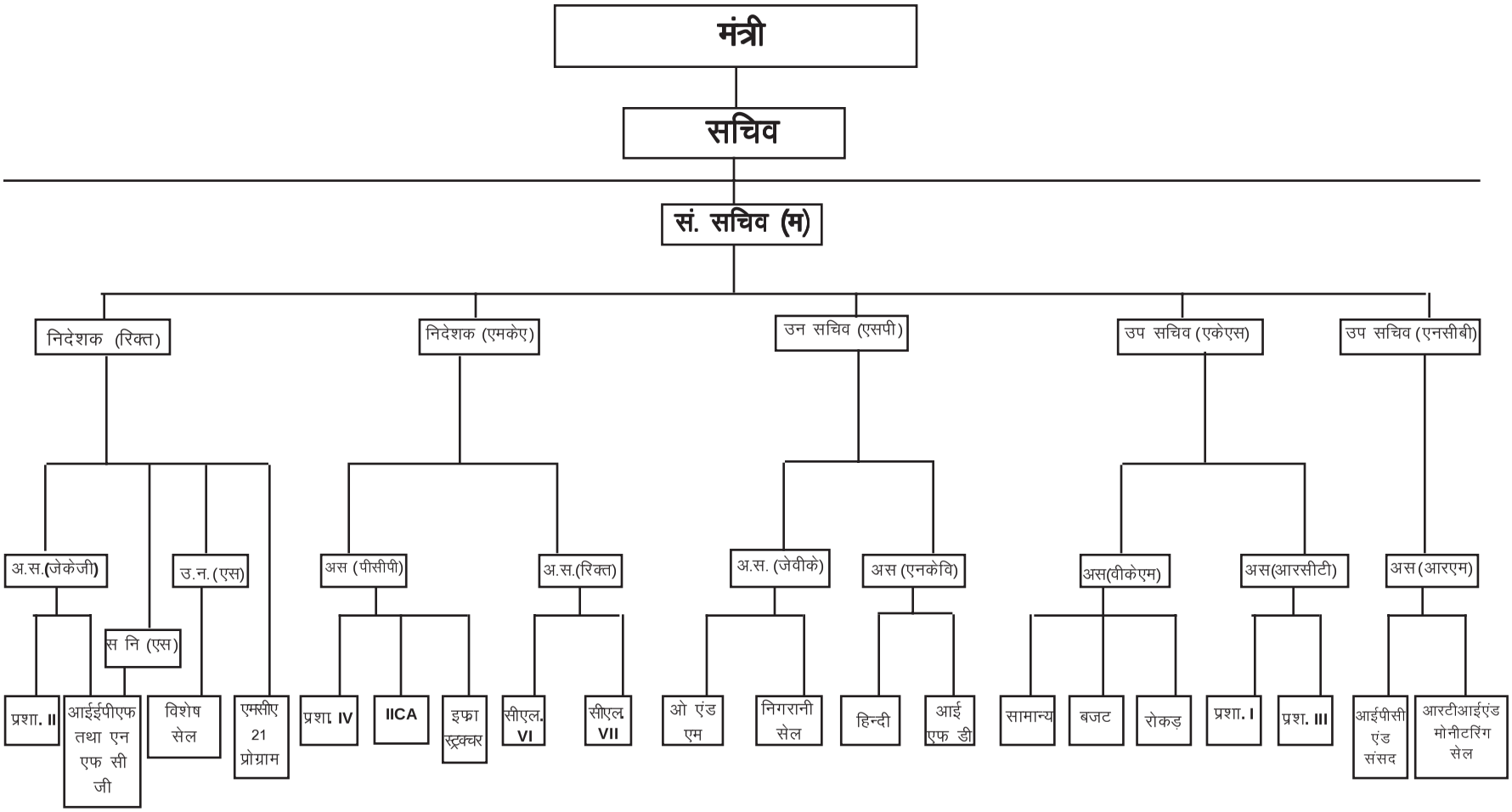

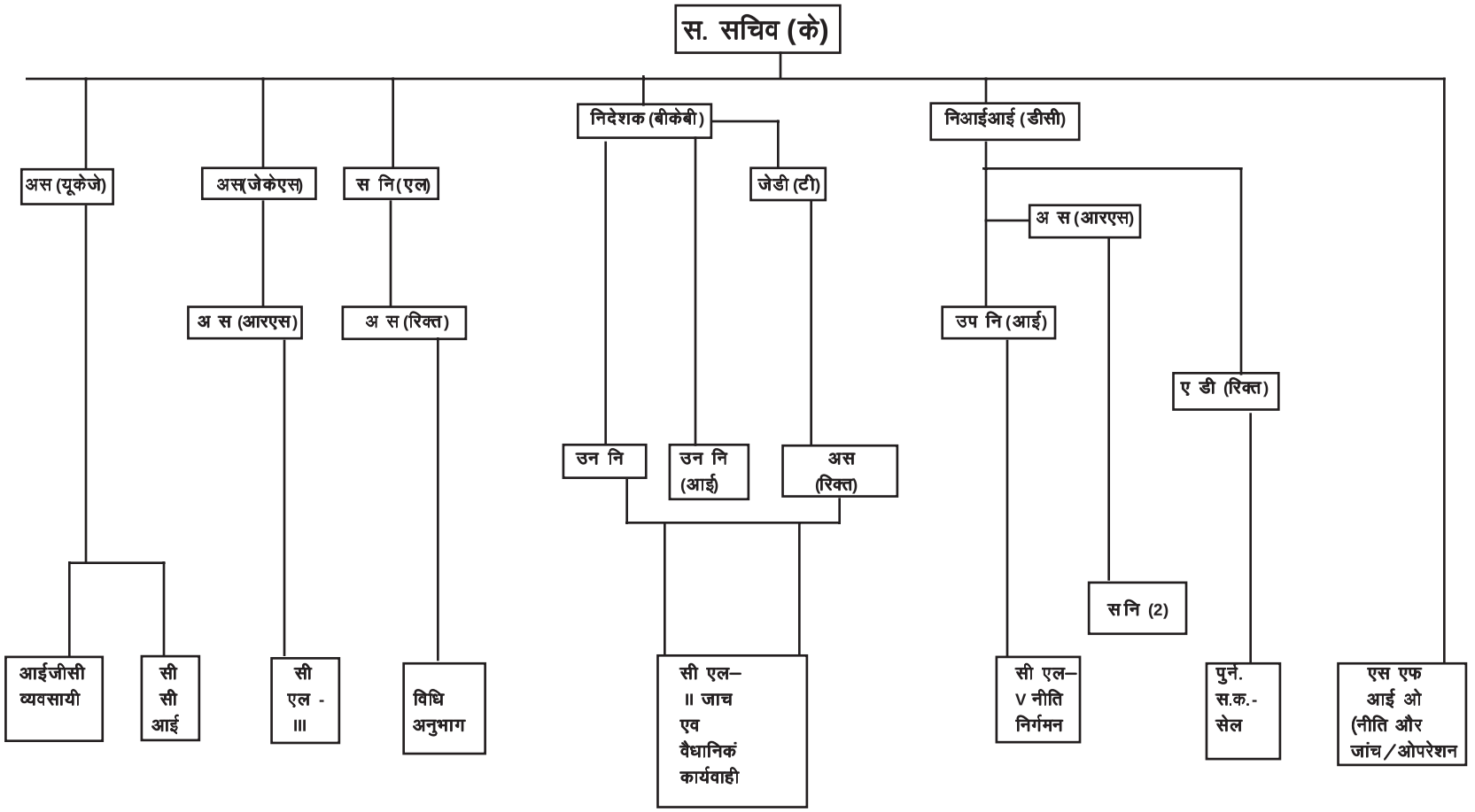
स. सचिव (के)
अस (यूकेजे)
अस(जेकेएस)
स नि(एल)
निदेशक (बीकेबी)
जेडी (टी)
निआईआई (डीसी)
अ स (आरएस)
अ स (आरएस)
अ स (रिक्त)
उप नि (आई)
ए डी (रिक्त)
उन नि
उन नि (आई)
अस (रिक्त)
सनि (2)
आईजीसी व्यवसायी
सी सी आई
सी एल - III
विधि अनुभाग
सी एल– II जाच एव वैधानिकं कार्यवाही
सी एल– V नीति निर्गमन
पुने. स.क.- सेल
एस एफ आई ओ (नीति और जांच/ओपरेशन

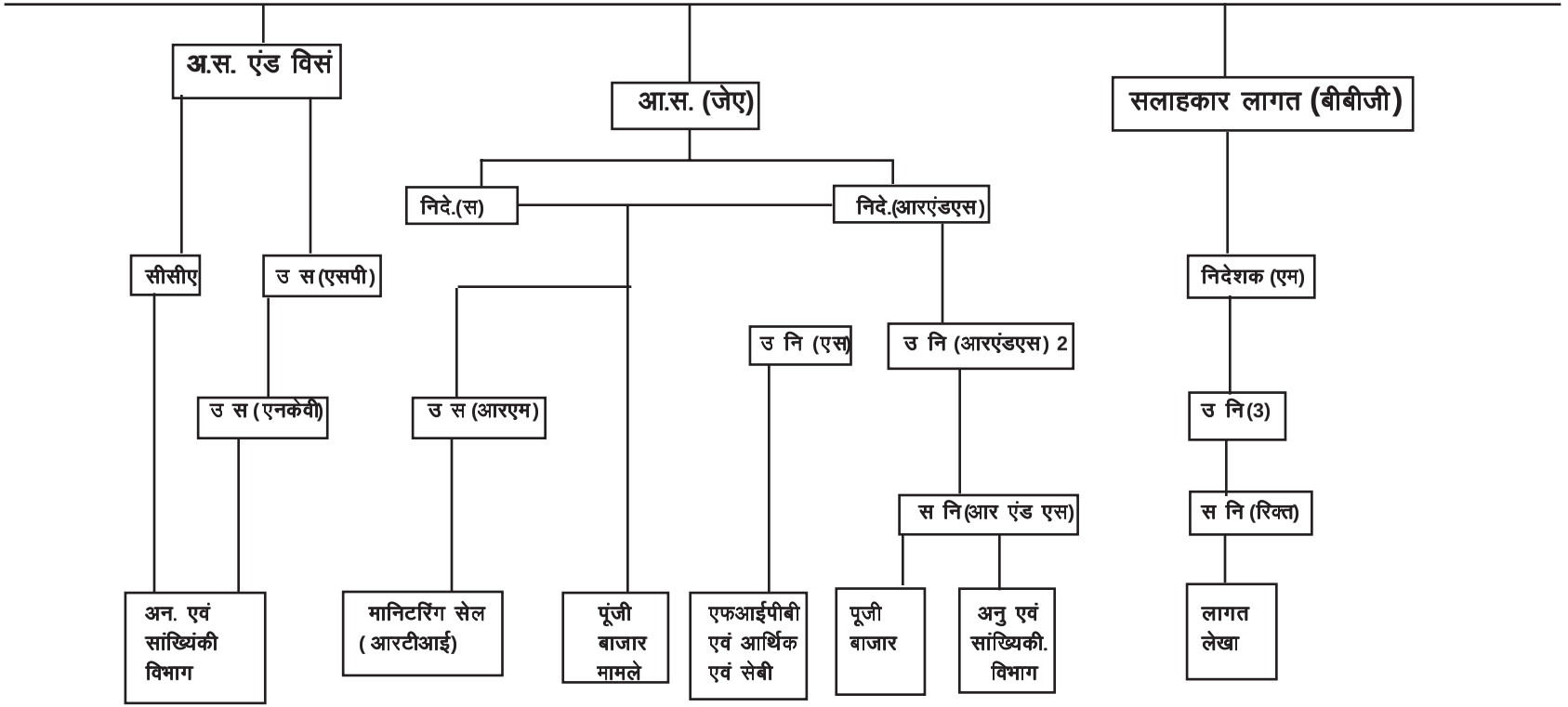

*संक्षिप्त विवरण मुख्य अधिकारीगण अनुबंध के अंतर्गत दिया गया है।

प्रमुख अधिकारीगण

प्रेम चन्द गुप्ता

मंत्री

अनुराग गोयल

सचिव

सं.स (के)	**जितेश खोसला**
डीआईआई (डीसी)	दीवान चंद
डीआईआई (बीकेबी)	बी.के. बंसल
निदे.(जेकेएस)	जय कांत सिंह
उप.स. (यूकेजे)	यू.के. जिंदल
स.नि (ई.जीसी)	नवरंग सैनी
सं.नि.(आई)	रिक्त
सं.नि.(आई)	रिक्त
सं.नि. (एल)	ए. सामनता राय
उप.नि. (आई)	संजय शौरी
अ.स. (आरकेआर)	आर.के. राव
उप.नि. (जीकेजी)	जी.के. गुप्ता
उप.नि. (आई)	पी.के. मल्होत्रा
स.नि. (डी)	एन.के. दुआ
स.नि. (पी)	एम.एस. पचौरी
अनु.अ. (आईजीसी)	ललित ग्रोवर
अनु.अ. (लीगल)	यू.के. सिन्हा
अनु.अ. (सीएल–II)	महा सिंह
अनु.अ. (सीएल–III)	रिक्त
अनु.अ. (सीएल–V)	के.के. रेड्डी

सं.स. (एम)	**वाई एस मलिक**
निदे.	रिक्त
निदे. (एमकेए)	मनोज कुमार अरोड़ा
उप.स. (एसपी)	सविता प्रभाकर
उप.स. (एकेएस)	ए.के. शर्मा
उप.स. (एनसीबी)	एन.सी. बेहरा
अ.स. (पीसीपी)	पी.सी. प्रतिहारी
अ.स. (एनकेवी)	एन के विग
अ.स. (वीकेएम)	वी.के. मेहता
अ.स. (जेएसजी)	जे.एस. गुप्ता
अ.स. (जेबीके)	जे.बी. कौशिक
अ.स. (आरएम)	राकेश मोजा
उप.नि. (एस)	पी. शीला
स.नि. (आईईपीएफ)	संजय सूद
स.नि. (हिंदी)	एल.बी. गुप्ता
अनु.अ. (एड.–I)	कमलेश माकार
अनु.अ. (एड.–II)	सुरेश शरण
अनु.अ. (एड.–III)	विजय सोनी
अनु.अ. (एड.–IV)	पी.के. प्रभात
अनु.अ. (प्रोटोकाल)	विनोद कुमार
अनु.अ. (रोकड़)	आर.एल. अरोड़ा
अनु.अ. (आईपीसी)	वी के वर्मा
अनु.अ. (बजट)	आर.के. मिश्रा
अनु.अ. (सत.)	संजीव कुमार नारायण
अनु.अ. (विशेष सेल)	कांति प्रसाद
अनु.अ. (ओ एंड एम)	आर.एस. कौशिक
अनु.अ. (इन्फ्रा.)	एस.एल. मेघवाल
अनु.अ. (सीएल–VI)	भुपेन्द्र सिंह
अनु.अ. (सीएल–VII)	संजीव गुप्ता

अ.स. (जे.ए.)	**डा. जोसफ अब्राहम**
निदे. (सां.)	डा. सुनीता चितकारा
निदे. (आरएंडएस)	एस एन तोवरिया
निदे. (आरएंडएस)	सुगन सिंह
स.नि.	(रिक्त–2)
उप.स. (एनसीबी)	एन.सी. बेहरा
अ.स. (आरएम)	राकेष मोजा
उप.नि.	(रिक्त–2)
उप.नि. (एस)	पी. शीला
स.नि. (जी)	डी.सी. गर्ग
अनु.अ. (डिस्.)	राम बचन
अनु.अ. (एमसी)	वीना बत्रा
सलाहकार (लागत)	**बी बी गोयल**
निदे.(आरएम)	रविन्द्र माथुर
उप.निदे. (v)	जी. वेंकटेश
उप.नि. (टीडी)	तरूण दास
उप.नि. (एम)	जी.जी. मित्रा
उप.नि. (आरसीबी)	आर.सी. भट्ट
सं.नि. (आई)	रिक्त

मुख्य सतर्कता अधिकारी	**वाई.एस. मलिक**
बेव मास्टर	**डा. सुनीता चितकारा**
अनु.अ. (जन.)	**विनोद कुमार**
वेलफेयर अधिकारी	**एन.के. विग**

एकीकृत वित्त एवं लेखा स्कंध

अपर स. एवं वित्त सं.	**डीआरएस चौधरी**
मु.ले.नि.	**श्री ए.एन. बॉख्शी**
उप सचिव	**सविता प्रभाकर**
अवर सचिव	**एन के विग**

सी एंड ए जी रिपोर्ट

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक निधियों को सरकारी लेखों से बाहर रखना

दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, बैंगलौर, इलाहाबाद और जयपुर के सरकारी परिसमापकों द्वारा परिसमाप्त कम्पनियों से प्राप्त शुल्कों को सरकारी लेखा में जमा करने में विफलता का परिणाम 6.13 करोड़ रू. की सरकारी धनराशि के 1 महीने से 5 वर्षों तक सरकारी लेखे से बाहर रहने तथा 66.53 लाख रू. के ब्याज की परिणामी हानि में हुआ।

(2007 का प्रतिवेदन सं. 2)

Printed at Veerendra Printers, New Delhi